तृतीय माला, खंड 47, अंक 4
Third Series, Vol. XLVII, No. 4

सोमवार, 8 नवम्बर, 1965/17 कार्तिक, 1887 (शक)
Monday, November 8, 1965/Kartika 17, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक ४—सोमवार, ८ नवंबर, १९६५/१७ कार्तिक, १८८७ (शक)

No. 4—Monday, November 8, 1965/Kartika 17, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
90	पाकिस्तानी हमले के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Persons, Displaced due to Pak Aggression	267–273
91	नागा विद्रोहियों के साथ शान्ति वार्ता	Peace Talks with Naga Rebels	273–276
92	काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak Infiltrators in Kashmir	277-281
93	पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दी	Indian P.O. Ws. in Pakistan	281
102	भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दी	Pak P.O.Ws. in India	282–285

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
94	भारत को हथियार देने पर रोक	Embargo on Arms Supply to India	285–286
95	पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम का उल्लंघन	Ceasefire Violations by Pakistan	286–287
96	भारतीय सैनिकों का चीनियों द्वारा अपहरण	Kidnapping of Indian Soldiers by China	287–288
97	कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त	Indian High Commissioner in Karachi	288–289
98	कच्छ समझौता	Kutch Agreement	289–290
99	चीनी सेनाओं का जमाव तथा जासूसी गतिविधियां	Chinese Build-up and Espionage Activities	290–291
100	अणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb	291–292
101	रोडेशिया	Rhodesia	292
103	भारत का विदेशों द्वारा समर्थन	Support given to India by Foreign Countries	293
104	अमरीका में पाकिस्तानी प्रचार	Pakistani Propaganda in U.S.A.	293–294
105	पाकिस्तान और मलयेशिया के बीच राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations between Pakistan and Malaysia	294
106	ब्रिटेन में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Pakistan in U.K.	294–295

*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
107	भारतीय थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना	Indian Army, Navy and I.A.F. .	295
108	विदेशों को भेजे गये विशेष दूत	Special Envoys sent to Foreign Countries	295–296
109	भारतीय राज्य क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण	Chinese Intrusions into Indian Territory	296–297
110	पाकिस्तानियों द्वारा किए गए अत्याचार	Atrocities by Pakistan .	297
111	विदेशों द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता	Military help to Pak by Foreign Countries	297–298
112	लैटिन अमरीकी देशों के साथ वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक संबंध	Commercial and Cultural ties with Latin American Countries. .	298
113	चीन द्वारा तीसरा परमाणु विस्फोट	China's Third Nuclear Explosion	299
114	तारिक अब्दुल्ला	Tariq Abdullah .	290–300
115	अफ्रीका और लैटिन अमरीका में चीन का भारत विरोधी प्रचार	Chinese anti-Indian Propaganda in Africa and Latin America . .	300
116	रोडेशिया के लिये राष्ट्र मंडल का शान्ति प्रतिनिधिमंडल	Commonwealth Peace Mission for Rhodesia	300–301
117	तारिक अब्दुल्ला	Tariq Abdullah . . .	301
118	रावलपिंडि में भारतीय वाणिज्य दूत के साथ दुर्व्यवहार	Ill-treatment of Indian Counsellor in Rawalpindi	301
119	अरब देशों द्वारा भारत का समर्थन	Arab States' support to India .	301–302
अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
227	श्रीनगर तक टेलेक्स सेवा	Telex Service to Srinagar . .	302
228	मध्य प्रदेश में प्रादेशिक सेना	Territorial Army in Madhya Pradesh	302–303
229	काफी बागानों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Coffee Plantations	303
230	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों के वेतनादि	Wages of Civilian Employees in Defence Establishment . .	304
231	केरल में जीवन निर्वाह व्यय देशनांक	Cost of Living Index in Kerala .	304
232	कोचीन पत्तन कार्यकर्ता	Cochin Port Workers . .	304
233	केरल में भूतपूर्व सैनिकों की बदखली	Eviction of Ex-servicemen in Kerala	305
234	आकाशवाणी के कार्यक्रमों में संसद् सदस्यों का योगदान	M. Ps'. Participation in A.I.R. Programmes	305
235	पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र पर भारत का कब्जा	Indian Occupation of Pak Territory	305
236	सुच्चा सिंह के विरुद्ध प्रत्यर्पण कार्यवाही	Extradition Proceedings against Sucha Singh	305–306

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
237	तेल समवायों के कर्मचारी	Employees of Oil Companies	306–307
238	राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये चन्दा	Contributions to National Defence Fund	307
239	सैनिक चिकित्सा सेवा	Military Medical Service	308
240	पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के सम्बन्ध में मत	Opinions on Pak Attack	309
241	इण्डोनेशियाई समाचार अभिकरण द्वारा भारत-विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Indonesian News Agency	309
242	संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट विमानों का निर्माण	Manufacture of Jets with U.A.R. Collaboration	309–310
243	ताशकन्द में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत	Indo-Pak Talks in Tashkent	310
244	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड	Calcutta Dock Labour Board	310
245	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	311
246	भारत-पाक संघर्ष की सचाई	Truth about Indo-Pak Conflict	311
247	संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों पर व्यय	Cost of U. N. Observers	312
248	दिवाकर समिति का प्रतिवेदन	Diwakar Committee Report	312–313
249	दिल्ली में बेरोजगारी	Unemployment in Delhi	313
250	आयुध कारखानों के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन-बोनस	Incentive Bonus to Employees in Ordnance Factories	313–314
251	विशेष स्मृति डाक-टिकट	Special Commemoration Stamps	314
252	नये ट्रांसमिटरों का लगाया जाना	Installation of New Transmitters	314–315
253	डाक तथा तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संस्थान	National Federation of P & T Employees	315
254	जकर्ता में भारतीय दूतावास के कर्मचारी	Indian Embassy Officials in Jakarta	315–316
255	दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा प्रचार	Propaganda by Pak High Commission in Delhi	316
256	जकर्ता में भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Jakarta	316
257	कतिपय समाचार पत्रों में भारत विरोधी प्रचार	Anti India Propaganda in Certain Newspapers	317
258	काबुल में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भारत-विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda by Pakistan Embassy in Kabul	317–318
259	मध्य प्रदेश में डाकखाने	Post Offices in Madhy Pradesh	318
260	जापानी जीपों का आयात	Import of Japanese Jeeps	318–319
261	प्रतिरक्षा सामान का निर्माण	Manufacture of Defence Equipment	319
262	सिपाहियों का वेतन	Pay of Sepoys	319–321

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
263	सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Armed Forces Personnel . . .	321–322
264	संवाददाताओं की सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों से भेंट	Interview of Armed Personnel by Correspondents . . .	322
265	युद्ध संवाददाता	War Correspondents . .	322
266	पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग	Use of U.S. Arms by Pakistan .	322–323
267	पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता	USA's Military Assistance to Pakistan	323
268	नागाओं तथा बर्मा के सनिकों में मुठभड़	Clash between Nagas and Burmese Troops	324
269	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की फिल्म	U.N. Film on Indo-Pak Conflict .	324
270	भारत के लिए जापान निर्मित नौसेना से जहाज	Japan Building Naval Vessels for India	324–325
271	शिलांग में डाकघर की इमारत	P.O. Building, Shillong . . .	325
272	पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के दौरान हताहत व्यक्ति	Casualties during Pak Aggression	325–326
273	भारतीय जहाजों को डुबाने का ईरान की नौसेना का प्रयत्न	Iranian Navy's attempt to sink Indian Ships	326
274	आयुध कारखाने	Ordnance Factories . .	326–327
275	घायल जवानों की सहायता	Help to wounded Jawans . .	327
276	भारत में परमाणु उर्जा संयन्त्र	Atomic Energy Plants in India .	327–328
277	पाकिस्तान द्वारा की गई बमबारी के कारण हताहत असनिक लोग	Civilian Casualities during Pak Bombings	328
278	छिपे हुए नागाओं द्वारा जारी की गयीं टिकटें	Stamp issued by Underground Nagas	329
279	केरल तट के निकट पनडुब्बी का देखा जाना	Submarine sighted near Kerala Coast	329
280	अदन में संविधान का निलम्बन	Suspension of Constitution in Aden .	329–330
281	राजस्थान क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा अपनी सनिक शक्ति का बढ़ाया जाना	Pak-Re-inforcements in Rajasthan Area	330
282	भारत के विरुद्ध अमरीकी सनिक सामान का प्रयोग	Use of U.S.A.'s Military Equipment against India	330–331
283	ईंधन के लिए नया "ब्रीडर रिऐक्टर"	New Breeder Reactor for Fuel	331
284	मध्य प्रदेश में डाक तथा तार प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र	P & T Regional Training Centre in M.P.	331–332

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
285	फिल्म्स डिवीजन द्वारा बनाए गए वृत्त चित्र	Documentaries Produced by Films Division	332
286	परमाणु ऊर्जा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल	Training School for Atomic Energy Personnel	332–333
287	जदुगुड़ा (बिहार) स्थित आइसोटोप डिवीजन	Isotope Division at Jaduguda (Bihar)	333
288	युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों के बच्चों को गोद लिया जाना	Adoption of Children of Jawans Killed in Action	333–334
289	आकाशवाणी में इंजीनियरी कर्मचारी	Engineering Personnel in A.I.R.	334
290	भारत को युगोस्लाविया से हथियारों की सहायता	Yugoslav Arms Aid for India	334–335
291	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी व्यक्ति	Pakistanis in Jammu and Kashmir	335
292	भारत द्वारा पकड़ी गयी पाकिस्तानी युद्ध सामग्री	Pak War Material Captured by India	335
293	आकाशवाणी का जालन्धर केन्द्र	Jullundur A.I.R. Station	336
294	अमरीका तथा ब्रिटेन के सहयोग से आयुध कारखानों की स्थापना	Ordnance Factories with U.S.A. and U.K. Collaboration	336
295	क्ले पिजिन शूटिंग के लिये 12 बोर की गोली	12-Bore Ammunition for Clay Pigeon Shooting	337
296	ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी	Indian Immigrants in U.K.	337
297	क्ले पिजिन शूटिंग	Clay Pigeon Shooting	337–338
298	इण्डोनेशिया के बैंकों में जमा भारतीय सम्पत्ति	Indian belongings Deposited in Indonesian Banks	338
299	आपातकालीन सूचना केन्द्र	Emergency Information Centres	338
300	पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के बारे में पाकिस्तान द्वारा प्रचार	Pak Propaganda about Pak P.O. Ws.	338–339
301	जंजीबार में राष्ट्रिकताहीन भारतीयों का प्रत्यावर्त्तन	Repatriation of Stateless Indians in Zanzibar	339
302	आसाम तक ट्रंक टेलीफोन लाइन	Trunk Telephone Line to Assam	339
303	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के कैडिटों का प्रशिक्षण	Training of N.D.A. Cadets	339
304	प्रमुख प्रेस सलाहकार तथा मुख्य सूचना अधिकारी	Chief Press Adviser and Principal Information Officer	340
305	सरकारी उपक्रमों में श्रम विधियां	Labour Laws in Public Undertakings	340
306	स्वर्गीय हवलदार अब्दुल हमीद का स्मारक	Memorial for Late Havildar Abdul Hameed	340–341

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
307	विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकतायें	Medical Requirements of Displaced Persons	341
308	ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज	Trunk Telephone Exchange . .	341
309	ब्रिटिश नागरिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Entry of British Nationals in India . .	341
310	जवानों के विरुद्ध मुकद्दमे	Cases Against Jawans . . .	342
311	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	S. C. and S. T Candidates in Rajasthan	342
312	उत्पादन के अनुसार मजूरी का दिया जाना	Payment of wages according to Output	342–343
313	जनरल निम्मों का हटाया जाना	Removal of Gen. Nimmo .	343
314	युद्ध सम्बन्धी समाचारों का समाचार पत्रों में प्रकाशन	Coverage of War News .	343–344
315	पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय उप-उच्चायुक्त	Indian Deputy High Commissioner in East Pakistan . .	344
316	प्रतिरक्षात्मक नहर	Defence Canal	344
317	संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान प्रेक्षक दल की वायु सीमा उल्लंघन रोकने की योजना	UNIPOM's Plan to Prevent Air Violation	345
319	विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय	Directorate of Advertising and Visual Publicity	345
320	भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों के लिये जीवन बीमा निगम की पालिसियां	L.I.C. Policies for I.A.F. Personnel	345–346
321	युगोस्लाविया से ट्रांसमिटर	Transmitter from Yugoslavia . .	346–347
322	विदेशों में भारतीय मिशन	Indian Missions Abroad. .	347
323	उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सड़कों का निर्माण	Road Construction in Border Districts of U.P. . . .	347–348
325	चलचित्र निर्माताओं को सहायता	Help to Film Producers . .	348
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
(एक) अनाज की दुर्लभता तथा उसके मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति—		(i) Situation arising out of scarcity and rise in prices of foodgrains—	
श्री स० मो० बनर्जी		Shri S. M. Banerjee	348
श्री चि० सुब्रह्मण्यम्		Shri C. Subramaniam . .	348
(दो) पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों का रोका जाना तथा पटसन, चाय आदि का जब्त किया जाना—जारी		(ii) Impounding of Indian ships and confiscation of jute, tea etc. by Pakistan—	
श्री यशपाल सिंह		Shri Yashpal Singh . .	353
श्री राज बहादुर		Shri Raj Bahadur . .	353–355

विषय		SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)		Re : Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Query)	355–356
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	356
केरल के सम्बन्ध में उदघोषणा के लागू रखे जाने के बारे मे संकल्प—		Resolution Re : Continuance of Proclamation in respect of Kerala—	
	श्री हाथी	Shri Hathi	357–361
रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) विधेयक—		Railways (Employment of Members of the Armed Forces) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—		Motion to consider—	
	डा० द० स० राजू	Dr. D. S. Raju	362
	श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh.	362–363
	श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	363
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	363–364
	श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey .	364
पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—		Motion re : Report of the Backward Classes Commission—	
	श्री म० प० स्वामी	Shri M. P. Swamy	365–366
	श्री ह० च० सोय	Shri H. C. Soy .	366–368
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	368–369
	श्री बसवन्त	Shri Baswant	369
	श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki .	369–370
	श्री माते	Shri Mate . .	370
	डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi .	370–371
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	371

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 8 नवम्बर, 1965/17 कार्तिक, 1887 (शक)
Monday, November 8, 1965/Kartika 17, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Rehabilitation of Persons Displaced due to Pak Aggression

*90 **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :
Shri Bishwanath Roy :
Shri R. S. Tiwary :
Sbri K. C. Sharma :
Shri mati Renuka Barkataki :
Shri Yashpal Singh :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hem Barua :
Shrimati Tarkeshwari Sinha :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri P. C. Borooah :
Shri P. R. Chakravarti :
Shri Kapur Singh :
Shri P. K. Deo :
Shri Solanki :
Shri Narasimha Reddy :
Shri Bhanu Prakash Singh :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Parashar :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri Basumatari :
Shri Ravindra Varma :
Shri P. Venkatasubbaiah :
Shri B. K. Das :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Daljit Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Hem Raj :
Shri Linga Reddy :
Dr. Ranen Sen :
Shri Dinen Bhattacharya :
Shri A. N. Vidyalankar :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri D. J. Naik :
Shri Bassappa :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sevak Yadev :
Shri Gulshan :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Buta Singh :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Gokaran Prasad :

Shri Heda : **Shri Krishna Deo Tripathi :**
Shri R. Barua : **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Sidheshwar Prasad : **Shri Vishram Prasad :**
Shri Ram Harakh Yadav : **Shrimati Jyotsna Chanda :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of civilians displaced from the border areas of (i) Punjab, (ii) Jammu and Kashmir and (iii) Rajasthan as a result of the recent Pakistani aggression;

(b) the broad outlines of the scheme formulated by Government to rehabilitate them; and

(c) the number of such people rehabilitated so far?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (a) Approximately 2,67,000.

(b) Arrangements have been made to provide immediate shelter, food, clothing and other necessities of life to the displaced persons. Financial assistance is being given to the displaced persons to return to their homes where conditions permit.

(c) All the displaced person are expected to go back to their homes as soon as conditions permit and the question of their being rehabilitated elsewhere does not arise. 11,000 persons in Jammu and Kashmir have already gone back to their homes from the camps and are being assisted to resettle there.

Shri Madhu Limaye : May I know whether it is a fact that 2 lakh refugees have came to Jammu & Kashmir above from Chhamb Jaurian, Hajipir pas and Uri-Poonch areas and whether training in the use of guns, etc. which will be given to them would also be imparted to them along with their rehabilitation ?

Shri Tyagi : 2 lakh 25 thousand persons have been affected in Jammu & Kashmir and they have also been displaced. One lakh twenty seven thousand persons are living in the camps in the whole of Jammu and Kashmir.

Mr. Speaker : The second part of the question is whether they will be given rifles for protection at the time of rehabilitation ?

Shri Tyagi : Training in use of fire arms will be imparted only to those persons out of them who are either in Home Guards or who would like to be included in the arrangements made by the Home Ministry.

Shri Madhu Limaye : How many industrial units in the border areas have been damaged due to Pakistani aggression ? May I know the nature of the scheme prepared to start production in these units again ?

Shri Tyagi : The information is not available with me.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि यदि परिस्थितियां अनुकूल हुई तो इन उजड़े हुए लोगों को वापिस अपने घरों में जाने में सहायता की जायेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों के घर जल गये हैं या तबाह हो गये हैं और जिन्हें अनिश्चित काल के लिय कंम्पो मे नही रखा जा सकता सरकार ने उनको फिर से बसाने के लिये क्या योजना बनाई है ?

Shri Tyagi : Financial assistance is being given to those persons whose houses have either been burnt or destroyed. Two thousand rupees are given for every 'pacca home' in city in Punjab. Apart from this, loans are also given as are considered necessary. One thousand rupees are given as compensation for every kachha

house burnt in rural areas. Arrangements have also been made to provide loans to them. Apart from this, compensation in cash has also been given to those whose cows, buffaloes, camels etc. have been killed during this aggression.

श्री प्र० के० देव : क्या खड़ी फसलों की हानि के लिये भी प्रतिकर दिया जायेगा ?

श्री त्यागी : कोई प्रतिकर नहीं दिया जा रहा है परन्तु उन को सहायता के तौर पर अनुग्राहत अनुदान दिया जा रहा है ।

श्री कपूर सिंह : यदि सरकार अपनी पुनर्वास-योजना या योजनाओं को भारत पाकिस्तान सीमा की अनिश्चित स्थिति के अनुकूल बनाना चाहती है तो कैसे बनायेगी ? हो सकता है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर फिर ऐसी गड़बड़ पैदा हो जाये ?

श्री त्यागी : वास्तव में यह परिवार डर के कारण अपने घरबार छोड़ आये और जगह-जगह जाते रहे परन्तु अब सब ठीक हो गया है । मेरा विचार है कि अब वहां पूर्णतया शान्ति है ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have any information regarding the number of agriculturists and non-agriculturists amongst them and what steps have been taken to rehabilitate the agriculturists?

Shri Tyagi : We could not collect the details regarding their profession. At present we are looking after their welfare.

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से निकाले गये भारतीयों की अपेक्षा जिन पाकिस्तानी क्षेत्रों पर हम ने कब्जा किया है वहां से निकाले गये लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है और यदि हां तो यह भेद-भाव क्यों है ?

श्री त्यागी : कुछ लोगों को संकेन्द्रित कैम्पों में रखा गया है और वे बाहर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं इसलिये उनकी हर प्रकार से देखभाल की जाती है जबकि अपने लोग रोजगार ढूंढने तथा दूसरे कार्य के लिये बाहर जाने में स्वतंत्र हैं ।

श्री हेम बरुआ : जब हम अग्रिम क्षेत्रों में गए थे . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने और मंत्री महोदय दोनों ने इसे समझ लिया है । उन्होंने कहा है कि हमारे अपने लोगों की तुलना में, हमारे अधिकार में आये पाकिस्तानी क्षेत्रों के लोगों से कोई अधिमान का व्यवहार नहीं किया जा रहा है । मैं उनके साथ तर्क नहीं कर सकता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether Government is considering to provide arms to those ex-military men who have come from those areas with the other refugees ? They say that if they are provided with the necessary arms, they can fight out the enemy. May I also know whether this has come to the notice of Government that the refugees which have came there are being given discriminatory treatment by State Government—Muslims have been given more facilities than Hindus ?

Shri Tyagi : I admit that their is this type of misunderstanding in Jammu and Kashmir. No discrimination has been made in respect of providing facilities to Hindus and Muslims. So far as the question of providing arms is concerned, there is a separate scheme of Home Ministry for border defence. All those persons who would like to take training under this scheme would be imparted training in use of fire arms and arms should be provided to them to encourage them.

श्री बसुमतारी : कुछ परिवारों में मां-बाप मारे गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उन परिवारों के बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

Shri Tyagi : Yes Sir. Arrangements are being made for their education.

Shri Kishen Pattnayak : Is it a fact that many persons out of the displaced people demanded arms but were denied by the Government ?

Shri Tyagi : There is no such thing. Arms have not so far been given to displaced persons. Unless their screening is done they cannot be given the arms. After screening arms can be provided through some organisation. There is no system of distributing arms on individual basis.

Shri Kishen Pattnayak : Who are being given arms ?

श्री मजीठिया : मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जहां तक नगरों का सम्बन्ध है पक्के मकानों के लिये दो हजार रुपया दिया जा रहा है और ग्रामों में कच्चे मकानों के लिये एक हजार रुपया दिया जा रहा है। ग्रामों में पक्के मकानों के लिये क्या दिया जा रहा है ?

श्री त्यागी : ग्रामों में पक्के मकानों के लिये भी दो हजार रुपया दिया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : In those parts of the Jammu and Kashmir State from where these refugees have come they were having some sort of private enterprises. May I know whether Government has prepared any scheme for enabling these persons to start their entreprises again ?

Shri Tyagi : This is a fact that many industries have been destroyed in Punjab. It does not mean that any bomb fell on them but in the sense that they could not send their goods to the market due to the difficulties of transportations. They also felt shortage of money. Keeping in view all these things Government have decided to help those districts of Punjab where industries have been adversely affected and more orders are passed on to them. Government have also instructed D.G.S.D. to give preference to Punjab for placing the orders.

Shri Parkash Vir Shastri : What are the details ?

Shri Tyagi : If you permit me Sir, I will place a statement in this connection on the table of the House.

Shri Madhu Limaye : I am not getting the answer reg: the number of persons who are being imparted training in the use of fire arms from the hon. Minister even though I have put this question twice.

Shri Tyagi : I do not have this information. On receipt of the information I will give the exact number.

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि फीरोजपुर जिले में खेमकरण और फाजिल्का क्षेत्रों के जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनको अभी तक कुछ नहीं दिया गया है ? बहुत थोड़े लोगों को कैम्प में रखा गया है और दूसरे अभी तक अपने सम्बन्धियों के पास रहते हैं और उनके पुनर्वास के लिये कुछ नहीं किया गया है ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मेरे पास इन विशिष्ट विस्थापित लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। परन्तु सरकार का नियम या कार्यप्रणाली यह है कि उन सब लोगों को, जो कैम्पों में रहते हैं या अपने सम्बन्धियों के पास रहते हैं, ये सुविधायें दी जायेंगी।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार राजस्थान में हुए असैनिक विस्थापितों तथा उन असैनिक लोगों की, जिन को पाकिस्तान ने राजस्थान में धकेल दिया है, संख्या बता सकती है ? और क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान में संकेन्द्रित कैम्प बनाये गये है जिनमें हिन्दुओं से बहुत बर्बतापूर्ण व्यवहार किया जाता है ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि जो लोग पाकिस्तान से राजस्थान में आये हैं मुझे उनकी ठीक संख्या मालूम नहीं परन्तु जो लोग राजस्थान में विस्थापित हुये है उनकी संख्या 3,000 है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : संकेन्द्रित कैम्पों के बारे में मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास आंकड़े नहीं है ।

Shri D. N. Tiwary : These displaced persons might remain in these camps indefinitely. May I know whether Government has made any arrangements for giving them any vocational training so that they may get employment?

Shri Tyagi : Yes, Sir, arrangements are bing made.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार ने जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान से आये लोगों के पुनर्वास के लिये कोई योजना बनाई है और क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने वाली है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि यह सच है कि पंजाब सरकार ने इन लोगों के पुनर्वास के लिये 10 करोड़ रुपये मांगे हैं और यदि हां, तो सरकार ने उस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री त्यागी : पुनर्वास की योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि हमें आशा है कि शीघ्र ही ये लोग अपने घरों को वापिस जा सकेंगे । जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती पुनर्वास के लिये स्थायी प्रकार की किसी योजना पर विचार नहीं किया जा सकता ।

Shri Rameshwara Nand : I would like to know whether the Government is considering to rehabilitate the refugees from Punjab and Rajasthan in those areas of Jammu and Kashmir which have now been freed from Pakistan?

Shri Tyagi : A large number of persons have been displaced in Kashmir itself and that Government is facing the problem of rehabilitating them. We don't propose to put more burden on Kashmir Government.

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether keeping in view the cold in Jammu and Kashmir any arrangements have been made by Government and non-Government institutions for distributing quilts and blankets among the 2 lakh or $2\frac{1}{4}$ lakh displaced persons in Kashmir and how many quilts and blankets have already been distributed? If you permit me, Sir, I may add that the hon. Minister has not given correct reply regarding the demand for arms. He said that the people did not demand the arms but it is not correct. The people demanded the arms and wanted to be rehabilitated on the border from Uri to Chhamb.

Shri Tyagi : As far as the question of quilts and blankets is concerned there was a plan to distribute 75 thousand quilts and blankets in Jammu and Kashmir. Out of them 30 thousand have already been distributed. Daily two to two and half thousand quilts are being got ready and sent for distribution. Remaining quilts will be distributed very soon.

For Punjab there was a plan to distribute 30-35 thousand quilts. There are being distributed. Out of them about 15 thousand have already been distributed and the remaining quilts are being got ready.

Dr. Ram Manohar Lohia : I asked about the efforts being made by the Government and non-Government institutions. Figures of both the Government and non-Government institutions may be given.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the agencies which are distributing these quilts and blankets?

Shri Gulshan : I am also one of the sponsors of this question.

Mr. Speaker : He wants to know whether the hon. Minister has got any break up in regard to distribution of quilts and blankets by the Government and non-Government institutions ?

Shri Tyagi : I do not have full details with me. Non-Government institutions have helped us a lot.

Shri Abdul Ghani Gani : Is it a fact that in spite of the severe cold in Jammu and Kashmir no proper arrangements have been made for the refugees there ? Will the proper arrangements be made for the refugees living in the camps.

Shri Tyagi : Quilts and blankets are being arranged for all those people.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि पाकिस्तानियों द्वारा उद्योग को नष्ट कर देने के फलस्वरूप बड़ी संख्या में कारखानों में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गये है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उत्पाद में किस हद तक कमी होगी ?

श्री त्यागी : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri M. L. Dvivedi : I want to know the arrangements made for the rehabilitation of displaced persons of those areas from where the infiltrators have been thrown back ?

Shri Tyagi : Such persons have been given advances so that they can pull on till the new crop and after assessing the damage caused to their houses, they would be given grants for repairing them and besides this certain loan etc. would also be given to them.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मौके पर जा कर इस बात का कोई निर्धारण किया गया है कि कितनी हानि हुई है और उनको क्षतिपूर्त्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाय और यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई धन अलग से रखा गया है ताकि किसी वित्तीय कठिनाई के बावजूद उनको धन दिया जा सके ?

श्री त्यागी : यह फैसला किया गया है कि इस बारे में जितना धन दिये जाने की संभावना होगी, एक-एक पाई उनको दिया जायगा ।

Shri Gulshan : Is it a fact that about 300 refugees from Khemkaran area and certain other persons from other areas in Panjab are missing ? Have some efforts been made to know their whereabouts ? Is it a fact that proper arrangements are not there for the persons in Patti and Malhot camps ? The Government had declared that those persons who would like to stay on border areas, would be given arms . Have they taken some practical steps in this direction ?

Shri Tyagi : Such schemes were there. I have no information about the persons missing. I will enquire about that. For that I want notice.

Shri Gulshan : I have got a list and if he wants, I shall give it to him.

Mr. Speaker : The Hon. member may give the list to the Hon. ministers

Shri G. S. Musafir : I want to know the number of persons displaced in the Lahore sector *i.e.* from Sulemanki headworks to Dera Baba Nanak and the number out of them living in camps and the number living at other places ? I want the definite information about the arrangements made for persons living in camps. What arrangements have already been made by the Government for their lodging, for education of their children and for providing medical facilities to them ?

Shri Tyagi : About 42 thousand peoples have been displaced in Panjab. They are being given wheat at 16 Kilogram per month and a sum of Rs. 19/- per month for petty expenses. For children they are being given per month 9 Kilogram wheat and Rs. 9/- for petty expenses. Arrangements have been made for the supply of *Rajais*, *durris* and tents for them. Besides this I have already stated about the assistance to be given to them for repairing their house when they go back to their places.

नागा विद्रोहियों के साथ शान्ति वार्ता

\+

*91. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री हेम बरुआ :
श्री दे० जी० नायक :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :
श्री कजरोलकर :
श्री रामसहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :
श्री व० बा० गांधी :
श्री हेमराज :
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सं० मो० बनर्जी :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री रा० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० प्र० यादव :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा विद्रोहियों के साथ शांति स्थापित करने में अब तक और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या मि० फिजो ने भारत आने की इच्छा प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) लड़ाई बंद रखने की अवधि 15 नवंबर, 1965 तक के लिये बढ़ा दी गई है। इस मामले पर पिछली बार सदन में जब चर्चा की गई थी उसके बाद से नागाओं के साथ बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : शांति मिशन ने श्री ए० जेउ० फ़ीज़ो से बातचीत करने की इच्छा प्रकट की थी और भारत सरकार ने उसे यह बता दिया है कि श्री फ़ीज़ों अगर इस उद्देश्य से भारत आएंगे तो भारत सरकार उन्हें यात्रा-सुरक्षण देने को तैयार है ।

Shri Yashpal Singh : Have Government taken into consideration this fact that Mr. Phizo went to U.K. without the permission of the Government of India and is it not shameful to have talks with him instead of filing a suit against him ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सरकार को इन बातों का पता है और इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है। शांति के हित में उन के अच्छा साथ व्यवहार करना आवश्यक है ।

Shri Yashpal Singh : When our Government is running there satisfactorily like Panjab and U. P., may I know why those Naga rebels are not suppressed instead of having peacetalks with them ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : There is a history behind this and I hope that the Hon. member must be proving that there is discontentment and we want to settle matters peacefully. It cannot be said whether we would be successfu lo rnot ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री फ़िज़ों के हाल के इस वक्तव्य को देखते हुए कि वह भारत नहीं आ रहे है बल्कि नागालैण्ड को स्वतंत्र कराने आ रहे है, यहां पर नागा विद्रोहियों के साथ समझौता करने के लिये और क्या कदम उठाये जा रहे है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उनके इस नवीनतम वक्तव्य के बारे में समाचारपत्रों में छपा है लेकिन इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : सरकार द्वारा श्री फिज़ों की सुरक्षा की व्यवस्था किये जाने के बावजूद भी वह भारत आने को तैयार नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार शांति शिष्टमंडल को श्री फ़िज़ो के बगैर यथा संभव शीघ्र अपनी बातचीत को अन्तिम रूप देने के लिये परामर्श देने के बारे में सोच रही है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हमें श्री फ़िजो से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि वह भारत आना नहीं चाहते। यदि वह नहीं आते है तो निश्चित ही हमें स्थिति पर पुन: विचार करना पड़ेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि नागा विद्रोही मुख्य मंत्री शीलु आओ के नेतृत्व में नागाओं के प्रति वफादार व्यक्तियों पर विद्रोहियों में शामिल होने के लिये दबाव डाल रहे है और पादरी स्काट का नया फार्मूला इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि एक ऐसी नागालैण्ड सरकार बनायी जाय जिसका दर्जा सिक्किम और भूटान जैसा हो और भारतीय संविधान के बाहर हो ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ रहा है ।

श्री हेम बरूआ : नागालैण्ड में श्री फ़िजो के राजनीतिक प्रभाव के बारे में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने इस सभा में कहा था कि श्री फिजो असफल रहे हैं और हमारे वर्तमान विदेश मंत्री ने पीकिंग में श्री फिजो के अस्थायी वास के सम्बन्ध में इस सभा में कहा था कि श्री फिजो विदेशी नागरिक हैं और इसलिये सरकार उनकी गतिविधियों पर गौर नहीं करती । इन दो वक्तव्यों के संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि (क) सरकार शांति मिशन के प्रस्तावों को श्री फिजो के सामने रख कर नागालैण्ड में श्री फिजो के राजनीतिक प्रभाव को क्यों बढ़ाना चाहती है, और (ख) और क्या एक विदेशी नागरिक से, जो श्री फिजो हैं, एक क्षेत्र के बारे में, जो निर्विवादतः भारत का अंग है, बातचीत करना नैतिक और कानूनी तौर पर सही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह सच है कि श्री फिजो विदेशी नागरिक है । शायद माननीय सदस्य को पता है और मैं समझता हूं कि जो संसद्-सदस्य नागालैण्ड गये थे, उनमें वह भी थे और वापस लौटने पर उन्होंने महसूस किया था कि यह अत्यावश्यक है कि नागा विद्रोहियों और अन्य व्यक्तियों के साथ इस मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाये । उसी परामर्श के अनुसरण में हम उस शांतिपूर्ण कार्य को कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि नागा विद्रोहियों की यह अन्तिम मांग है मैं समझता हूं कि हमें यह मांग मान लेनी चाहिये क्योंकि इसके बाद हम इसको अन्तिम रूप से निपटा सकेंगे । अतः इस विकट स्थिति में हमने समझा कि यदि श्री फिजो यहां आकर इस मामले पर कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो हमें उनके यहां आने से इन्कार नहीं करना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : गलत तरीकों का परिणाम भी गलत ही होता है ।

Shri Rameshwaranand : On a point of order, Sir, the Hon. Prime Minister has just now said that they are acting upon the advice given by a team of M.Ps. who visited Nagaland. How far it is justified to have talks with some foreign national on such an important issue regarding our own territory only because Members of Parliament suggested that ? If there is some bad intention of M.Ps. would the Prime Minister agree to that ?

Mr. Speaker : You want the reply from the Prime Minister or from me ?

Shri Rameshwaranand : Through you from the Prime Minister or you can tell me.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार ने युद्ध-विराम समझौता को और बढ़ाने से विद्रोही नागाओं की इन्कारी के बारे में पता लगाया है और क्या यह नागाओं द्वारा शांति के समय हथियार और सामग्री पुनः प्राप्त कर लेने और प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त कर लेने के कारण है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक मुझे पता है, उनके इस बारे चिन्ता थी कि हम इस मामले में देर कर रहे हैं और हम बातचीत जल्दी नहीं कर रहे हैं । अतः शायद वे समझते होंगे कि समय कम रखना अच्छा है और उन्होंने एक महीने का सुझाव दिया था ।

श्री कपूर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन उग्रपन्थी नागाओं के भारतीय संघ में नागालैण्ड के लिये आन्तरिक स्वायत्तता मंजूर करने को सहमत होने की कोई संभावना है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बातचीत में यह विषय भी शामिल है । उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिये हैं ।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि नागा विद्रोही इस बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं देते हैं कि वे भारतीय संविधान के अन्तर्गत रहने को तैयार हैं तो मैं समझता हूं कि यह बातचीत रोक देनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ।

श्री हेम बरुआ : आप उनसे बातचीत रोक देने को कह सकते हैं ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : प्रधान मंत्री द्वारा अभी दिये गये उत्तर को देखते हुए कि श्री फिजो विदेशी नागरिक है, क्या मैं जान सकता हूं कि उनके आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित "मेरे व्यक्ति और मेरा देश" और "मैं तभी आउंगा जब मेरे व्यक्ति मुझ से आने को कहेंगे" के बारे में कथित वक्तव्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : समाचारपत्रों में प्रकाशित वक्तव्यों पर हम अपने विचार व्यक्त नहीं करते न ही इस प्रकार विचार व्यक्त करना उचित है । यदि निश्चित रूप से कुछ कहा जाए तो हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे ।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Prime Minister has said that the peace talks are in their final stage and this being their last demand they have accepted the same. I want to konw whether even now the arrangement of giving military training to naga hostiles and sending them in nagaland continues, if so what efforts are being made to check them and its reaction on the peace talks ?

Shri Lal Bahadur Shastri : It is true that they had sent certain persons there and got some training. I cannot say definitely whether they are being trained even now but they try to get help from there.

श्री हेम बरुआ : 3000 व्यक्ति फिर वहां जा रहे हैं ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि विद्रोही नागा नेता, श्री फिजोने भारत सरकार के इस देश में उनकी सुरक्षा के प्रस्ताव को मानने से क्यों इन्कार कर दिया है ? वह यहां क्यों आना नहीं चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका पता तो श्री फिजों को ही होना चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir, The Prime Minister has said that they cannot say definitely whether those nagas are being given military training. Can he say this indefinitely ?

Mr. Speaker : This is not a point of order.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रधान मंत्री के समझौतापूर्ण रवैये को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान समझौते के बाद भी नागा विद्रोही अपनी गतिविधि जारी रखे हुए हैं, शांति मिशन की ओर से श्री चालिहा द्वारा किये गये नवीनतम प्रस्ताव पर, कि समझौता अवधि को छः महीने और बढ़ाया जाए ताकि वे अपने समझौता प्रयत्नों को जारी रख सकें, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें श्री चालिहा से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । मैंने उनके वक्तव्य के बारे में आज के समाचारपत्र में पढ़ा है । छः महीने की अवधि बढ़ाये जाने पर सहमत होने से पूर्व हमें इस मामले पर गंभीरता से विचार करना होगा ।

Pak Infiltrators in Kashmir

*92 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vidya Charan Shukla :
Shri R. S. Pandey :
Shri Indrajit Gupta :
Shri D. C. Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri R. Barua :
Shri Vishram Prasad :
Shri N. P. Yadab :
Shri Kajrolkar :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri D. J. Naik :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Jashvant Mehta :
Shri P. C. Borooah :
Shri B. K. Das :
Shri Buta Singh :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Gulshan :
Shri Bibhuti Mishra :
Shrimati Tarkeshwari Sinha :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some of the Pakistani infiltrators, who had crossed to Kashmir in large numbers, have been rounded up ;

(b) the estimated number of infiltrators yet to be apprehended in the State of Jammu and Kashmir ;

(c) whether it is a fact that these infiltrators continue to creat a state of internal uprising in that State ; and

(d) if so, the further measures being taken to drive them out ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju) : (a) Yes, Sir.

(b) The last estimate put the No. of infiltrators in J. & K. at 3,000 but one cannot be categorical about this figure for the situation continues to change. There has been ex-filtration of some Pakistani personnel and one or two fresh groups have also been noticed.

(c) One of the features of the uprising has been that the infiltrators failed to create conditions of internal turmoil which was one of their main objectives. Having also been unable to inflict damage of any consequence, they have laterly taken recourse to inciting a section of students, mainly in some institutions in Srinagar, causing minor explosions with Pakistani hand grenades and arson.

(d) Necessary measures to liquidate them are being taken.

Shri Prakash Vir Shastri : The intelligence departments of the Centre and the State Governments were idle at that time. Have they given any such information now that even after cease fire some infiltrators have crossed into the State of Jammu and Kashmir ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : हाल में ही एक या दो दल देखे गये हैं जो नये लगते हैं । इसका मतलब है कि उनकी घुसपैठ जारी है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Have the Government received any such information from the military and other intelligence departments that these infiltrators who are coming into the State of Jammu and Kashmir are regular soilders of Pakistan army and after giving a particular type of training, they are being sent in to the State of Jammu and Kashmir to create a State of internal uprising ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनके अफसर सेना के नियमित अफसर है और उनको इस कार्य के लिये विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Are Government aware of the fact that there are certain elements in the Kashmir population who are supporting these infiltrators ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह संभव हो सकता है कि काश्मीर में कुछ नागरिक उनका समर्थन करते हों ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या घुसपैठ कथित सामान्य और ढीली नीति के कारण हुई जिससे पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय प्रदेश में घुसने दिया गया और क्या सरकार, इस सभा में की गयी प्रतीज्ञा पर दृढ़ है कि इन घुसपैठियों में से कोई भी जीवित नहीं जाने पाएगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम उनको जीवित पकड़ने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । यदि वे लड़ते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा । उनमें से कुछ मार भी दिये गये हैं ।

श्री दे० जी० नायक : क्या घुसपैठियों को काश्मीरियों ने भी शरण दी है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्धारण किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता । इस मामले में उनको शस्त्र पाकिस्तान सरकार ने दिये थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या जम्मू तथा काश्मीर में कथित जनमत-संग्रह मोर्चे के लोगों ने भी इन घुसपैठियों को शरण दी थी ? यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे ऐसा न करें, क्या कदम उठाये हैं और उनके विरुद्ध क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । लेकिन जब कभी हमें पता चला है कि इन घुसपैठियों और स्थानीय जनता में कुछ सम्बन्ध स्थापित है, इस बारे में आवश्यक कदम उठाये गये हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सुरक्षा परिषद् के संकल्प में सरकार के, सशस्त्र घुसपैठियों समेत, जो पाकिस्तान से काश्मीर में घुस आये हैं, 'सशस्त्र व्यक्तियों की वापसी' सम्बन्धी वाक्य के सही निर्वचन को सुरक्षा परिषद् ने स्वीकार कर लिया है ? यदि नहीं तो इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान उन व्यक्तियों के बारे में जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, क्या सरकार एक उद्घोषणा जारी करेगी जिसमें सशस्त्र घुसपैठियों से अपने शस्त्र और अन्य सामग्री समेत आत्म-समर्पण करने को कहा जाएगा अन्यथा उनको देखते ही गोली मारने के आदेश दिये जायेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी अधिसूचना के जारी किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है । बिना अधिसूचना जारी किये भी उनको गोली मारी जा सकती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न यह है कि क्या सुरक्षा परिषद् ने इस निर्वाचन को मान लिया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार यह कदम उठायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इससे सुरक्षा परिषद का कोई सम्बन्ध नहीं है । यह हमारी आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न है ।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया था . . . .

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या प्रतिरक्षा विभाग ने काश्मीर में घुसपैठियों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिये सतर्कता विभाग को सुदृढ़ किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस बारे में कोई और ब्योरा नहीं दे सकता कि सतर्कता विभाग और सेना किस प्रकार काम करते हैं । हमें आन्तरिक सूचना पर भी भरोसा करना पड़ता है ।

श्री जसवंत मेहता : पाकिस्तान द्वारा भेजे गये घुसपैठिए काश्मीर के लोगों का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे हैं । अतः वे लोग इन क्षेत्रों में इधर उधर छुपे हुए हैं । सरकार इनका तुरन्त सफाया करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि उनका मुख्य उद्देश्य काश्मीर के लोगों को विद्रोह करने के लिये उत्तेजित करना था जिसमें वे बुरी तरह असफल रहे हैं, परन्तु यह एक निश्चित बात है कि वे स्थानीय लोगों से अपना सम्पर्क बनाय रखने का प्रयत्न कर रहे हैं । जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि वे अब भी विद्यार्थियों जैसे भड़क उठने वाले तत्वों से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सम्भवतः बहुत से घुसपैठयों का पता नहीं लगाया जा सका है क्योंकि वे स्थानीय लोगों के साथ मिल गये हैं । यदि सुरक्षा परिषद् इस मांग को मान लेती है कि अन्य सनिकों के साथ इन घुसपैठियों को भी वापिस बुलाया जाये, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन लोगों का पता नहीं लगाया जा सकता है, सरकार इस योजना को कैसे क्रियान्वित करना चाहती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक ऐसा मामला है जिसे सरकार को समूचे रूप से सुलझाना पड़ेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि 11 अगस्त को पहली बार घुसपैठ का समाचार देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने इस घुसपैठ को अल्जीरिया की क्रांति जैसी बात कहा था । क्या सरकार ने इस बयान की अनुमति दी थी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इसे समाचारपत्रों में पढ़ा है ।

श्री दी० चं० शर्मा : घुसपैठिए काश्मीर में लगातार घुसते आ रहे हैं और उनकी यह घुसपैठ कई वर्षों तक जारी रह सकती है । जैसा कि श्री भुट्टो ने कहा है, उनकी यह कार्यवाही एक हज़ार वर्ष तक जारी रह सकती है । क्या सरकार के पास इन घुसपैठियों को जिनको भर्ती किया जा रहा है—समाचारपत्रों में इनकी संख्या 14,000 बताई गई है—रोकने तथा काश्मीर में उनके घरबार और जम्मू तथा काश्मीर में उन लोगों का पता लगाने की, जिनके पास यह लोग आ कर ठहरते हैं, कोई व्यवस्था है ? क्या सरकार के घुसपठियों का पता लगाने तथा उनका सफाया करने के लिये कोई सुदृढ़ व्यवस्था है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह नहीं जानता हूं कि क्या यह व्यवस्था सुदृढ़ है अथवा नहीं । परन्तु उस क्षेत्र में हमारे जो पुलिस कर्मचारी तथा सैनिक तैनात हैं वे इन घुसपैठियों का पता लगाते हैं तथा इनका सफाया करते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has just said that certain persons have been apprehended who were responsible for inciting the

students to create disturbances in Srinagar. May I know the names of a fews persons thus apprehended ? I would also like to know whether there are some people in Government offices who allow these infiltrators to stay with them ? Are any preparations being made on our side to meet the guerilla warfare ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं, मेरे पास ब्यौरे वार जानकारी नहीं है।

श्री रा० बरुआ : क्या अग्रेतर घुसपैठ को रोकने के लिये सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी यह कार्यवाही काफी समय तक चलेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, on a point of order, Sir, my question has not been answered. Do we propose to make any preparations to meet the infiltrators ? This question has not been answered.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझा था कि माननीय सदस्य को उन व्यक्तियों, जिन्होंने विद्यार्थियों को उत्तेजित किया था, तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी चाहिये। मैंने बताया कि उनके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य की गई थी क्यों कि यह उत्तर मैंने एक और प्रश्न के बारे दिया था, परन्तु मेरे पास सम्बन्धित व्यक्तियों के बारे में कोई निश्चित अथवा विशिष्ट जानकारी नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : While the first part of my question has been answered the second part has not been answered. What preparations are being made by our Government, this has not been answered.

Mr. Speaker : Please leave it here, ask from your neighbour.

Shri Sarjoo Pandey : Have the infiltrators brought with them arms also and if so, the type and the number of those which have been seized.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां। वे लोक अपने साथ हथियार लाये थे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या "एक्शन कमेटी" तथा "प्लेबीसाइट फ्रंट" के कुछ नेताओं की हाल में की गई गिरफ्तारियों के फलस्वरूप जम्मू तथा काश्मीर में आयोजित घुसपैठ की किसी योजना का पता चला है और क्या उन सभी लोगों को पकड़ लिया गया है जिनके बारे में कुछ सन्देह है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में गृह-कार्य मंत्रालय को इस की जानकारी होगी। मेरे पास अपेक्षित जानकारी नहीं है ।

श्री पु० र० पटेल : कुछ घुसपैठिये पकड़े गये हैं और हमारी विधि के अनुसार उन्होंने शासन के विरुद्ध युद्ध चालू करने का अपराध किया है । क्या इन सभी लोगों पर मुकदमे चलाये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन लोगों के विरुद्ध विधान के अन्तर्गत कुछ कार्यवाही आरम्भ की जायेगी परन्तु मेरे पास सभी मामलों की जानकारी नहीं है और मैं यह जानकारी भी नहीं देना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री प्र० के० देव : उड़ी-पुंछ क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के पश्चात् यह दावा किया गया था कि घुसपैठियों के मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र पर कब्जा कर लिया गया है। क्या इस मुख्य केन्द्र पर कब्जा कर लेने के फलस्वरूप घुसपैठ में कोई कमी हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लेने से घुसपैठ में कमी करने में निश्चय ही सहायता मिली है क्योंकि पाकिस्तानी उनको यहीं प्रशिक्षण दे रहे थे और सभी हथियार भी यहीं जमा कर रखे थे।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान में चीनी लोगों ने इन घुसपैठियों को गुरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षित किया था और यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी गतिविधियों के प्रतिकूल कार्यवाही करने के लिये हमारी सरकार भी कुछ लोगों को गुरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षण देना चाहती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सामान्यतया सैनिकों को, विशेषकर पहाड़ी डिविज़न के सैनिकों को, दिये जाने वाले प्रशिक्षण में गुरिल्ला युद्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण भी सम्मिलित है । मुझे यह जानकारी नहीं है कि उन्होंने गुरिल्ला युद्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण चीनियों से लिया अथवा अमरीका से । यह सम्भव है कि उन्होंने दोनों से ही यह प्रशिक्षण पाया हो ।

पाकिस्तान मे भारतीय युद्धबन्दी

*93. **श्री श्रीनारायण दास :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहमद कोया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गुलशन :
श्री हेम राज :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती मैमुना सुल्तान :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री किशन पटनायक :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० प्र० यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाना संभव हो सका है कि पाकिस्तान भारतीय युद्धबन्दियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ;

(ख) उनको क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ; और

(ग) पाकिस्तान में कितने भारतीय युद्धबन्दी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के प्रतिनिधि की रिपोर्ट के अनुसार, जो पाकिस्तान में भारतीय युद्धबंदियों के शिबिर के मुआइना पर आधारित है, अपने निकट कुटुम्बियों से पत्र व्यवहार को छोड़कर, भारतीय युद्धबंदियों को वास्य स्थान, सफाई, चिकित्सा, कैण्टीन, वस्त्र, मनोरंजन और व्यायाम संबंधी सभी सुविधाएं प्राप्य हैं ।

(ग) 69 भारतीय सेना सेविवर्ग, और 52 भारतीय पोलिस सेविवर्ग पर सम्मिलित, 121 भारतीय युद्धबन्दियों की पहली सूचि, भारत में, अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के प्रतिनिधि की मार्फत प्राप्त हो चुकी है ।

भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दी

*102. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री बागड़ी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री हेमराज :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :
श्री कपूर सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री न० प्र० यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने कितने सशस्त्र पाकिस्तानियों को, जिनमें नियमित सैनिक भी शामिल हैं, पकड़ा अथवा बन्दी बनाया है ;

(ख) कितने व्यक्ति जासूस, विदेशी, और तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों के रूप में पकड़े गये हैं;

(ग) उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ क्या व्यवहार किया गया है ; और

(घ) क्या युद्ध-बन्दियों की अदला-बदली के लिये पाकिस्तान के साथ कोई प्रबन्ध किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : पकड़े गए नियमित पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों की कुल संख्या लगभग 400 है। इस मामले पर दूसरों के संबंध में आंकड़े व्यक्त करना लोकहित में नहीं है।

(ग) युद्धबन्दियों से संबंधित जनेवा अधिवेषण, 1949 के अन्तर्गत प्राप्य, युद्धबन्दियों को सभी सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरों को भी आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं, और उनसे उचित और मानवता का व्यवहार किया जाता है।

(घ) पाकिस्तान को सूचित कर दिया गया है कि हम पारस्परिक आधार पर युद्धबन्दियों के आदान-प्रदान के लिये तैयार है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Do the Government know that Pakistan indoctrinated the Indian prisoners of war and tried to wear them away from India and make them pro-Pakistani. I also want to know whether Government of India have carried out any propaganda among the Pakistani prisoners against this partition ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जहां तक वर्तमान पाकिस्तानी बन्दियों का सम्बन्ध है, हमारे पास सिवाये उस सूचना के कोई सूचना नहीं है जो हमें रेड क्रास के संगठनों द्वारा मिलती है, परन्तु कच्छ के आक्रमण में जो बन्दी पकड़े गये थे, उनसे यह पता चलता है कि वह शायद इन बन्दियों में अपने मत का प्रचार करने का प्रयास करेंगे। परन्तु यह सिद्धान्त प्रचार असभ्य सिद्धान्त प्रचार था ; उन्होंने उनके साथ व्यवहार करने का प्रयत्न किया। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम युद्ध बन्दियों के साथ व्यवहार के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, do you think that the hon. Minister has answered the question.

Mr. Speaker : The latter part about the federation has not been answered.

Dr. Ram Manohar Lohia : I, therefore, leave it to you. If you can elicit a reply, then I would ask the next question.

Mr. Speaker : Do you want to know about the federation ?

Dr. Ram Manohar Lohia : It can be anything. It should be united.

Mr. Speaker : I myself want to understand your question.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to know whether the Government of India is carrying out any propaganda among the Pakistani prisoners of war so that this artificial partition could some how be finished. It can be anything from a federation to a complete union.

Mr. Speaker : This question has been answered many times before also. Pandit Nehru had said that we are not prepared to do so even if Pakistan agrees.

Dr. Ram Manohar Lohia : I think that was an improper reply. If this Government still believes in that reply then it is a foolish Government. We should not follow our old policies.

Mr. Speaker : Next question.

Dr. Ram Manohar Lohia : If you want that India should follow its 18 years old policies, then it would be a sad day for India. Any how I ask another question to Shri Chavan.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या नियमानुसार कोई माननीय सदस्य सम्बन्धीत मंत्री की बजाये सीधे ही किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछ सकता है ?

Mr. Speaker : That is what I have said that he should address me--Doctor Saheb, please address me.

Dr. Ram Manohar Lohia : Alright, I would address you. He does not deserve my attention.

Shrimati Subhadra Joshi : Mr. Speaker, I raise a point of order. The word "नामाकुल" used by Dr. Ram Manohar Lohia is very improper. It should not go on record.

Mr. Speaker : I do not interfere. Dr. Lohia may now put another question.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to know whether the hon. Minister solely depends on the Report of the Red Cross or he has made any other arrangements to know about it, because I have come to know that our prisoners of war do not get even food properly.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब मुझे सभा में जिम्मेदारी के साथ कोई निश्चित वक्तव्य देना होता है, तो यह मुझे कुछ प्रमाणों के आधार पर देना चाहिए । जैसाकि मैंने कहा, मेरे पास केवल अंशिक प्रतिवेदन है जिसका मैंने उल्लेख किया था । परन्तु इस के साथ साथ मैंने उस अनुभव

का भी उल्लेख किया था जो हमें कुछ ही महीने पूर्व हुआ था। इस के आधार पर मैं यह मानने के लिये तयार हूं जो माननीय सदस्य कहते हैं।

Shri Madhu Limaye : Our Military office has informed the families of a number of Jawans and officers that such and such person is missing. It is a matter of great anxity. I want to know whether they have laid down their lives or have become prisoners or war. It they have become prisoners of war, whether they are being treated properly in Pakistan. When I approached the Ministry of Defence to enquire about this, I was told that nobody is allowed to go there except the Committee of the Red Cross. The Red Cross people send their Reports to Geneva from where these are sent to us. But if any body likes to meet the Pakistani prisoners of war here, full facilities are provided to the people of the foreign embassis. I want to know whether the Ministry of Defence has made any efforts to get information about our prisoners of war through the foreign embassies in Pakistan ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ठीक है कि पाकिस्तान में युद्धबन्दियों के कैम्पों में केवल रैड क्रास के प्रतिनिधियों को जाने की अनुमति दी गई। पारस्परिकता के आधार पर हमने भी यहां वैसा ही किया है। उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने या उनसे सूचना प्राप्त करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास संगठन का उद्देश्य यही है।

Mr. Speaker : The hon. Member wants that their embassy here.....

Shri Madhu Limaye : Not their embassy. Enquiries can be made through other embassies there.

Mr. Speaker : Can the enquiries be made or can they be contacted through diplomatic channel or any other Channel ? Whether the Government have made any efforts in that direction ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हो जायें तो निश्चय ही यह किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : Are you giving those facilities to foreign missions or not ?

Shri Y. B. Chavan : No, Sir.

श्री प्र० चं० बरुआ : युद्धबन्दियों की सूचियां प्राप्त होने के बाद और हताहत व्यक्तियों का हिसाब लगाने के बाद भी क्या कुछ ऐसे जवान और अफसर हैं जिनके बारे में पता नहीं है ? यदि इसका कोई हिसाब है, तो उनकी संख्या कितनी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने किसी अतारांकित प्रश्न के उत्तर में ये आंकड़े दिये हैं। इस समय लगभग 1500 व्यक्ति लापता हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has told in reply to a question that form hundred soldiers have been apprehended. Will he tell the number of our soldiers apprehended by them.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। हमारे लगभग 1500 व्यक्ति लापता हैं। युद्धबन्दियों की संख्या के बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है। युद्ध-बन्दियों की सूचियों के आदान-प्रदान के बारे में निश्चय ही उन्होंने कुछ रुचि दिखाई है। हाल ही में उन्होंने हमें 121 व्यक्तियों

की एक सूची भेजी है जिसमें 60 से अधिक सैनिक कर्मचारी हैं और शेष पुलिस कर्मचारी हैं। हमें उन से और सूचियां प्राप्त होने की आशा हैं। परन्तु हमें उन सूचियों में यह देखना होगा कि उनमें कितने लापता लोगों के नाम, आदि हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें काफी समय लगेगा।

Shri Yashpal Singh : What is the delay in their exchange. Is it the Government of Pakistan which is causing obstruction or is there any other difficulty ?

Shri Y. B. Chavan : If it is done, it is good, but it does not seem to practicable.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे पास इन लगभग 400 युद्ध-बन्दियों में से कितने अफसर हैं और कितने सैनिक हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमन् मुझे अफसरों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इस समय मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत को हथियार देने पर रोक

*94. **श्री प्र० के० देव :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जसवंत मेहता :
श्री काजरोलकर :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री गुलशन :
श्री बुटा सिंह :
श्री हेमराज :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और अमरिका की सरकारों द्वारा भारत और पाकिस्तान को हथियार और गोलाबारूद देने पर लगाई गई रोक हटा ली गई है;

(ख) क्या भारत सरकार ने उन देशों की सरकारों से इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : यू० एस० ए० सरकार ने भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियारों और गोलाबारूद की हर प्रकार की सप्लाई पर प्रतिबन्ध

लगा दिया है। यह प्रतिबंध अभी जारी है। यू० के० सरकार ने हर प्रकार की सरकारी, हथियारों तथा गोलाबारूद की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगा रहा है। यह प्रतिबंध भी अभी जारी है। यू० के० सरकार ने वाणिज्य सौदों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। परन्तु हाल ही में यू० के० सरकार ने यह पाबन्दिएं लगाई है कि कुछ किस्मों के रक्षा सामानों के निर्यात से पहले निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर लेने चाहिए। इन लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र भेज दिए गए हैं, परन्तु प्रत्येक आवेदन पत्र पर उस के गुणों को देखते विचार किया जाता है, और लाइसेंस जारी होने में कुछ समय लग जाता है। भारत सरकार का विचार है कि भारत को पाकिस्तान के समतुल्य मानते, रक्षा साजसामान की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाना अन्याय है, और इस तरह वह भारत से जो आक्रमण का शिकार है, और पाकिस्तान से जो आक्रमणकारी है, समान व्यवहार करती है। सहायता भारत को चीनी संकट से बचाव करने के सक्षम बनाने के लिए थी, जो अभी ज्यों का त्यों है। अनौपचारक तौर पर हमने वाणिज्य सप्लाई के संबंध में यू० के० सरकार से शिकायत की है। भूतकाल में हमने भारी राशियों में यू० के० साज सामान खरीदा है, और इन क्रयों से यह निहित अवबोध अपने आप स्पष्ट है कि आवश्यक संधारण अनुपूर्ति की प्राप्यता जारी रहेगी। जैसे ऊपर कहा है, इन सप्लायों की प्राप्यता निर्यात लाइसेंसों के आधीन है, और कुछ लाइसेंस जारी हो चुके हैं।

वर्तमान् परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार यू० एस० और यू० के० सरकार से सहायता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत करने में कोई लाभ नहीं समझती।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम का उल्लंघन

*95. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री बासप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री गोकुलानंद महंती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सेझियान :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वसुमतारी :
श्री व० कु० दास :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री काजरोलकर :
श्री लिंग रेडी :
श्री हुकम चन्द कच्छवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री कृ० चं० शर्मा :
श्री समनानी :
श्री हेमराज :
श्री हेराज :
श्री सरजू पांडेय :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री जसवंत मेहता :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री रा० बरुआ :
श्री किशन पटनायक :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री मोहसिन :
श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री योगन्द्र झा :
श्री तु० राम :
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० प्र० यादव :
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने 23 सितम्बर, 1965 के समझोते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर और जम्मू तथा काश्मीर में युद्धविराम रेखा पर अब तक कितनी बार युद्ध-विराम का उल्लंघन किया है;

(ख) दोनों पक्षों के कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 3 नवम्बर, 1965 तक प्राप्त होने वाली रिपोर्टों के अनुसार 965 ।

(ख) युद्ध विराम से लेकर

पाकिस्तानी	मारे गए	378
भारतीय	मारे गए	262

(ग) सभी उल्लंघन संयुक्त राज्यों के प्रेक्षकों तथा संयुक्त राज्यों के महासचिव के ध्यान में लाए गए हैं ।

भारतीय सैनिकों का चीनियों द्वारा अपहरण

*96. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री सेझियान :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकमचन्द कच्छवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री किशन पटनायक :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन सरकार को विरोध-पत्र भेजा है कि चीनी सैनिकों ने 26 सितम्बर, 1965 को सिक्किम सीमा पार की थी तथा तीन भारतीय सैनिकों का अपहरण किया था;

(ख) यदि हां, तो यदि कोई उत्तर मिला है तो किस प्रकार का; और

(ग) उनकी तुरन्त भारत में वापसी के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग): भारत सरकार नें 27 सितम्बर को चीन सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा था जिसमें 26 सितम्बर को सिक्किम तिब्बत सिमापर हुई घटना के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया था जिसमें अनधिकृत प्रवेश करने वाले चीनी सैनिक तीन भारतीय सिपाहियों को उठा ले गए थे । उसी तारीख को चीन सरकार ने भी अपनी आक्रमक कार्रवाइयों पर पर्दा डालनें के लिए तथाकथित विरोध प्रकट किया था। इसके बाद, 27 सितम्बर के हमारे विरोध-पत्र के उत्तर में 18 अक्तूबर को चीन सरकार का एक नोट मिला । 4 नवंबर को हमने यहां पर चीनी राजदूतावास को एक नोट दिया जिसमें हमने अपहृत तीनों सिपाहियों को लौटाने की फिर मांग की थी। ये चारों नोट सदन की मेज पर रखे जा रहे हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 5085/65 ।]

कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त

*97. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री भानु प्रकाशन सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बॅनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री रामसेवक यादव :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पे० वेंकटासुब्बया :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री काजरोलकर :
श्री टे० सुब्रह्मण्यम :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनन भट्टाचार्य :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री हुकमचन्द कच्छवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री हेडा :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हेम राज :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री गोकलानन्द महन्ती :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री दे० द० पुरी :

श्री रा० बरुआ : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री बड़े : **श्री विश्राम प्रसाद :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त तथा उनके कर्मचारियों के निवास स्थानों पर छापा मारा तथा उनकी तलाशी ली और उनकी व्यक्तिगत चीजों पर भी कब्जा कर लिया ;

(ख) क्या पाकिस्तानी अधिकारी उच्चायुक्त के कार्यालय तथा निवास स्थान से कुछ महत्वपूर्ण कागजात तथा व्यक्तिगत वस्तुएं भी ले गये; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग) : एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5085/65 ।]**

कच्छ समझौता

*98. **श्री भानु प्रकाश सिंह :** **श्री बागड़ी :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री मधु लिमये :**

श्री सेझियान : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री काजरोलकर :**

श्री हिम्मतसिंहका : **श्री हुकमचन्द कच्छवाय :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : **श्री किशन पटनायक :**

श्री हरि विष्णु कामत : **श्री रामसेवक यादव :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री हेडा :**

श्री कपूर सिंह : **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री प्र० के० देव : **श्री वारियर :**

श्री सोलंकी : **श्री दाजी :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री राजेश्वर पटेल :**

श्री दी० चं० शर्मा : **डा० महादेव प्रसाद :**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 को पाकिस्तान से हुए कच्छ समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) हाल में दोनों देशों में हुए संघर्ष के कारण क्या इसकी क्रियान्विति में कोई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) इस न्यायाधिकरण (ट्रिबूनल) के लिए भारत ने युगोस्लाविया के संवैधानिक न्याययालय के न्यायाधीश, डा० ऐलस वैवलर को और पाकिस्तान ने ईरान के श्री नसरुल्लाहएंतज़ाम को नामजद किया है।

(ख) भारत और पाकिस्तान, दोनों ने ही संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव से इसका अध्यक्ष नामजद करने को कहा है। महासचिव ने यह ज़िम्मेदारी उठाना तो स्वीकार कर लिया है किंतु इस काम के उपयुक्त व्यक्ति चुनने के लिए 31 दिसम्बर 1965 तक समय बढ़ाने की मांग की है। हमने समय बढ़ाना स्वीकार कर लिया है।

भारत इस बात के लिए भी राज़ी हो गया है कि इसके अध्यक्ष पर जितना भी खर्च आएगा उसमें वह पाकिस्तान के बराबर हिस्सा देने को तैयार है।

(ग) काश्मीर में पाकिस्तान की आक्रमक कार्रवाइयों को देखते हुए, भारत सरकार समझती है कि दोनों देशों के मंत्रियों में बैठक होने की कोई सम्भावना नहीं है जैसा कि कच्छ करार के अनुच्छेद 3(1) में कहा गया है और जिसमें यह व्यवस्था है कि पहले सीमा निश्चित करने के लिए दोनों पक्ष सीधे बातचीत करेंगे। इसलिए, पाकिस्तान सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि निर्णय-व्यवस्था के दूसरे दर्ज़े पर इस आधार पर बढ़ा जाए कि जैसे मंत्रियों के बीच किसी प्रकार की सहमति नहीं हो सकी है। पाकिस्तान ने यह सुझाव मान लिया है।

चीनी सेनाओं का जमाव तथा जासूसी गतिविधियां

*99. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री कृ० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री ब० कु० दास :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री काजरोलकर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री बसुमतारी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांति :
श्री मोहसिन :
श्री दे० द० पुरी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सिक्किम तथा लद्दाख सीमाओं पर चीनी सेनाओं की सैनिक तैयारियां जारी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की कोई सूचना मिली है कि इन क्षेत्रों में चीनी जासूसों की गतिविधियां बढ़ रही हैं; और

(ग) हमारी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा इन क्षेत्रों में जासूसों को पकड़ने के लिए क्या पर्याप्त प्रतिरोधात्मक कार्यवाहियां की गई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : जी, हां। चीन लगभग पहले की सी जनशक्ति के साथ तिब्बत में अपनी सैनिक शक्ति बनाए हुए है। अगस्त और सितम्बर के महीनों में सैनिकों को सीमाओं के और निकट बढ़ा दिया गया था, और सिक्किम में वह बिलकुल हमारी सीमाओं तक आगए थे, और चार स्थानों से अस्थायी तौर पर उल्लंघन करके इस पार भी। लद्दाख में उनके सैनिक वास्तविक नियन्त्रण रेखा के उनकी अपनी ओर 20 किलोमीटर क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन गतिविधियों पर सतर्कता से ध्यान रखा जा रहा है, और अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एहतियाती पग उठाए गए हैं, इस में चारकर्म भी शामिल है, परन्तु इस मामले में अधिक सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

अणु बम का निर्माण

*100. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बासप्पा :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बागड़ी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सेझियान :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री पाराशर :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री काजरोलकर :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री दे० द० पुरी :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री मलाइछामी :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री तु० राम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही चीन और पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के बाद, जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा, जिसे संसद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, की गई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अणु बम न बनाने के अपने पहले निर्णय पर हाल ही में पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) : इस विषय में सरकार को कई संसद् सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उसने उसमें व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर विचार किया है। भारत का हमेशा यह मत रहा है कि आणविक हथ्यारों का निर्माण और पुनरुत्पादन मानव जाति के अस्तित्व मात्र के लिये गम्भीर खतरा है। अणु बम युद्ध में प्रयोग किये जाने वाले निरूढ़ शस्त्रास्त्रों से सर्वथा भिन्न होता है। ऐसे बम के प्रयोग में जो अमानुषिकता निहित है, उस से विश्व सुपरिचित है। इसलिए सरकार का यह अच्छी प्रकार से विचारा गया तथा दृढ़ मत है कि आणविक निरस्त्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जाने चाहियें। आंशिक परीक्षण रोकों समझौते (पार्शल टैस्ट बैन ट्रीटी) पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक भारत सरकार भी है और वे आणविक परीक्षणों पर पूरी रोक लगवाने और अणु अस्त्रों के और अधिक पुनरुत्पादन को रोकने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उन को पुरा समर्थन दे रही है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति के माध्यम से प्रयत्न किये जा रहे हैं।

ये हालात हैं जिन के संदर्भ में, इस बात के बावजूद कि चीन से, जिसने कि अणु अस्त्र बना लिये हैं, आक्रमण का खतरा जारी है, सरकार अणु अस्त्र न बनाने, बल्कि इसके स्थान पर उन को समाप्त किये जाने के अपने निश्चय पर लगातार कायम है। इस निश्चय को पाकिस्तान के साथ झगड़े के संदर्भ में बदलना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

भारत सरकार को यह दृढ़ आशा है कि इस समय मानव जाति जिस खतरे का सामना कर रही है, उसको महसूस करते हुए विश्व के अणु अस्त्र-धारी राष्ट्र आण्विक निरस्त्रीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में समझौते पर पहुंचने, तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि दुनिया उस मरहले पर नहीं पहुंच जाती जहां से कि कोई वापसी नहीं है, भरसक प्रयत्न करेंगे।

रोडेशिया

*101. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री काजरोलकर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने अकेले ही अथवा अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों के साथ मिल कर संयुक्त रुप से, रोडेशिया सरकार द्वारा स्वतंत्रता की एक पक्षीय घोषणा किये जाने पर रोडेशिया के अफ्रीकी बहुसंख्यकों पर स्थायी रूप से अल्पसंख्याकों का शासन स्थापित करने के विरोध में संघर्ष करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : भारत सरकार ने संसार के तमाम मंचों से रोडेशिया में बहुसंख्यक लोगों के शासन का बराबर समर्थन किया है जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी औपनिवेशिक सत्ता के रूप में ब्रिटेन की है। हमने राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र संघ और गुट-मुक्त राष्ट्रों के सम्मेलन में साल्सबरी की अल्पसंख्यक सरकार द्वारा इकतरफा तरीके से आजादी की घोषणा का विरोध किया है। अफ्रीकी लोगों के साथ अपनी एकता का प्रदर्शन करने की गरज से भारत सरकार ने साल्सबरी से भारतीय मिशन को वापस बुला लिया है और यह कह दिया है कि अगर इकतरफा तरीके से आजादी की घोषणा की गई तो भारत सरकार अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा स्वीकृत रोडेशिया की निर्वासित राष्ट्रीय सरकार को मान्यता देगी।

भारत का विदेशों द्वारा समर्थन

*103. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मरन्डी :
श्री उटिया :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री पाराशर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि हाल में हुए भारत तथा पाकिस्तान संघर्ष में किन देशो ने भारत का समर्थन किया था तथा किन देशों का रवैया तथा कार्य भारत विरोधी था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग) : इस मसले पर बहुत कम देशों ने सार्वजनिक रुप अपनाया है। भारत सरकार ने अन्य देशों को अपना पक्ष समझाने में हरेक मौके का उपयोग किया है और वह एसा बराबर कर रही है।

अमरीका में पाकिस्तानी प्रचार

*104. **श्री हेम बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागडी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री काजरोलकर :
श्री कपूर सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्टूबर, 1965 के "दि स्टेटसमन" में प्रकाशित न्यूयार्क के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान की साम्यवादी चीन के साथ वस्तुत: सांठगांठ है और उसने संयुक्त राष्ट्र संघ छोड़ने की धमकी दी है", पाकिस्तान को भारत के मुकाबले अखबारों में अधिक स्थान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वर्तमान भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में अपनी स्थिति सफलतापूर्ण प्रस्तुत करने के लिये क्या अतिरिक्त कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के विभिन्न चरणों में भारत का पक्ष संयुक्त राज्य अमरिका में कभी कम और कभी ज्यादा समझा गया बहरहाल, उस देश के बड़े-बड़े समाचार-पत्रों ने इस तथ्यको स्वीकार किया कि वर्तमान संघर्ष पाकिस्तानी घसपैठ के कारण शुरू हुआ था। चीन-पाकिस्तान की सांठ-गांठ का भी भंडाफोड़ हो गया। अमरीका में हमारे मिशनों ने हमारे पक्ष को प्रस्तुत करने के लिये और भी प्रयत्न किए। हमारे मिशनों के सदस्यों ने अखबार वालों को जानकारी दी और प्रेस सम्मेलन आयोजित किये; वे विशेष टेलिविजन तथा रेडियो इन्टरव्यू में उपस्थित हुए और उन्होंने विद्यार्थियों की सभाओं में भी, भाषण दिए। इसके अलावा, बहुत-से विशेष बंटन और पैम्फलैट बांटे गए।

पाकिस्तान और मलयेशिया के बीच राजनयिक सम्बन्ध

*105. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने मलयेशिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के साथ चल रहे मलयेशिया के संघर्ष में मलयेशिया को पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान किया है जिसने कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में धर्म को विवाद का आधार बनाने से इन्कार कर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में भारत-पाक संघर्ष में मलयेशिया सरकार ने भारत के प्रति जो सहानुभूति और समझ-बुझ दिखाई थी उसके लिए भारत सरकार ने उसकी प्रशंसा की है। मलयेशिया सरकार ने अपनी प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, उसके प्रति भी भारत सरकार ने सहानुभूति व्यक्त की है।

ब्रिटेन में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*106. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री कपूर सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लन्दन के इस समाचार (29 सितम्बर, 1965 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित) की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने काश्मीर में कथित

भारतीय अत्याचार के बारे में दूषित प्रचार आरम्भ कर दिया है और ब्रिटेन के अनेक समाचार पत्र आजकल रावलपिंडी से मिलने वाले संक्षेप परन्तु उग्र समाचार छाप रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन में पाकिस्तान के इस प्रचार का खंडन करने के लिये सरकारने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) काश्मीर में भारत द्वारा जुल्म करने के पाकिस्तान ने जो आरोप लगाए थे, भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने और लंदन-स्थित भारतीय हाई कमीशन ने उसका खण्डन किया है। विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों ने अपनी विज्ञप्तियों तथा अन्य प्रकाशनों में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है। कई विदेशी पत्रकार आगे के इलाकों का दौरा कर आए हैं और स्थिति को खुद देख आए हैं।

Indian Army, Navy and I.A.F.

*107. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Kapur Singh :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Rajeshwar Patel :
Shri D. D. Puri :
Shri Basappa :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri D. C. Sharma :
Shri R. S. Pandey :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Hukuam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken to further strengthen the Indian Army, Navy and I.A.F.;

(b) if so, the time by which the decision is likely to be implemented ; and

(c) whether the manufacture of Indian made aircrafts will be stepped up in view of their good performance during the recent Indo-Pak. fighting ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) The strength of the armed forced is kept under constant review and wherever necessary, steps to augment the forces are taken. No decision has been taken to increase the size of the armed forces following the recent operations against Pakistan.

(c) The reference is presumably to the Gnat. It is proposed to manufacture some more of this aircraft.

विदेशों को भेजे गये विशेष दूत

*108. श्री दे० जी० नायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बसुमतारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
श्री गुलशन :

श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बूटा सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री हेम राज :
श्री काजरोलकर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री किशन पटनायक :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पाराशर :
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :
श्री बासप्पा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मुहम्मद कोया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ब० कु० दास :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी हमले के बारे में भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिये अनेक देशों को उच्चस्तर के व्यक्तिगत दूत भेजे गये हैं अथवा भेजने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ये किन देशों को भेजे गये हैं अथवा भेजे जायेंगे ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : श्री वी० के० कृष्ण मेनन को काहिरा भेजा गया था और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को फ्रांस। ये जिस देश में गए, इन्हें वहां की सरकारों के अध्यक्षों के नाम प्रधान मंत्री के पत्र दिए गए थे। श्रीमती पंडित नीदरलैंड्स और पश्चिमी जर्मनी के लिए आज रवाना हो रही हैं। इनके अलावा, निम्नलिखित मंत्रियों ने भी कुछ देशों की यात्रा की :

1. श्री दिनेश सिंह, उपमंत्री, विदेश मंत्रालय--सिंगापुर, कुआला लम्पुर और कोलम्बो।

2. श्री ए० के० सेन, विधि मंत्री--छह लातीनी अमरीका के देश, अर्थात् कोलम्बिया, मेक्सिको सिटी, पनामा, पेरू, वेनेजुला और वेस्ट इन्डीज़ के दो देश, अर्थात् जमेका और ट्रिनिडाड और घना।

3. श्री एस० के० पाटिल, रेल मंत्री--संयुक्त राज्य अमरीका और लातीनी अमरीका।

(ग) ये यात्राएं उपयोगी सिद्ध हुई हैं और इनसे अच्छी समझ-बूझ बढ़ी है तथा चीन और पाकिस्तान के बारे में भारत की स्थिति और नीति की सराहना की गई है; इसके साथ ही जिन देशों की यात्रा की गई, उनकी सरकारों और नेताओं को शांति तथा शांतिपूर्ण आर्थिक विकास के विषय में हमारी इच्छा से अवगत करा दिया गया और उन्हें यह भी बता दिया गया कि हमने अपने प्रदेश की रक्षा करने तथा लोकतंत्रीय ढंग से रहने का दृढ संकल्प कर रखा है।

भारतीय राज्य क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण

*109. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :
श्री बागडी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री किशन पटनायक :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जं० व० सिं० बिस्ट :
श्री हेडा :
श्री काजरोलकर :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री दे० द० पुरी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 सितम्बर, 1965 से लेकर अब तक चीन ने भारतीय राज्य क्षेत्र तथा सिक्किम और भूटान में अनेक बार सैनिक अतिक्रमण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5086/65।**]

पाकिस्तानियों द्वारा किए गए अत्याचार

*110. **श्री शं० ना० चतुर्वेदी :**
। स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री पाकिस्तान के साथ हाल में हुये संघर्ष में पाकिस्तानियों द्वारा किये गये अत्याचारों का अर्थात् असैनिक जनता पर बम गिराना, नेपाम बमों का प्रयोग, बंदियों के साथ दुर्व्यवहार तथा इसी प्रकार के अन्य कृत्य जो अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का स्पष्ट उल्लंघन है, एक विवरण सभा-पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये सभी बातें संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व की अन्य सरकारों को बता दी गयीं हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5087/65।**]

विदेशों द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता

*111. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० के० देव :

श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मोहसिन :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री काजरोलकर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री राम सेवक यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री टे० सुब्रह्मण्यम :
डा० रानेन सेन :
श्री दी० न० भट्टाचार्य :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांति :
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पाराशर :
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री हेमराज :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान को किसी देश से कोई सैनिक सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या है और इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : ऐसी खबरें रही हैं कि पाकिस्तान को कुछ देशों से कुछ फौजी सामान प्राप्त हुआ है लेकिन इस सूचना की सच्चाई के बारे में अभी जांच की जानी है।

लैटिन अमरीकी देशों के साथ वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक संबंध

*112. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री मोहसिन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लैटिन अमरीकी देशों के साथ वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में स्थित हमारे कुछ मिशनों में वाणिज्यिक कार्यालय खोलकर, व्यापार करार करके, सम्मिलित औद्योगिक संस्थानों में सहयोग देकर, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेकर, विद्वानों द्वारा एक-दूसरे देश की यात्रा से, भारतीय अध्ययन के विभागों की स्थापना करके, पारस्परिक छात्रवृत्ति की योजनाओं से, कलात्मक वस्तुएं आदि भेंट करके वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने का विचार है।

चीन द्वारा तीसरा परमाणु विस्फोट

*113. श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री काजरोलकर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन द्वारा तीसरा परमाणु विस्फोट करने के प्रस्ताव के बारे में चीन के विदेश मंत्री की घोषणा की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) भारत सरकार ने चीन के विदेश मंत्री के इस वक्तव्य की रिपोर्ट देखी है कि चीन जल्दी ही तीसरे एटमी हथियार (न्युक्लियर डिवाइस) का विस्फोट करेगा।

(ख) भारत सरकार ने चीन द्वारा एटमी हथियारों से लैस होने के प्रयासों की बराबर निंदा की है जिससे विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरा होगा और आणविक निरस्त्रीकरण की प्रगति को गहरा धक्का पहुंचेगा। सरकार एटमी हथियारों का फैलाव रोकने के उपायों पर समझौता कराने का बराबर प्रयास का रही है।

तारिक अब्दुल्ला

*114. श्री जं० व० सिं० बिष्ट :
श्री दे० द० पुरी :
श्री काजरोलकर :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बड़े :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि शेख अब्दुला के पुत्र श्री तारिक अब्दुला को संयुक्त राष्ट्रसंघ महा सभा के लिये पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है;

(ख) क्या उसके पास भारतीय पारपत्र है अथवा पाकिस्तानी पारपत्र; और

(ग) क्या उसका पारपत्र निर्धारित अवधि समाप्त होने पर और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में राष्ट्रसंघ में जाने से पहले नया किया गया था या उसने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया है ?

वदशिक-कार्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उनके पास भारतीय पासपोर्ट था जो 16 अक्तूबर, 1965 को रद्द कर दिया था। यह नहीं मालूम कि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या नहीं।

(ग) जी नहीं। उनका पासपोर्ट 1963 में स्वीकृत किया गया था परंतु पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में न्यूयार्क जाने के लिए नहीं। यह नहीं मालूम कि उन्होंने भारतीय नागरिकता त्याग दी है।

अफ्रीका और लैटिन अमरीका में चीन का भारत विरोधी प्रचार

*115. **श्री बृजराज सिंह :**

श्री ओंकार लाल बरवा :

श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी और लैटिन अमरीकी देशों में चीन के भारत विरोधी प्रचार का निराकरण करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) विदेश-स्थित अपने मिशन भारत के विरुद्ध चीनी प्रोपेगन्डा का बराबर ध्यान रखते हैं और जब कभी मौका होता है उसका प्रतिकार करते हैं। अफ्रीका और लातीनी अमरीकी देशों में भारत का दृष्टिकोण समाचार बुलेटिनों, पम्फ़लेटों, विवरणिकाओं (ब्रोशर), फ़िल्मों के माध्यम से और व्यक्तिगत संपर्क द्वारा प्रचारित किया जाता है। इनके अलावा, अपने मिशनों के प्रमुखों ने स्वयं अन्य देशों के शासनाध्यक्षों और विदेश कार्यालयों को अपना दृष्टिकोण समझाया है। इस समय एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दृष्टिकोण को समझाने के लिए पूर्व अफ्रीका की सद्भावना यात्रा पर भी गया हुआ है। एसे ही प्रतिनिधिमंडल अफ्रीका के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। हाल ही में मंत्रिमंडल के दो वरिष्ठ सदस्य भी कई लातीनी अमरीकी देशों का दौरा करके लोटे हैं जो इसी उद्देश्य से वहां गए थे।

(ख) विदेशों में हमारे मिशनों ने जो उपाय बरते हैं, उनके कारण अब भारत के दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा रहा है।

रोडेशिया के लिये राष्ट्र मंडल का शान्ति प्रतिनिधिमंडल

*116. **डा० रानेन सेन :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री काजरोलकर :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने रोडेशिया के लिये राष्ट्र मंडल का एक शांति प्रतिनिधिमंडल बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल का क्या उद्देश्य है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। लेकिन यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया क्योंकि इयान स्मिथ की सरकार को यह मंजूर नहीं था।

(ख) इसका उद्देश्य तमाम स्थिति की पड़ताल करना तथा आजादी की इकतरफा घोषणा के सवाल पर रोडेशिया की सरकार और जनता पर राष्ट्रमंडल का पूरा असर डालना था।

(ग) भारत सरकार ने प्रस्ताव को पसंद नहीं किया क्योंकि यह ज़िम्मेदारी रोडेशिया में औपनिवेशिक सत्ता के रूप में, युनाइटेड किंगडम सरकार की थी कि वह अल्पसंख्यक जाति के बसने वाले लोगों की सरकार द्वारा आज़ादी की इकतरफा घोषणा को रोके--राष्ट्रमंडल के सदस्यों ने तो पहले ही इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर दिए थे।

तारिक अब्दुल्ला

*117. **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री मधु लिमये :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री तारिक अब्दुला को इंग्लैंड में अपने अध्ययन तथा खर्च के लिये भारत सरकार से सहायता मिलती रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर कुल कितनी राशि विदेशी मुद्रा में व्यय की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रावलपिंडी में भारतीय वाणिज्य दूत के साथ दुर्व्यवहार

*118. **श्री मोहसिन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रावलपिंडी में भारतीय वाणिज्य दूत के साथ हाल में पाकिस्तान सरकार ने दुर्व्यवहार किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया है और कहा है कि परेशान करने की सब तरह की कार्रवाइयां बंद की जाएं।

अरब देशों द्वारा भारत का समर्थन

*119. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध किये गये युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया के किन किन अरब देशों ने भारत के पक्ष का समर्थन किया था;

(ख) उनमें से पश्चिम एशिया के किन अरब देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया;

(ग) उनमें से कौनसे देश तटस्थ रहे;

(घ) सितम्बर में हुए युद्ध के दौरान भारत स्थिति अरब लीग का क्या रुख रहा; और

(ङ) क्या इस स्थिति के कारण भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अरब लीग के उन देशों के प्रति अपनी विदेशी नीति के संबंध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ?

वैदशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ): भारत सरकार यह जान कर प्रसन्न है कि वर्तमान भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पश्चिमी एशिया के देशों का रवैया निष्पक्ष रहा बल्कि भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा जैसा कि कसब्लांका में हुए अरब शिखर सम्मेलन की विज्ञाप्ति से स्पष्ट है। तथापि, जार्डन के पक्षपातपूर्ण रवैये से सरकार चिंतित है अत: अरब लीग अरब राजाओं और देशों के प्रमुखों का अनुसरण करेगी। महा सचिव भारत के रवैये से पूर्णतया परिचित है।

अरब देशों के प्रति भारत की नीति अरब और भारतीय जनता के बीच परम्परागत मैत्री-पूर्ण सम्बन्धों पर आधारित है। सरकार इस नीति में परिवर्तन करना आवश्यक नही है। तथापि भारत के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिये निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।

श्रीनगर तक टेलेक्स सेवा

227. श्री राम हरख यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर तथा देश के अन्य भागों के बीच स्वचालित टेलेक्स सेवा प्रारम्भ करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब से आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) उक्त टेलेक्स सेवा 1966 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

मध्य प्रदेश में प्रादेशिक सेना

228. श्री राम हरख यादव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रादेशिक सेना को सबल बनाने से सम्बधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) इस समिति के कार्य तथा कार्यकाल क्या हैं; और

(घ) क्या देश के अन्य राज्यों के लिए भी ऐसी ही समितियां बनाई गई हैं अथवा निकट भविष्य में बनाई जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

चेयरमेन

मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश।

डिप्टी चेयरमेन

राज्य मंत्री कृषि विभाग, मध्य प्रदेश।

सरकारी सदस्य

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार ।
2. चेयरमेन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मध्य प्रदेश, जबलपुर ।
3. जनरल अफसर कमांडिंग, मध्य प्रदेश क्षेत्र ।
4. जनरल मैनेजर, भिलाई फौलाद प्रायोजना, डा० भिलाई मध्य प्रदेश ।
5. जनरल मैनेजर, हवी इलैक्ट्रिकल्ज़ इंडिया लि०, भोपाल ।
6. विकास कमिशनर, मध्य प्रदेश ।
7. सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ।
8. सहायक निर्देशक, प्रादेशिक, सेना, मुख्यालय केन्द्रीय कमांड, लखनऊ ।

गैर सरकारी सदस्य

1. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, संसद सदस्य ।
2. श्री श्याम चरण शुक्ल, सदस्य विधान सभा ।
3. श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा ।
4. श्री पंचम सिंह, सदस्य विधान सभा ।

सचिव

जनरल स्टाफ अफसर, मुख्यालय, मध्य प्रदेश क्षेत्र ।

(ग) समिति के गैर सरकारी सदस्यो का नियुक्ति-कार्यकाल दो वर्ष है । समिति के कार्य हैं :—

(1) प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहन देना; और

(2) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास तथा प्रशिक्षण संबंधी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार करना ।

(घ) प्रादेशिक सेना के लिए राज्य सलाहकार समितिएं दूसरे राज्यों के लिए भी गठित की गई हैं । दो वर्ष का उनका अवधिकाल पूर्ण होने के पश्चात्, यह समय समय पर पुनस्संगठित की जाती हैं ।

काफी बागानों के लिये मजूरी बोर्ड

229. **श्री राम हरख यादव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफ़ी बागानों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) उस सरकारी संकल्प की प्रतियां जिसमें बोर्ड की सिफ़ारिशों का सार दिया गया है और सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति की घोषणा की गई है, सभा की मेज़ पर 22 सितम्बर, 1965 को रख दी गई थीं ।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से बोर्ड की सिफ़ारिशें लागू कराने के लिए प्रार्थना कर गई है ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों के वेतनादि

230. **श्री कोल्ला वेंकेया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरिक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के वेतनादि के वर्गीकरण में विद्यमान कुछ असंगतियों की और सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे असंगतियां क्या है; और

(ग) सरकार ने उनके बारे में क्या कार्यबाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : भेद अपास्त करने के लिये अथवा अन्तर्गस्त अर्हताओं तथा कर्तव्यों के कारण, रक्षा सिञ्बन्दियों में असैनिक नियुक्तियों के वेतनमानों में परिशोधन के लिये पिछले कुछ वर्षों में सरकार को बहुत से सुझाव प्राप्त हुए थे, और उन पर विचार किया गया था। इस संबंध में समेकित सूचना सहज प्राप्य नहीं है। इस सूचना को इकट्ठा करना वांछित नहीं समझा गया है, क्योंकि इस में अंतर्गस्त श्रम और व्यय प्राप्त हुए परिणाम के अनुरूप न होगा।

केरल में जीवन निर्वाह व्यय देशनांक

231. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में ही एरणाकुलम के मजदूर संघों से ज्ञापन मिला है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि केरल में जीवन निर्वाह व्यय देशनांकों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन पत्तन कार्यकर्ता

232. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन कर्मचारी संघ तथा कोचीन पत्तन श्रमिक संघ ने पतन अधिकारियों को अपनी मांगों का कोई ज्ञापन हाल में ही दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) मांगे अनियत मजदूरों को स्थायी बनाने, वर्कचारज्ड कर्मचारियों का स्थायी प्रतिष्ठानों में स्थानावरण, जीवन की अत्यावश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य (साहाय्य प्राप्त दरें) पर सप्लाई, वर्दियों की सप्लाई, ठेका श्रमिकों की समाप्ति, आवास ऋण योजना, पतन और वर्कशाप का विस्तार, अस्पताल सहायता, पतन न्यास के मजदूरों के बच्चों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र, बोनस, परिवहन सुविधाएं, हाजिरी भत्ते में वृद्धि और पत्तन प्राधिकारियों द्वारा छुट्टी रिजर्व की नियुक्ति के बारे मे हैं।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी ने हस्तक्षेप किया और सौहार्दपूर्ण समझौता करा दिया।

केरल में भूतपूर्व सैनिकों की बेदखली

233. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैयानाड, केरल की 'अम्बलवायल' बस्ती से भूतपूर्व सैनिकों को बेदखल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बस्ती के भूतपूर्व सैनिकों ने अधिक भूमि की मांग की है; और (ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना केरल सरकार से इकट्ठी की जा रही है, और प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

M. Ps'. Participation in A.I.R. Programmes

234. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state the names of Members of Parliament who were invited by All-India Radio to participate in their different programmes during the period between 1st April, 1965 and 31st October, 1965 and the dates on which they were so invited ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र पर भारत का कब्जा

235. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में हमारी सशस्त्र सेनाओं के अधिकार में आये हुए पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र में कितने पाकिस्तानी लोग अभी तक रहते हैं ; और

(ख) इन व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : पाकिस्तान में सशस्त्र सेनाओं के अधिकार में आये क्षेत्र में आबादी नहीं के बराबर है । राहत के उपाय संगठित करने का, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता । चन्द एक वृद्ध और अशक्त व्यक्ति रह गए थे, जिन की सैनिक युनिटों द्वारा देखभाल की जा रही है ।

सुच्चा सिंह के विरुद्ध प्रत्यर्पण कार्यवाही

236. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुहम्मद कोया :
श्रीमती रेणुका बड़रूटकी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुच्चा सिंह को जिस पर कैरों की हत्या करने का सन्देह है, नेपाल से भारत में लाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या से संबंध सुच्चा सिंह के प्रत्यर्पण के मुकदमे में इस्तगासे की गवाही समाप्त हो चुकी है। उसके बचाव पक्ष की गवाहियों से कमीशन पर बयान लिये जा रहे हैं।

तेल समवायों के कर्मचारी

237. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में काम कर रहे तेल समवायों के विरुद्ध पेट्रोल-कर्मचारियों की शिकायतों का अध्ययन करने के लिये त्रिदलीय समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं तथा जांच का क्षेत्र क्या है; और

(ग) समिति का प्रतिवेदन सरकार को कब उपलब्ध होने की आशा है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) समिति के सदस्य इस प्रकार हैं :—

1. श्री आर० एल० मेहता, ... अध्यक्ष
   अतिरिक्त सचिव,
   श्रम और रोज़गार मंत्रालय।
2. श्री एस० के० गुहा,
   सह सचिव,
   पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय।
3. श्री एस० के० पारथासार्थी,
   बर्मा-शेल आयल कम्पनी।
4. श्री पी० सी० मेहता,
   काल्टेक्स (इंडिया) लि०।
5. श्री राजा कुलकरनी,
   प्रधान मंत्री,
   नेशनल फेडरेशन आफ पैट्रोलियम वर्कर्स।
6. श्री जी० सुंदरम,
   प्रधान मंत्री,
   आल इंडिया पैट्रोलियम वर्कर्स फेडरेशन।

त्रिपक्षीय समिति तेल कम्पनियों में जांब सिक्योरिटी और कर्मचारियों की छंटनी के सारे प्रश्न पर विचार करेंगी।

(ग) 31 दिसम्बर, 1965।

राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये चन्दा

238. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागडी :
श्री बासप्पा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कपूर सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सरोजिनी महिषी :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री कोल्ला वेंकेया :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1965 से जब कि, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था अब तक राष्ट्रीय रक्षा कोष में कितना धन तथा स्वर्ण जमा हुआ है;

(ख) इसका किस प्रकार उपयोग किया गया है; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये की गई पुरानी व्यवस्था के अधीन ही इस कोष का प्रबन्ध रखा जा रहा है अथवा इसमें कोई फेर बदल किया गया है और यदि हां, तो क्या ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ती मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) राष्ट्रीय रक्षा कोष में 1 सितम्बर, 1965 से 31 अक्तूबर, 1965 तक निम्नलिखित अंशदान प्राप्त हुए :—

(1) नकद . .	4.23	करोड़ रुपये
(2) स्वर्ण तथा स्वर्ण के आभूषण	7,581	ग्राम
(3) चांदी तथा चांदी की वस्तुएं . .	15,121	ग्राम

(ख) राष्ट्रीय रक्षा कोष सन् 1962 से अस्तित्व मे है और अब तक इकट्ठी की गई रकम में से करीब आधी मुख्यत: रक्षा सामग्री खरीदने में और सशस्त्र सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण पर खर्च की गई है, जिसमें अवकाश-प्राप्त सैनिकों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन भी सम्मिलित हैं।

(ग) कोष के प्रशासनिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

सैनिक चिकित्सा सेवा

239. **श्री गोकुलानन्द महंती :**

श्री बालकृष्णन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक चिकित्सा सेवा में 5 अगस्त, 1965 से कुल कितने नये कर्मचारी भर्ती किये गये हैं;

(ख) उनको क्या विशेष रियायतें दी गई हैं; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति बुलाये जाने पर भर्ती हुए तथा कितने व्यक्तियों ने अपनी सेवायें स्वेच्छा से अर्पित कीं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 5 अगस्त 1965 से 48 डाक्टर और 10 नर्में सैनिक चिकित्सा में और सैनिक नर्सिग सेवा में शामिल हुए है।

(ख) 5 अगस्त 1965 के पश्चात् सेवा में दाखिल होने वालों को कोई विशेष सुविधाएं देने का वचन नहीं दिया गया। तदपि, जैसे कि संलग्न विवरण में दिया गया है, सैनिक चिकित्सा कोर में आपाती कमीशन दिए जाने वाले डाक्टरों को कई सुविधाएं देय हैं।

वर्तमान आपात स्थिति के दौरान सैनिक चिकित्सा कोर में कमीशनें पाने वाले डाक्टरों को निम्न सुविधाएं देय हैं :—

(i) राज्यों से पुनर्नियुक्त डाक्टरों को उदारतापूर्वक साढ़े छः वर्ष तक की अवधि की पूर्व तिथि सहित सैनिक चिकित्सा कोर में आपाती कमीशनें दी जा रही हैं।

(ii) उन डाक्टरों के लिए जो आपात स्थिति के दौरान शामिल हुए हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर वह अन्यथा अधिकारी हों, वह स्थायी कमीशनों के लिए विभागीय तथा यू० पी० एस० सी० परीक्षाओं में बैठ सकें।

(iii) राज्यों से ए० एम० सी० में पुनर्नियुक्त डाक्टरों का वेतन, अगर सैनिक वेतन से अधिक हो, तो उसे सुरक्षित किया गया है।

(iv) ए० एम० सी० में सम्मिलित हो रहे डाक्टरों के लिये केन्द्रीय तथा अन्य राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में 50 प्रतिशत रिक्त स्थान सुरक्षित रखने के लिय सरकार ने आवश्यक उपाय कर दिए हैं।

(v) सेना से विमुक्ति पर सैनिक सेवा, उनके असैनिक सेवा में उच्चतर नियुक्तियों, वरीयता, तथा वेतन में तरक्की के उद्देश्यों के लिये, गण्यमानी जाएगी।

(vi) जो ए० एम० सी० में सेवा करते हैं, स्थायी असैनिक नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए उन्हें आयु सीमा में छूट दी जा रही है।

(vii) राज्यों से पुनर्नियुक्त डाक्टरों के लिए असैनिक अस्थायी स्थायी/नियुक्तियों में उनके धारणाधिकार रखे जाते हैं।

(viii) सेना से विमुक्ति पर राज्यों के डाक्टरों को अपने विभाग में आगे पदोन्नति के लिये पात्र माना गया है।

(ग) उपरोक्त (क) के डाक्टरों तथा नर्सों ने अपनी सेवाएं स्वतः भेंट की हैं। केन्द्रीय चिकित्सा सेवा तथा विभिन्न राज्यों के डाक्टरों के लिए सेवा के प्रथम 10 वर्षों में 4 वर्षों के लिए अधिकाधिक 45 वर्ष की आयु सीमा तक ए० एम० सी० में शामिल होने संबंधी एक अनिवार्य सेवा-दायित्व योजना पुरस्थापित करने के लिये पग उठाए गए हैं। जब यह योजना सम्पूर्णतः कार्यान्वित की जाएगी कौर में दाखिल होने को और अधिक डाक्टर प्राप्य हो जाएंगे।

Opinions on Pak Attack

240. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to publish the views of leading countries, foreign individuals and newspapers which had supported India at the time of recent Pakistani attack, in a book form ;

(b) if so, in which languages and the number of copies proposed to be printed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Some of these views and comments are being brought out in a booklet form. Besides this booklet, favourable comments are being continuously used in a number of our periodicals and pamphlets being brought out from time to time.

(b) To begin with, this booklet will be printed and distributed in English. Later on, we are planning to translate this booklet in various important foreign languages also.

(c) Does not arise.

इंडोनेशियाई समाचार अभिकरण द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

241. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डोनेशिया के सरकारी समाचार अभिकरण, अन्तारा पाकिस्तान द्वारा आक्रमण आरम्भ किये जाने के समय से ही भारतविरोधी प्रचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका खण्डन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जकार्ता-स्थित हमारा राजदूतावास अन्तारा के संपादक को पत्र भेजकर, बंटन जारी करके और लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके इन्डोनेशिया में भारत-विरोधी प्रचार का खंडन कर रहा है । हमने इस मामले को नई दिल्ली-स्थित इन्डोनेशियाई राजदूतावास के साथ भी उठाया है । कुछ समय हुआ, इन्डोनेशिया के राजदूत से कहा गया था कि वह इन्डोनेशिया की अन्तारा नामक सरकारी समाचार एजेंसी के भारत-विरोधी प्रचार के विषय में इन्डोनेशिया सरकार से कहे कि भारत सरकार इसपर गंभीर चिंता व्यक्त करती है ।

संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट विमानों का निर्माण

242. श्री श्रीनारायण दास : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बागड़ी : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री मधु लिमये : **श्री न० प्र० यादव :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से एच० एफ०-24 सुपर सॉनिक जेट विमानों के निर्माण के मामले में कोई और प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख) : तकनीकी अफसरों का एक दल अक्तूबर 1965 में यू० ए० आर० भेजा गया था। दल लौट आया है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

ताशकन्द में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत

243. **श्री श्रीनारायण दास :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री काजरोलकर :
श्री राजेश्वर पटेल :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के प्रधान मंत्री के इस सुझाव को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त हो गया है, कि भारत और पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष दोनों देशों के बीच विद्यमान विवादों के बारेमें बातचीत करने के लिये सोवियत राज्यक्षेत्र में ताशकन्द में मुलाकात करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मुलाकात के कब होने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सोवियत प्रेस ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के उत्तर के संबद्ध अंश को इन शब्दों में दिया था :

सोवियत भूमि पर भारत के प्रधान मंत्री के साथ बैठक करवाने के कोसिगन के प्रस्ताव पर उन्हें धन्यवाद देते हुए, राष्ट्रपति अयूबखां ने अपना यह मत प्रकट किया कि इसके लिए पहले आधार तयार कर लेना आवश्यक है। उनके ख्याल से यह काम पहले सुरक्षा परिषद में किया जा सकता है जहां कि भारत-पास्किातान के विवाद पर इस समय विचार हो रहा है।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

244. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की गोदियों के श्रमिक संघों की सदस्यता सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं और उनकी जांच पड़ताल की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) क्या अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक संधान की कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की पुनर्गठन करने से सम्बन्धित मांग पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के पुनर्गठन की मांग पर कलकत्ता गोदियों के श्रमिक संघों की सदस्यता सम्बन्धी अंतिम प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध होने पर विचार किया जायगा।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

245. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :

क्या **प्रधान मंत्री** 13 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवशिष्ट राज्य नागरिक परिषदों से, जिन्हें राष्ट्रीय रक्षा कोष में से धन दिया गया था, इस बीच लेखा-परीक्षित लेखे प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों तथा लोगों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन संग्रह करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक संघर्ष की सचाई

246. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बागड़ी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हिम्मतसिंहका :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों में आकाशवाणी द्वारा देश में तथा विदेश में भारत-पाक संघर्ष की सचाई प्रकट करने के लिए पर्याप्त तथा समयानुकुल कदम उठाय गये थे, और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में पाकिस्तान के हमले से उत्पन्न स्थिति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आकाशवाणी के प्रसारणों की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या अेल० टी० 5088/65।]**

समाचार-पत्रों की टिप्पणियों, देश के विभिन्न भागों के श्रोताओं से प्राप्त अनेकों पत्रों, विभिन्न विचार धाराओं के व्यक्तियों द्वारा प्रकट किए गए विचारों और अनेक अखबारों और व्यक्तियों की आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समीक्षाओं और फ़ीचरों की स्क्रिप्टों की मांगों से यह जाहिर होता है कि भारत-पाक संघर्ष की अवधि के दौरान आकाशवाणी द्वारा जो कदम उठाए गए उनसे सभी लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों पर व्यय

247. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री कृ० चं० शर्मा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हेडा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में नियुक्त तथा भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात किये गये नये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों पर होने वाले व्यय को देने के लिए भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई वचन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल कितना व्यय होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क)और (ख) : भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को सुचना दी है कि चूँकि भारत पर हमला हुआ है, इसलिए उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उप-महाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक का नया दल भेजे जाने के परिणाम-स्वरूप खर्च को बर्दाश्त करेगी और उसने इस दिशा में अपनी स्थिति को सुरक्षित रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास भारत के स्थायी प्रतिनिधि से प्राप्त 5 अक्तूबर 1965 के पत्र की एक प्रति पहले ही सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार तीन महीने की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र भारत-पाकिस्तान प्रेक्षक मिशन पर कुल अनुमानित खर्च लगभग 1,645,000 डालर आएगा और एक वर्ष की अवधि के लिये भारत-पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल को सुदृढ़ करने पर लगभग 20 लाख डालर खर्च आएंगे।

दिवाकर समिति का प्रतिवेदन

248. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री उमानाथ :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

श्री रवीन्द्र वर्मा **श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे समाचार पत्रों की दशा के बारे में दिवाकर समिति का प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो उनकी विशेषकर जिला आधार पर, छोटे समाचार पत्रों संबंधी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : यह रिपोर्ट जो सरकार को 20 अक्तूबर को प्राप्त हुई थी छापी जा रही है और इसकी एक प्रति जल्दी ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी । सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाने से पहिले सरकार को सावधानी से इसका अध्ययन करना जरूरी है ।

दिल्ली में बेरोजगारी

249. **श्री राम हरख यादव :** **श्री बागड़ी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री रामसेवक यादव :**

श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री मधु लिमये :**

श्री हिम्मत सिंहका : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बेरोजगारी बढती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या मार्गोपाय अपनाये है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) नियुक्ति सहायता के लिए, दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है ।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं के आधीन चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के कारण जिनमें साल-ब-साल ज्यादा से ज्यादा पुंजी लगाई जा रहा है, बेरोजगारी की समस्या कम होने की आशा है। दिल्ली में प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है ताकि पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। इनमें से अधिकांश न तो किस काम का अनुभव रखते हैं और न ही प्रशिक्षित होते हैं ।

आयुध कारखानों के कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन-बोनस

250. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों के कुछ कर्मचारीयों को प्रोत्साहन-बोनस दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या शिल्पियों की प्रत्यक्ष रूप से सहायता करने वाले कर्मचारियों को यह बोनस नहीं दिया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) आयुध कारखानों में कुशल और अर्धकुशल वर्गों के, आवश्यक संधारण कार्मुकों को प्रोत्साहन बोनस दिया जा रहा है ।

(ख) 17-4-1964 से ।

(ग) कुशल और अर्धकुशल वर्गों के, वह आवश्यक संधारण कार्मुक, जिनका उत्पादन मशीनों को सक्षमता से चालू दशा में सन्धारण निमित्त, कारीगरों को सीधे सहायता देने में काफी हाथ होता है, यह बोनस प्राप्त करने के अधिकारी है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विशेष स्मृति डाक टिकट

251. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए भारत-पाक संघर्ष में देश के लिए अपना जीवन देने वाले जवानों तथा सेना के अफसरों का शानदार युद्ध दिखाने वाला विशेष डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) ऐसे कितने डाक-टिकट जारी करने का विचार है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) 26 जनवरी, 1966 ।

(ग) एक ।

नये ट्रांसमिटरों का लगाया जाना

252. श्री स० मो बनर्जी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेवसिंह सिद्धांती :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के सम्बन्ध में क्या अग्रेसर प्रगति हुई है; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) शक्तिशाली ट्रांसमीटरों के हासिल करने और उनके लगाने में अब तक जो प्रगति हुई है, वह इस प्रकार है :—

(1) 1000 किलोवाट का एक मीडियम वैव ट्रांसमीटर की सप्लाई करने और उसके लगाने में शिल्पिक सहायता देने सम्बन्धी करार पर भारत सरकार और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कारपोरेशन

"प्रोमाशेक्सपोर्ट", मास्को के बीच 26 अक्तूबर, 1965 को हस्ताक्षर किए गए। प्रोजेक्ट के डिजाइन पर रूसी विशेषज्ञों से बात चीत पूरी हो गई है और ट्रांसमीटर लगाने के लिए कलकत्ता के निकट स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है। रूसी विशेषज्ञों की सहायता से स्थान पर आरंभिक जांच हो रही हैं। ट्रांसमीटर के यंत्रादि 1967 की दूसरी छमाही में प्राप्त हो जाएंगे।

(2) 1000 किलोवाट के एक अन्य मीडियम वेव ट्रांसमीटर की सप्लाई करने के लिए सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक ने मेसर्स इनवैस्ट इम्पोर्टस, बैलग्रेड, यूगोस्लविया को 1 अक्तूबर, 1965 को एक आग्रिम आर्डर दिया है। इसके यंत्रादि 1967 के अंत तक प्राप्त हो जाएंगे। इस ट्रांसमीटर के सौराष्ट्र में लगाने की जगहों का सर्वे हो रहा है।

(3) 100 किलोवाट का एक शार्टवेव ट्रांसमीटर आस्ट्रेलिया से हासिल किया जा रहा है और इसके लिए आवश्यक आर्डर 4 सितम्बर, 1965 को दे दिया गया है। यह सामान आर्डर देने के 8 सप्ताह के भीतर भेज दिया जाएगा।

(4) 250 किलोवाट के दो शार्टवेव ट्रांसमीटर सप्लाई करने के लिए टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक उन्हें प्राप्त करने की शर्तों पर बात चीत कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

डाक तथा तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संस्थान

253. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा किये गये हमले के दौरान सरकार का निशर्त समर्थन करने का आश्वासन डाक तथा तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संस्थान ने दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक तथा तार कर्मचारियों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में कुछ राशि दान दी है; और

(ग) क्या उन्होंने कोई समयोपरि भत्ता लिये बिना ही अधिक काम करने की इच्छा व्यक्त की थी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) 6 नवम्बर, 1965 तक प्राप्त सूचना के अनुसार डाक-तार कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में 3.68 लाख रुपये से भी अधिक रकम का दान दिया जा चुका है और लगातार और भी अंशदान दिया जा रहा है।

(ग) इस सम्बन्ध में कुछ यूनिटों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

जकर्ता में भारतीय दूतावास के कर्मचारी

254. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जकर्ता में अपने दूतावास से कोई रिपोर्ट मिली है कि इण्डोनेशिया के दूतावास के अधिकारी तथा अन्य भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं ; और

(ख) क्या हाल में ही इण्डोनेशिया में सत्ता उलटने के समय भारतीय दूतावास अथवा भारतीय निवासियों की सम्पत्ति को भी कोई नुकसान पहुंचा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय राजदूतावास की अथवा वहां रहने वाले भारतीयों की जायदाद को कोई नुकसान होने की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा प्रचार

255. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित पाकितानी उच्चायोग ने हाल ही में अपना भारत-विरोधी प्रचार तेज़ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान का हाई कमीशन आमतौर से भारत विरोधी प्रचार करता रहा है ।

(ख) इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक क़दम उठाए गए हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन तथ्यों को ग़लत ढंग से न रखने पाए । भारत सरकार ने जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा भारतीय जनता को वास्तविक तथ्यों से अवगत रखने के लिए भी उपाय करते हैं ।

जकर्ता में भारतीय दूतावास

256. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 सितम्बर, 1965 को जकर्ता में भारतीय दूतावास के सामने किये गये प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप हुई क्षति के लिए इण्डोनेशियाई सरकार से कोई क्षतिपूर्ति मांगी गयी है; और

(ख) इण्डोनेशियाई सरकार ने इसमें से कितना धन दे दिया है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) आंकने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कतिपय समाचार पत्रों में भारत विरोधी प्रचार

257. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी समाचारपत्रों के कुछ प्रतिनिधि अपने समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में भारत-विरोधी सामग्री प्रकाशित करते हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि हाल में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उन्होंने भारत की असैनिक जनता पर पाकिस्तान द्वारा बम गिराये जाने का समाचार प्रकाशित नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि कुछ विदेशी समाचार-पत्रों ने, जिनके प्रतिनिधि भारत में रहते हैं, भारत के पक्ष को पूरी तरह से नहीं समझा है। कुछ ने तो अपनी रिपोर्ट देने में भारत-विरोधी रुख अपनाया है।

(ख) असैनिक आबादी पर पाकिस्तान की बमबारी की कुछ खबरें विश्व के अखबारों में छपी हैं ।

(ग) अभी कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

काबुल में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

258. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० च० शर्मा

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काबुल में पाकिस्तानी दूतावास दूषित भारत-विरोधी प्रचार कर रहा है जिस से अफगानिस्तान के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को उकसाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसके विरुद्ध अफगान सरकार को कोई नोट भेजा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसी घटनाओं के विषय में मालूम हुआ है जबकि काबुल-स्थित पाकिस्तानी राजदूतावास ने अफ़गानिस्तान में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए भारत के विरुद्ध जबर्दस्त प्रचार किया है।

(ख) काबुल-स्थित हमारे राजदूतावासने अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय को एक नोट भेजा था जिसमें उसका ध्यान काबूल में पाकिस्तानी राजदूतावास द्वारा निर्लज्जतापूर्वक किए जाने वाले भारत-विरोधी प्रचार की ओर दिलाया गया था। हमारे राजदूत ने समाचार-पत्र एवं सूचना मंत्री से, जो अब प्रधान मंत्री हैं, व्यक्तिगत रूप से भी पास्कितानी राजदूतावास को संयुक्त रखने का अनुरोध किया है। हमारा राजदूतावास बुलेटिन और अन्य प्रकाशन जारी करके लोगों के सामने सही तथ्य रखने की बराबर कोशिश करता रहता है।

मध्य प्रदेश में डाकखाने

259. **श्री मरंडी** : **श्री बागड़ी** :
श्री भानु प्रकाश सिंह : **श्री मधु लिमये** :
श्री उटिया : **श्री यशपाल सिंह** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में मध्य प्रदेश में कितने नये डाकखाने खोले गये थे तथा 1965-66 तथा 1966-67 में कितने और खोले जाने की संभावना है ;

(ख) इसी अवधि में मध्य प्रदेश में कितने डाकखानों को उच्च श्रेणी का बनाया गया, अथवा बनाने का विचार है; और

(ग) इसी अवधि में किन स्थानों पर तार की सुविधायें मुहैया की गयी हैं अथवा करने का विचार है ?

संचार विभाग मे उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 64-65....169
65-66....329 }*
66-67....191 }

*65-66 में सितम्बर, 1965 के अन्त तक वास्तव में 32 डाकघर खोले गये थे। शेष डाकघरों और 66-67 के प्रस्तावित डाकघरों का खोलना कम खर्ची के कारण हाल ही में लगाये गए प्रतिबन्ध के हटा लिये जाने पर निर्भर करेगा।

(ख) 64-65....34
65-66....23**
66-67....27

**इनमें से सितम्बर, 1965 के अन्त तक वास्तव में 5 डाकघरों को पदोन्नत किया गया।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रख जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5170/65**।]

जापानी जीपों का आयात

260. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : **श्री बूटा सिंह** :
श्री गुलशन : **श्री म० रं० कृष्ण** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जापानी जीपों और ट्रकों आदि का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। जीपों के लिए रक्षा आवश्यकताएं सर्वश्री महीन्द्र एण्ड महीन्द्र से मिली जीपें, और डी०जी०ओ०एफ० से निस्सान पेट्रोल जीपें प्राप्त करके पूरी की जाती है। उपरोक्त का निर्माण डी० जी० ओ० एफ० द्वारा एक जापानी फर्म के सहयोग से किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा सामान का निर्माण

261. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेनाओं के सामान के लिए आवश्यक वस्तुओं को, विशेषतया वर्तमान संकटकाल के कारण, ठेके पर बनवाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कपड़े तथा जूतों के अतिरिक्त और क्या वस्तुएं ठेके पर बनाई जा रही हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) फ्यूजों, बम्बों, गोलों, प्रक्षेपकों, कार्बाइनों के अवयवों तथा बारूद के बक्सों और आधान-पात्रों के लिए असैनिक उद्योग को आर्डर भेज दिए गए हैं।

(ग) निर्माताओं ने इनमें मदों के उत्पादन में पर्याप्त रुचि व्यक्त की है, परन्तु अन्तर्ग्रस्त तकनीकी समस्याओं को सामने रखते हुए, ऐसा समय से कहीं पहले कहना होगा, कि नई मदों की हालत में, वह आवश्यक ब्योरे के अनुसार, मदों का कितना शीघ्र उत्पादन कर पाएंगे।

सिपाहियों का वेतन

262. **श्री प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, मलयेशिया, बर्मा और भारत में सिपाहियों को कितना वेतन (रुपयों में) मिलता है ;

(ख) इन देशों में तथा भारत में सिपाहियों की सेवा-निवृत्त होने पर कितनी पेंशन मिलती है ; और

(ग) इन देशों में तथा भारत में युद्ध में वीरगति प्राप्त सिपाहियों की विधवाओं को तथा काम करने के लिए असमर्थ होने वाले सिपाहियों को, यदि कोई पेंशन दी जाती है, तो कितनी?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : जहां तक भारतीय सेना के सिपाहियों का संबंध है सूचना नीचे दी गई है :—

(1) वेतन

वेतन-गुट	वेतनमान			
	चतुर्थ श्रेणी	तृतीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी
क .	—	109	119	127
ख	70	89	99	109
ग . . .	65	75	89	99
घ	60	65	75	89
ङ	—	60	65	70
च, छ तथा ज . .	—	55	60	65

प्रत्येक व्यक्ति को हर 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् 2.50 रुपये मासिक दर से, अधिकाधिक 10 रुपये मासिक वेतन में वृद्धि देय है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में एक सिपाही को असैनिक दरों के 2/3 के बराबर महंगाई भत्ता और (नगर) मुआवजा भत्ता निकटतम संपूर्ण रुपये तक मिलता है। उसे वह विभिन्न भत्ते और सुविधाएं भी प्राप्त हैं जो रक्षा मंत्रालय की 1964-65 की वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट ख में दी गई है।

(2) सेवा पेंशन

सेवा से विमुक्ति पर सेवा के सम्पूर्ण वर्ष	गुट क	गुट ख	गुट ग	गुट घ	गुट ङ	गुट च, छ तथा ज
वर्ष	रु० मासिक	रु० मासिक	रु० मासिक	रु० मासिक	रु० मासिक	रु० मासिक
15 . . .	30	24	22	20	18	17
16 .	32	25.50	23.50	21.50	19.50	18.50
17 . .	34	27	25	23	21	20
18 . .	36	28.50	26.50	24.50	22.50	21.50
19 . . .	38	30	28	26	24	23
20 . . .	40	31.50	29.50	27.50	25.50	24.50

1-10-1963 से 30 रुपये मासिक अथवा कम तथा 30 रुपये मासिक से अधिक पेन्शन पाने वाले पेन्शनरों को क्रमशः 5 रुपये और 7.50 रुपये मासिक पेन्शन में वृद्धि देय है। इसके अतिरिक्त जहां तदर्थ बढ़ौती सहित पेन्शन की दर 25 रुपये मासिक से कम हो, वहां उन सिपाही पेन्शनरों की हालत में 25 रुपये मासिक तक बढ़ा दी गई है, जो 1-1-64 अथवा उसके पश्चात सेवा से निवृत्त हुए/होंगे।

(3) उन सिपाहियों को देय विशिष्ट कुटुम्ब पेन्शनी पंचाट और नियोग्यता पेन्शन जो संक्रिया मे मारे जाएं या संक्रिया मे प्राप्त हुए घावों के कारण सेवा से नियोग्य किए जाएं।

साथ साथ, लोक सभा सदस्यों को ऐसे विवरण पहले ही वितरित कर दिए गए हैं, जिन में ऐसी हालतों में वर्तमान हकदारियां तथा उन हालतों में परिशोधित हकदारियां दी गई हैं जो पाकिस्तान के विरूद्ध संक्रियाओं में 5-8-65 अथवा उसके पश्चात् मारे गए, या संक्रिया में प्राप्त घावों के कारण नियोग्य हुए ।

जहां तक इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, मलयेशिया, बर्मा के सिपाहियों का संबंध है, आवश्यक सूचना प्राप्य नहीं है ।

सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता

263. **श्री प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना में अफसरों तथा अन्य वर्गों के सैनिकों को कितना महंगाई भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यह महंगाई भत्ता किस सिद्धान्त के आधार परनिश्चित किया जाता है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) महंगाई भत्ते की दरें जो एक मार्च 1965 से लागू हैं, इस प्रकार हैं :—

संगणनीय उपलब्धिएं	महंगाई भत्ता	
	कमीशन प्राप्त अफसर और कनिष्ठ आयुक्त अफसर/एम०डब्ल्यू०ओ०/डब्ल्यु ओ, जो कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर मानपदधारी हैं	सेना और उनके समतुल्य नौसेना तथा वायु सेना के कनिष्ठ आयुक्त अफसर और अवर श्रेणि सैनिक (लड़ाकों के अतिरिक्त) तथा गैरलड़ाकू (भर्ती शुदा)
110 से कम . . .	33	22
110 तथा उससे ऊपर परन्तु 150 से कम .	50	33
150 तथा उससे ऊपर परन्तु 210 से कम .	65	43
210 तथा उससे ऊपर परन्तु 400 से कम .	81	54
400 तथा उससे ऊपर परन्तु 1000 से कम .	90	60
1000 तथा उससे ऊपर	. वह राशि जो 1090 से कम पड़ती हो।	

(ख) रक्षा सेवाओं के कमीशन प्राप्त अफसरों को तथा सेना के कनिष्ठ आयुक्त अफसरों को और वायु सेना के वारेंट अफसरों/मास्टर वारंट अफसरों को जो कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर मानपदधारी हैं,

महंगाई भत्ता उसी दर पर दिया जाता है, जिस दर पर समतुल्य असैनिक, सरकारी कर्मचारियों को, और उन्हीं हालतों में। (लड़ाकों को छोड़ कर)। कमीशन प्राप्त अफसरों से निम्न रक्षा सेवाओं के सेवि वर्ग, और गैर लड़ाकू (भर्तीशुदा), असैनिक, सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं, परन्तु समय समय पर उन्हें मिलने वाले दरों के दो तिहाई दरों पर, निकटस्थ सम्पूर्ण रुपये तक। कम दर पर महंगाई भत्ता देने का कारण है, कि जीवन निर्वाह सूचकांक से यह सेविवर्ग उस सीमा तक प्रभावित नहीं होते जिस तक कि असैनिक सरकारी कर्मचारी क्योंकि उनकी सेवा की एक शर्त के तौर पर उन्हें द्रव्यों में कई सुविधाएं (या उनके बदले आर्थिक भत्ते) (जैसे कि खाद्यान्न, वास्य स्थान, वस्त्र, बाल बटाने/बाल साफ करने, और धुलाई सेवा, तथा सफाई) प्राप्त हैं।

संवाददाताओं की सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों से भेंट

264. **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों के संवाददाताओं को समय समय पर सैनिकों, नौसैनिकों तथा वायु सैनिकों से भेंट करने की अनुमति है; और

(ख) क्या ऐसी व्यवस्था अथवा प्रथा ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका में भी है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना प्राप्य नहीं है।

युद्ध संवाददाता

265. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत तथा अन्य किसी देश के बीच संघर्ष होने की स्थिति में युद्ध स्थल संबंधी समाचारों के भेजने की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया है;

(ख) क्या सरकार मान्यता प्राप्त युद्ध-संवाददाताओं का स्थायी दल बनाने की संभावना पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या प्रतिरक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के बीच अधिक तथा उत्तम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट पग उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) रक्षा मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच समन्वय में कोई कमी नहीं रही है। अतः इस हेतु क्या कदम उठाए जाएं, इस पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है। जो कदम विचाराधीन हैं, वे मोर्चे पर युद्ध संवाददाताओं को सुविधाएं देने के बारे में हैं।

पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग

266. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री बागड़ी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रथाराश :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेडा :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत को दिये गये आश्वासन के उल्लंघन में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमिरीकी हथियारों के प्रयोग के प्रश्न पर और पाकिस्तान द्वारा गैर-साम्यवादी देशों के विरुद्ध उन हथियारों के प्रयोग को रोकने के लिये अपेक्षित कार्यवाही करने के प्रश्न पर भारत सरकार ने अमरीका सरकार से बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इस सवाल को कई बार संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ उठाया गया है और पाकिस्तान ने अमरीका को आश्वासन देकर भी अमरीकी सहायता में प्राप्त हथियारों का भारत के खिलाफ़ जो अनुचित प्रयोग किया उसपर अमरीकी सरकार का ध्यान जोर देकर आकर्षित किया जा चुका है ।

परंतु स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ़ पाकिस्तान के आक्रमण में अमरीकी सहायता में प्राप्त हथियारों का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सका । जो भी हो, अमरीका ने पाकिस्तान को और हथियारों की सहायता देना बंद कर दिया है, और भारत सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि उसने "नाटो", "सेन्टो" और "सीटो" संधियों के अपने मित्र देशों से भी कहा है कि वे सैनिक सहायता अस्त्र पाकिस्तान को न दें ।

पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता

267. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1954 के सैनिक सहायता करार के अन्तर्गत पाकिस्तान को 1954-65 के बीच अमरीका से कितनी सैनिक सहायता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : पाकिस्तान जब से संयुक्त राज्य अमरीका तथा पश्चिमी गुट और एशिया की सैनिक संधियों में शामिल हुआ है, तब से उसे पर्याप्त मात्रा में सैनिक सहायता मिलती रही है । यह पता लगाना तो मुश्किल है कि पिछले ग्यारह वर्षों में उसे ठीक-ठीक कितने मूल्य की सहायता मिली है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान, दोनों ने ही सनिक सहायता के ब्यौरे को अत्यधिक गुप्त रखा है ।

फिर भी, अमरीका के अखबारों में, रेडियो और टेलीविज़न पर यदाकदा जो खबरें आती रही हैं, उनके अनुसार पाकिस्तान को क़रीब 2.5 बिलियन डालर (1250 करोड़ रुपए) के आसपास के मूल्य के अमरीकी हथियारों की सहायता मिली है ।

नागाओं तथा बर्मा के सैनिकों में मुठभेड़

268. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री बसुमतारी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1965 को सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल की मनीपुर-बर्मा सीमा के निकट बर्मा के सैनिकों से मुठमेड़ हो गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो बर्मा-मनीपुर सीमा पर विद्रोहियों की लूटमार रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) रिपोर्टें प्राप्त हुई है कि 19 सितम्बर को बर्मा सेना ने (बर्मा) में सीमा क्षेत्र में कुछ विद्रोही सशस्त्र नागाओं पर घात लगाई थी। संघर्ष में 30 विद्रोही मारे गये है।

(ख) उपरोक्त संघर्ष बर्मी क्षेत्र में हुए। तदपि, विद्रोही नागाओं द्वारा लूट मार बन्द करने के लिए भारत-बर्मा के अपनी और सुरक्षा सेनाओं द्वारा उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की फिल्म

269. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह भारत-पाकिस्तान संघर्ष के संबंध में फिल्म बनाने के लिये सुविधायें प्रदान करे; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए भारत सरकार क्या सुविधायें दे रही है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत के लिए जापान निर्मित नौसेना के जहाज

270. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने भारत के लिए नौसेना के जहाज़ बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) निकट भूतकाल में जापान से भारत में नौसैनिक जलपोतों के निर्माण के लिए कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिलांग में डाकघर की इमारत

271. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 सितम्बर, 1965 को शिलांग के डाकघर की इमारत को जला देने का प्रयत्न किया गया था;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां, 22/23 सितम्बर की रात को, 20 सितम्बर, 1965 की रात को नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) शिलाँग प्रधान डाकघर के एक क्लर्क पर यह शक है कि उसने सबूत को खत्म करने के लिए डाकघर की रजिस्ट्री शाखा में आग लगाने की कोशिश की। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दो बीमा वस्तुओं के ग़बन से सम्बन्धित नक़दी और अन्य सबूत, जिनसे वह अपराधी ठहराया जा सकता था, उसके मकान से बरामद किये गए हैं।

पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के दौरान हताहत व्यक्ति

272. **श्री बासप्पा :**
श्री मधु लिमये :
श्री किसन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री दे० द० पुरी :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान हमारे कितने जवान और अफ़सर वीरगति को प्राप्त हुए, कितने घायल हुए, तथा कितने स्थायीरूप से काम करने में असमर्थ हुए और कितने लापता हैं;

(ख) उन्होंने कैसा शौर्य और साहस प्रदर्शित किया; और

(ग) उन्हें क्या क्या पुरस्कार प्रदान किये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) युद्ध शुरू से लेकर 5 नवम्बर 1965 तक—

मारे गए	2212
घायल	7636
लापता	1500

7636 घायलों में से 1910 ड्यूटि पर लौट चुके हैं, और शेष में से अधिकतर ड्यूटि पर लौटने को प्रत्याशित है।

(ख) और (ग) : हमारे जवानों और अफसरों ने शत्रु का सामना करते समय प्रकृष्ट पराक्रम का प्रदर्शन किया। उनमें दो को परमवीर चक्र दिए गए, 14 को महावीर चक्र, और 57 को वीर चक्र। यह इनाम भारत के गज़ट में प्रकाशित किए गए हैं।

भारतीय जहाजों को डुबा ने का ईरान की नौसेना का प्रयत्न

273. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के ० देव :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री काजरोलकर :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर दयाल :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दे० दे० पुरी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध विराम होने से एक दिन पहले एक भारतीय फ्रिगेट जहाज़ को डुबाने के प्रयत्न में ईरान की नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना का साथ दिया था;

(ख) यदि हां, तो नौसेना की यह कार्यवाही किस स्थान पर हुई; और

(ग) क्या इस मामले में ईरान सरकार को विरोध पत्र भेजा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

आयुध कारखाने

274. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष आरम्भ होने के बाद भारत में आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये है; और

(ख) तकनीकी जानकारी, धन तथा मशीनों आदि के द्वारा प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशों ने क्या सहायता दी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सेवाओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं से संगत आयुध कारखानों का उत्पादन अधिकाधिक कर दिया गया है ।

(ख) इसे प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

घायल जवानों की सहायता

275. **श्री लिंग रेड्डी :**

श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घायल जवानों को 5 अगस्त, 1965 से अब तक किस प्रकार की सहायता दी **गयी** है; और

(ख) विशेष पहल, कौशल तथा बहादुरी के लिए क्या उनको कोई इनाम दिये गये हैं ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) साधारण नियमों के अनुसार घायल जवानों की चिकित्सा सैनिक अस्पतालों में की जाती है, जब तक वह स्वस्थ न हो पाएं अथवा निर्योग्यता के कारण सेवा से विमुक्त न हो जाएं, और उनके अस्पताल में रहने की अवधि में, जो ड्यूटी मानी जाती है, उन्हें वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं ।

(ख) कोई भी जवान, यदि उसने संक्रिया में विशेष सुझ-बूझ कौशल और पराक्रम का प्रदर्शन किया हो, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, और वीर चक्र तथा इनसे संलग्न आर्थिक भत्तों और अन्य इनाम के लिए विचार किये जाने का अधिकारी है ।

भारत में परमाणु ऊर्जा सयन्त्र

276. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) इन संयंत्रों पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(घ) भारत में अब तक अणु शक्ति का किन किन प्रयोजनों के लिये उपयोग किया गया है?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग ने अगस्त 1954 में स्थापना के बाद तीन परीक्षणात्मक रिएक्टर (अप्सरा, कैनाडा-इण्डिया तथा जरलीना), एक थोरियम-यूरेनियम संयंत्र, एक यूरेनियम धातु संयंत्र, एक ईंधन निर्माण सुविधा और प्लटोनियम संयंत्र लगाये हैं। बिहार में जदुगुडा नामक स्थान पर यूरेनियम खान के विकास, खान के समीप यूरेनियम धातुक प्रक्रिया के लिये मिल, महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर एक परमाणु विद्युत स्टेशन और राजस्थान में राणा प्रताप सागर के समीप दूसरे परमाणु विद्युत स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । इनके बारे में विस्तारपूर्वक विवरण विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है। इन रिपोर्टों की प्रतियां सदस्यों को वितरित की जा चुकी हैं और सदन के पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं ।

(ख) तीसरी योजना के अंतिम वर्ष तथा चौथी योजना के दौरान, राजस्थान परमाणु विद्युत प्रयोजना के दूसरे यूनिट तथा मद्रास परमाणु विद्युत प्रायोजना और इसके साथ ईंधन तत्व और भारी पानी का उत्पादन करने के लिये निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है, बशर्ते आयात किये जाने वाले उपकरणों के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक अंगों तथा उपकरणों के उत्पादन का काम ट्राम्बे से हटा कर, वाणिज्य आधार पर रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बम्बई से बाहर स्थापित किया जायेगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण और पट्टियों के विसंक्रमण के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए ट्राम्बे में एक खाद्य किरणीयन तथा प्रक्रिया प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

(ग) 1964–65 के अन्त तक विभाग की विभिन्न प्रायोजनाओं पर 44.78 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय किया जा चुका है।

(घ) भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्य यह है कि न्यूक्लीय ऊर्जा को विद्युत उत्पादन और कृषि, जीव विज्ञान, उद्योग, औषध (मेडिसिन) के विकास के लिए प्रयोग किया जाये। इस समय परमाणु ऊर्जा का उपयोग रेडियो-आइसोटोप और विकिरण स्रोतों के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। 1968 में तारापुर परमाणु विद्युत प्रायोजना के चालू होने पर परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जायेगी।

पाकिस्तान द्वारा की गई बमबारी के कारण हताहत असैनिक लोग

277. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ब० कु० दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दलजीत सिंह :
श्री गुलशन :
श्री हेम राज :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, राजस्थान, तथा जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा की गई अंधाधुन्ध बमबारी के कारण हताहत हुए असैनिक लोगों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) इस अधाधुंध बमबारी के कारण हताहत हुए लोगों को सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी है अथवा देने का विचार किया है; और

(ग) इस कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय होगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) इसका अनुमान लगाया गया है और इसकी आगे जांच हो रही है।

(ख) जो लोग घायल हुये हैं, उन्हे पूरी-पूरी डॉक्टरी सहायता दिये जाने के अतिरिक्त उस सीमा तक अनुग्राहत अर्थ-सहायता भी दी जा रही है जितनी उन्हें अंगहानि हुई है। जो लोग हताहत हुये हैं उनके आश्रित परिवारों को भी इसी प्रकार की अर्थ-सहायता दी जा रही है।

(ग) लगाये गये अनुमान की जांच किये जाने के बाद पता लगेगा कि इस बारे में कितना व्यय हुआ है।

छिपे हुए नागाओं द्वारा जारी की गयीं टिकटें

278. **श्री हेम बरुआ :** **डॉ. राम मनोहर लोहिया :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री किसन पटनायक :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड संघ सरकार ने अपने नाम से कुछ टिकट जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये टिकट डाक टिकट हैं अथवा रेवेन्यू टिकट; और

(ग) क्या यह नागा विद्रोहियों का निश्चित ही शत्रुतापूर्ण कार्य है और यदि हां, तो नागाओं द्वारा किये गये इस शत्रुतापूर्ण कार्य के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) "टाइम्स आफ इंडिया" के 3 अक्तूबर 1965 के अंक में एक खबर छपी है जिसमें यह कहा गया है कि छिपे नागाओं ने पांच टिकटों का एक सेट छापा है और ये सेट यूनाइटेड किंगडम में करीब 10 पौंड फी सेट के हिसाब से बेचे जा रहे हैं।

(ख) नागालैंड में अथवा किसी और स्थान पर इन टिकटों का—डाक या रसीदी टिकटों का—वास्तव में इस्तेमाल किए जाने की कोई खबर अभि तक नहीं मिली है और न इन टिकटों से ही उनके वास्तविक इस्तेमाल का कोई संकेत मिलता है।

(ग) अगर ये कथित टिकट छिपे नागाओं द्वारा जारी किए गए हैं तो यह एक शत्रुतापूर्ण कार्य होगा क्योंकि इसका अर्थ यह है कि वे भारत संघ से बाहर अपनी स्वतंत्र सत्ता का दावा करते हैं। भारत सरकार इस दावे को स्वीकार नहीं करती। इन टिकटों को छापने, बेचने और इस्तेमाल करने के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है और बाद में पड़ताल पूरी हो जाने पर अगर किसी कार्रवाई की ज़रूरत हुई तो वह की जाएगी।

केरल तट के निकट पनडुब्बी का देखा जाना

279. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री बागड़ी :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री मधु लिमये : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हाल के युद्ध के दौरान अथवा उसके तुरन्त बाद केरल तट के समीप एक पनडुब्बी देखी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह पहचानी गई थी; और

(ग) इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अदन में संविधान का निलम्बन

280. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अदन में ब्रिटेन द्वारा संविधान निलम्बित किये जाने के बारे में अरब देशों की भावनाओं का पता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अदन में संविधान निलंबित करनेकी ब्रिटिश कार्रवाई के खिलाफ़ अरब देशों में जो गहरा क्षोभ प्रकट किया गया है, उसके प्रति भारत सरकार को पूरी सहानुभूति है। भारत सरकार उपनिवेशवाद को समाप्त करने के विषय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों का और अदन समस्या के बारे में 24 देशों की समिति द्वारा पास किए गए प्रस्ताव का समर्थन करती है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतने अरब राष्ट्रों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा था जिसे 24 देशों की समिति ने 17-5-1965 को पास किया था और जिसमें अदन में ब्रिटिश अड्डे को समाप्त करने और उस प्रदेश को जल्दी स्वाधीनता देने की बात कही गई थी।

राजस्थान क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा अपनी सैनिक शक्ति का बढाया जाना

281. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री बागड़ी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा राजस्थान और पंजाब की सीमा पर अधिक सेना जमा किये जाने का समाचार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पाकिस्तान की लगभग समस्त नियमित सेना पंजाब और राजस्थान सीमा पर लगा रखी गई है। नियमित सैनिकों के अतिरिक्त पाकिस्तान, सतलुज, रेगस्तानी और इण्डस-रेंजर खड़े करता और संगठित करता रहा है, जो अर्धसैनिक शक्तिएं हैं। अनियमित सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण भी ज़ोरों पर है। नियमित सैनिकों और रेंजर्स की सहायता के लिए राजस्थान सीमा पर कुछ पठान कबीलों के नियुक्त किए जाने की भी रिपोर्ट मिली है।

(ख) हर संभावना का सामना करने के लिए सरकार ने उपयुक्त उपाएं कर लिए हैं।

भारत के विरुद्ध अमरीकी सैनिक सामान का प्रयोग

282. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पाराशर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी सरकार तथा उसके राष्ट्रपतियों ने निजी रूप से पाकिस्तान द्वारा अमरीका से प्राप्त सैनिक सामान का भारत के विरुद्ध प्रयोग करने के बारे में स्पष्ट शब्दों में समय समय पर क्या निश्चित आश्वासन दिये थे ;

(ख) क्या एक विस्तृत विवरण सभापटल पर रखा जायेगा ;

(ग) इन आश्वासनों को कहां तक पूरा किया गया; और

(घ) पाकिस्तान को और सैनिक सहायता देने के बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने अपने 24-2-54 के पत्र में आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान को दी जानेवाली हथियारों की सहायता का उद्देश्य यह है कि उसकी कम्यूनिस्ट देशों के आक्रमण से रक्षात्मक शक्ति को समुन्नत किया जाय। प्रेसीडेंट ने प्रधान मंत्री को यह विश्वास भी दिलाया था कि "अगर किसी देश की, पाकिस्तान समेत दी जाने वाली सहायता का दुरुपयोग किया जाता है अथवा दूसरे देश पर आक्रमण के लिए उनका उपयोग किया जाता है तो मैं अपने संविधानगत अधिकार के अनुसार, सयुक्त राष्ट्र के अन्दर और बाहर इस प्रकार के आक्रमण को समाप्त करने के लिए तत्काल समुचित कार्रवाई करूंगा"।

(ख) यह मामला कई बार सदन में उठाया जा चुका है और सरकार की ओर से वक्तव्य दिए जा चुके हैं। इसलिए, सदन की मेज़ पर वक्तव्य रखने का विचार नहीं है।

(ग) जैसा कि दुनिया ने छम्ब और पंजाब पर पाकिस्तान के हमले से देखा है, उसने अमरीकी सैनिक सहायता टैंकों, हवाई जहाज़ों और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया है।

(घ) अमरीका सरकार ने पाकिस्तान को और सैनिक सहायता देना बंद कर दिया है और भारत को यह विश्वास दिलाया है कि उसने 'नाटो', 'सेन्टो' और 'सीटो' संधियों के अन्य साथी देशों को भी सलाह दी है कि वे पाकिस्तान को अमरीकी सहायता उपकरण तथा हथियार न दें।

ईंधन के लिए नया "ब्रीडर रिऐक्टर"

283. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका द्वारा बनाये गये एक नये "ब्रीडर रिऐक्टर" के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है, जो उसमें खर्च होने वाले ईंधन से अधिक ईंधन तैयार कर देता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हमारे परमाणु शक्ति उद्योग के लिये ऐसे रिऐक्टर प्राप्त करने के लिये अमरीकी सरकार से कोई अनुरोध किया है अथवा करने का विचार है?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) इस किस्म के "ब्रीडर रिऐक्टरों" के विकास के बारे में सरकार को जानकारी है तथा इस सम्बन्ध में काफी मात्रा में तकनीकी जानकारी मिलती है। यह जानकारी दूसरे देशों जिनमें अमरीका भी शामिल है, के साथ परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोग के लिए द्विपक्षीय करारों द्वारा प्राप्त की जाती है।

(ख) एक नये फास्ट रिऐक्टर डेवलेपमेंट केन्द्र को आरम्भ करने की योजना पर विचार किया जा रहा है और एक 10 मैगावाट (e) फास्ट टैस्ट ब्रीडर रिऐक्टर के डिजायन का अध्ययन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सहायता के लिए अमरीकी सरकार से कोई विशेष प्रार्थना नहीं की गई। संसार में अभी तक कोई भी फास्ट ब्रीडर पावर स्टेशन व्यवसायिक ढंग पर नहीं चल रहा।

मध्य प्रदेश में डाक तथा तार प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र

284. **श्री किशन पटनायक :**
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में डाक तथा तार प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

6—46 L. S./65

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कौनसा स्थान चुना गया है; और

(ग) कब तक इसके स्थापित हो जाने की संभावना है ?

संचार विभाग मे उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) मध्य प्रदेश में कोई भी प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नही किया जा रहा है। फिर भी, मध्य प्रदेश में (हाल ही में बनाये गए) डाक-तार परिमंडल के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए परिमंडल प्रशिक्षण केन्द्र को नागपुर से मध्य प्रदेश में किसी स्थान में ले जाया जाएगा।

(ख) तथा (ग) : भोपाल में स्थान प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और जैसे ही स्थान प्राप्त हो जाएगा और इमारत बन जाएगी वहां परिमंडल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिया जाएगा।

Documentaries Produced by Films Division

285. Shri Kishan Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of documentary films produced so far by the Films Division on the ancient architecture, art and paintings of India;

(b) whether there is any proposal to show these films in the foreign countries to acquaint the foreigners with the Indian civilisation; and

(c) the names of countries which have shown interest in these films so far ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) 72.

(b) Of 72 documentary films, 51 were regular documentaries. Prints of almost all of these were supplied to Indian Missions and/or Tourist Offices abroad for exhibition in foreign countries. The remaining 21 were short films produced specially for exhibition in the New York World Fair.

(c) U.S.A., U.K., Cananda, Australia, German Democratic Republic, Federal Republic of Germany, U.A.R., Ceylon, West Indies, North Vietnam, Fiji Islands, Argentina, Hawai Islands, Newzealand, Switzerland, Scandinavian Countries, Poland, Czechoslovakia, France, Netherlands, Luxemberg, Italy, Spain, Belgium, Trinidad, Southern Rhodesia, Kuwait, Nigeria, Uganda, Kenya, Rumania, Algeria, Cyprus, Iraq, Japan, Indonesia, Lebanon, Morrocco, Mauritius, Thailand, Yugoslavia.

परमाणु ऊर्जा कर्मचारियों के लिए प्रक्षिशण स्कल

286. श्री रा० गि० दुबे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिये वैज्ञानिकों की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से 1957 में आरंभ किया गया प्रशिक्षण स्कूल ने अच्छी प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिये उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे ने यह ट्रेनिंग स्कूल चालू किया। नवयुवक और तीव्र बुद्धि, विज्ञान और इंजीनियरी के ग्रेजुएटों का हर साल भारतीय आधार पर चुनाव किया जाता

है। इनको एक वर्ष तक न्यूक्लीय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इनका चनाव एक विशेष प्रकार की बनाई गई चुनाव समिति की सिफारशों के आधार पर किया जाता है। यह चुनाव इस समिति द्वारा एक विशाल कार्यविधि के अनुसार किये जाते हैं ताकि सबसे अधिक गुणयुक्त उम्मीदवार चुने जायें। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग के पश्चात्, इन उम्मीदवारों को ट्राम्बे संस्थान या परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तगत अन्य प्रयोगशालाओं में उचित पद दिये जाते हैं।

ट्राम्बे संस्थान की वज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की लगभग तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिये भर्ती इसी ट्रेनिंग स्कूल से की जाती है। इस प्रकार यह स्कूल विश्वविद्यालयों को खाली किये बिना, परमाणु ऊर्जा कार्यों के लिये पूरी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने में एक महत्व-पूर्ण कार्य करता है।

निम्नलिखित विवरण से यह पता चलता है कि इस स्कूल के आरम्भ से अब तक कितने विद्यार्थी दाखिल हुए, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया और उचित पदों पर नियुक्त किये गये :--

	प्रवेश पाने वालों की संख्या	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने और उचित पद प्राप्त करने वालों की संख्या
1957–58 . . .	171	150
1958–59 . . .	173	152
1959–60 . .	144	135
1960–61 . .	145	127
1961–62 . .	167	160
1962–63 . .	132	114
1963–64 . .	162	138
1964–65 . . .	130	125

जदुगुड़ा (बिहार) स्थित आइसोटोप डिवीजन

287. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जदुगुड़ा (बिहार) में स्थापित किये गये आइसोटोप डिवीजन ने वाणिज्यिक आधार पर आइसोटोप अयस्क निकालने की दिशा में क्या प्रगति की है; और

(ख) इस क्षेत्र में आइसोटोप अयस्क का कितना भंडार है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) विभिन्न प्रकार के आइ-सोटोपों का उत्पादन परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में किया जाता है। चूंकि रेडिय-आइसोटोपों के उत्पादन के लिए चालू रिऐक्टर की आवश्यकता होती है इसलिये जदुगुड़ा में इसका उत्पादन सम्भव नहीं। वहां पर आइसोटोप प्रभाग स्थापित नहीं किया जायेगा।

(ख) जदुगुड़ा क्षेत्र में आइसोटोप अयस्क का कोइ भंडार नहीं है।

युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों के बच्चों को गोद लिया जाना

288. **श्री बसुमतारी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के मध्यम आय वर्ग के 15 नागरिकों द्वारा हाल में हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों के बच्चों को गोद लेने के लिये की गई पेशकश पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सदस्य महोदय का इशारा शायद उस पेशकश की ओर है जो बम्बई के अरुण मणिलाल गांधी ने, संक्रिया में मारे गए जवानों के बच्चों को पर्याप्त शिक्षा और उनकी अन्य आवश्यकताएं जुटाई के लिए, अपने मित्रवृन्द की ओर से की। इसके लिए उन्होंने बम्बई के निकट रहने वाले कुटुम्बों को तरजीह दी है, कि विधवाओं के पास पहुंचा जा सके, और उनके कल्याण का ध्यान रखा जा सके, यह इसलिये भी कि छुट्टियों के दौरान बच्चों को घर जाने में आसानी हो।

(ख) निर्योग्य सेना के सेविवर्ग, विधवाओं तथा अनाथों के लिए निधि और वायुसेना कल्याण निधि नाम एक निधि पहले से काम कर रहा है, जिस द्वारा संक्रिया में मारे गए सेवाओं के सेविवर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए तथा उनके कुटुम्बों को राहत देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इन उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता की पेशकशों के संबंध में ऐसी नीति है, कि प्रदाताओं से उनकी इच्छाओं का मान रखते हुए, नियमों के अनुसार, सैनिकों के सुपात्र कुटुम्बों को देने के लिए, इन निधियों के लिए, चन्दा देने की प्रार्थना की जाती है। एतदनुसार श्री अरुण मणिलाल गांधी को उत्तर भेज दिया गया है, क्योंकि उनकी पेशकश में, उनके मित्रों द्वारा सैनिकों के किसी बच्चे को अपने बच्चों की तरह सम्पूर्णतः दत्तक लेने की कोई बात न थी।

मान्य संस्थाओं को ऐसे जवानों के कुटुम्बों को सीधे विभिन्न रेजमेन्टल केन्द्रों की मार्फत सहायता करने की अनुमति देनेके लिए एक योजना विचाराधीन है।

आकाशवाणी में इंजीनियरी कर्मचारी

289. डा० सरोजिनी महिषी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 7 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के इंजीनियरी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो उन को क्रियान्वित करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं, और

(ग) इस को कितनी अवधि के अन्दर क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) समिति की उन सिफारिशों का, जिन्हें सरकार ने मन्जूर कर लिया है, एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5089/65**।] अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ख) इन सिफारिशों में कुछ को पहिले ही क्रियान्वित किया जा चुका है और भरती के नियमों आदि के संशोधन से सम्बन्धित दूसरी शिफारिशें संघ लोक सेवा आयोग को भेज दी गई हैं, और

(ग) सरकार उन सब सिफारिशों को, जो स्वीकार की जा सकती हैं, जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए सब सम्भव कदम उठा रही है।

भारत को युगोस्लाविया से हथियारों की सहायता

290. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या भारत को हथियारों की सहायता देने के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री की यूगोस्लाविया में वहां के प्रधिकारियों के साथ हाल ही में कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या ऐसी बातचीत चैकोस्लोवाकिया में भी हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) : प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री ने युगोस्लावी अधिकारियों तथा ज़ेकोस्लावी अधिकारियों दोनों के सामान्य साथ बातचीत की।

तदपि ऐसी बातचीत का स्वरूप और विषय क्षेत्र प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

Pakistanis in Jammu and Kashmir

291. Shri Gulshan :

Shri Onkar Lal Berwa :

Shari Buta Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistani citizens left behind by the Pakistan Army during the fighting on the Jammu and Kashmir and Punjab borders have been lodged in Kathua and other camps;

(b) if so, the number thereof;

(c) whether there are Hindus and Harijans also amongst them;

(d) whether they want to go back to Pakistan;

(e) the number of Indian citizens in Pakistani camps; and

(f) the steps taken to secure their transfer to India?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) to (f). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Pak War Material Captured by India

292. Shri Daljit Singh : **Shri Krishna Deo Tripathi :**

Shri Gulshan : **Shri M. R. Krishna :**

Shri D. D. Puri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani aeroplances, tanks, guns, stenguns and other war material captured by our forces; and

(b) the proportion of this material that an can be used by our Jawans ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) 73 Pakistani planes were shot down ; none was captured in serviceable condition. 39 tanks were captured in serviceable condition. Besides them, large quantities of arms, ammunition and other war material were captured by our Forces.

(b) The captured articles are being back-loaded from forward areas. They are being or will be examined by our technical experts to determine their serviceability.

आकाशवाणी का जालन्धर केन्द्र

293. **श्री हेमराज :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जालन्धर केन्द्र को केवल पंजाबी प्रसारण के लिए नियत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्र से डोगरी तथा उर्दू के प्रसारणों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि डोगरी भाषा बोलने वालों के साथ इस केन्द्र में भेदभाव का बर्ताव किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। वर्तमान संकटकाल के प्रारम्भ से जलंधर केन्द्र के कार्यक्रमों के उद्घोषण की मुख्य भाषा हिन्दी से बदल कर पंजाबी कर दी गई है। जो कार्यक्रम प्रधान रूप है हिन्दी में होते हैं, वे अभी भी हिन्दी में ही उद्घोषित होते हैं। पंजाबी में कुछ नए कार्यक्रम चालू किए गए हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता। जलंधर से डोगरी कार्यक्रम प्रसारीत नहीं किए जाते क्योंकि डोगरी भाषी क्षेत्रों में इस केन्द्र के कार्यक्रम सुनाई नहीं देते।

(ग) जी, नहीं।

अमरीका तथा ब्रिटेन के सहयोग से आयुध कारखानों की स्थापना

294. **श्री हेमराज :**
श्री दे० द० पुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका तथा ब्रिटेन के सहयोग से कितने और कौन-कौन से आयुध कारखाने स्थापित किये जाने थे;

(ख) क्या हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद वे कार्यक्रम के अनुसार सहयोग कर हैं;

(ग) यदि नहीं तो क्या उन्हें पूरा करने के लिए अन्य देशों से बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों से तथा किन शर्तों पर ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय मे प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) वरंगांव के आयुध कारखाने और अम्बाझरी के इंजीनियरी कारखाने की स्थापना यू० एस० ए० से सहायता से स्थापित किए जाने की आयोजना थी। चन्द्रपुर की पूरक फैक्टरी यू० के० से सहायता से स्थापित किए जाने की आयोजना थी।

(ख) वरंगांव के आयुध कारखाने ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। तदपि, पूरे तौर पर फैक्टरी को उत्पादन के समर्थ बनाने के लिए आगे पग उठाने आवश्यक है। उस और अन्य दो कारखानों के संबंध में, संबंधित सरकारों ने सहायता स्थगित कर दी है।

(ग) और (घ) : सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

क्लेपिजिन शूटिंग के लिये 12 बोर की गोली

295. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आपातकाल की आवश्यकताओं तथा आयातित कारतूसों की कमी को देखते हुए भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था, राज्यों की राइफल संस्थाओं तथा देश भर के राइफल क्लबों ने अपने क्लबों में क्लेपिजिन ट्रेप शूटिंग की 12 बोर की गोलियां फिर से भरने की अनुमति दिये जाने के लिए सरकार से प्रार्थना की है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने शीघ्र अनुमति देने के लिये क्या कार्यवाही की है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी

296. **डा० रानेन सेन :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासियों के साथ कुछ स्थानीय लोग बुरा व्यवहार कर हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत का दृष्टिकोण तथा प्रतिक्रिया क्या है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यूनाइटेड किंगडम में जाकर बसने वाले भारतीयों पर हमला करने अथवा हमला करके की धमकी देने के कुछ इक्के-दुक्के मामले हुए है। यह कहना ठीक न होगा कि स्थानीय लोगों के कोई बड़े समुदाय युनाइटेड किंगडम में जाकर बसने वाले भारतीयों के प्रति बुरा बर्ताव कर रहे हैं।

(ख) जब मामलों की रिपोर्ट की जाती है, तब भारतीय हाई कमीशन ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करता है जो, ऐसा लगता है, कि इस प्रकार के झगडों को रोकने में तत्पर रहती है।

क्ले पिजिन शूटिंग

297. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुध कारखानों ने 'क्ले पिजिन शूटिंग' के लिये बनाये गये ढ़ाई इंच और पौने चार इंच आकार के कारतूस परीक्षा के लिये भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था को दिये थे ताकि वह तत्पश्चात् उन के बारे में परीक्षण रिपोर्ट दे, और क्या आयुध कारखानों को भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) क्ले पिजिन शूटिंग के 2 गेज के बनाये जा रहे "क्रिम क्लोजर" कारतूसों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां। समिति के सुझावों और टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है, और उनका, जब उत्पादन शुरू किया गया, निगमन किया जाएगा। इस संबंध में कृपया देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 786 दिनांक 8-3-65 को दिया गया उत्तर।

(ख) क्ले पिजिन चांदमारी के लिए किनारे दब कर तैयार किए गए 12 बोर के कारतूसों का निर्माण और सप्लाई, 12 बोर के कारतूसों की क्षमता संवर्धन करने के पश्चात् शुरू की जाएगी, जिसके लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ।

Indian Belongings Deposited in Indonesian Banks

298. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the belongings of the Indians deposited in banks in Indonesia have been confiscated; and

(b) if so, whether similar steps have been taken in respect of the Indonesian Banks in India and the value of the property thus confiscated, if any ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Government have not received any report to this effect.

(b) Does not arise as there are no Indonesian banks in India.

Emergency Information Centres

299. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had opened some more Information Centres at various places in the country during the period of Emergency arising out of Indo-Pak. conflict;

(b) if so, the number of places at which they had been opened;

(c) whether they have since been closed; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d). It is presumed that the Hon'ble Member refers to the 'Emergency Information Service' started by the Press Information Bureau during the period of Emergency arising out of Indo-Pak. conflict. If so, this Service was started during the Emergency to disseminate authentic information pertaining to the Emergency created by Pakistani aggression and to counteract rumours. It continued for a period of 23 days from September 9, 1965 to October 1, 1965. The Delhi Administration was running a similar Information Centre at our request. We have no information whether other State Governments set up similar services.

As the number of enquiries decreased greatly after the cease fire, both these Centres stopped functioning—the Delhi State Centre from 30th September 1965 and the Press Information Bureau Centre from 1st October, 1965.

Pak Propaganda about Pak. P. O. Ws.

300. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Radio has been carrying on false propaganda regarding the treatment meted to the Pakistani soldiers taken prisoners; and

(b) if so, the action taken by Government to counteract it?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) The Government is not aware of any propaganda by the Pakistan Radio regarding treatment meted out to Pakistani soliders taken as prisoners.

(b) Does not arise.

जंजीबार में राष्ट्रिकताहीन भारतीयों का प्रत्यावर्त्तन

301. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंजीबार की स्वतंत्रता के बाद जंजीबार में राष्ट्रिकताहीन भारतीयों का प्रत्यावर्तन करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : देशप्रत्यावर्तन की आवश्यकता नहीं थी। किंतु भारतीय मूल के उन लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो सदा के लिए भारत लौट आना चाहते हैं; यह सुविधा कस्टम में रियायत के रूप में दी गई है और इसके लिए उनके राष्ट्रीय दर्जे पर ध्यान नहीं दिया गया है।

आसाम तक ट्रंक टेलीफोन लाइन

302. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में आसाम और शेष भारत के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाली टेलीफोन की ट्रंक लाइन कितनी बार खराब हुई थी।

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1965 इन तीन महीनों में आसाम और शेष भारत के बीच ट्रंक लाइन टेलीफोन संचार प्रणाली केवल पांच बार पूरी तरह से गड़बड़ हुई और कुल मिलाकर उसकी अवधि 13 घंटे थी। अलग अलग परिपथों पर भी कभी कभी खराबियां हुई थीं।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के कैडिटों का प्रशिक्षण

303. श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से स्नातक हुए उन कैडिटों का प्रशिक्षण शीघ्र पूरा करने के लिये हाल ही में कोई पग उठाये गये हैं जिन्होंने वायु सेना की सेवा अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो अगले वर्ष कितने ऐसे कैडिटों को प्रशिक्षित किये जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। उन वायु सेना छात्रों का प्रशिक्षण-काल, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से उत्तीर्ण हुए जनवरी 1963 में 78 हफ्तों से घटा कर 40 हफ्ते कर दिया गया था। जनशक्ति में उन्नति होने पर प्रशिक्षणावधि 1966 से बहाल कर दी जाएगी।

(ख) 1966 के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 112 छात्रों के उडान प्रशिक्षण के लिए उत्तीर्ण होने की आशा है। यह छात्र बढ़ाई गई प्रशिक्षणावधि के प्रशिक्षण गृहण करेंगे।

प्रमुख प्रेस सलाहकार तथा मुख्य सूचना अधिकारी

304. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की सूचनाएं मिली हैं कि प्रमुख प्रेस सलाहकार तथा मुख्य सूचना अधिकारी के पदों को मिला दिये जाने के कारण हाल में हुए पाकिस्तानी हमले के दौरान सम्वाद-दाताओं को समाचार भेजने में बड़ी कठिनाई अनुभव करनी पड़ी है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों पदों को अलग-अलग करने का तथा प्रेस मंत्रणा कार्यों को गृह मंत्रालय को सौंपने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कुछ अखबारों में समाचार भेजने के सम्बन्ध में क्रियाविधि सम्बन्धी कठिनाइयों की रिपोर्टें छपी हैं ।

(ख) मुख्या प्रेस सलाहकार तथा प्रधान सूचना अधिकारी के पद अलग कर लिए गए हैं और समाचार-पत्रों को सलाह देने का काम 16 अक्तूबर, 1965 से भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया है । इस कार्य को गृह मंत्रालय को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सरकारी उपक्रमों में श्रम विधियों

305. **डा० सरोजिनी महिषी :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम श्रम विधियों को लागू नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां । 1964 और 1965 (अक्तूबर 1965 तक) में सरकारी क्षेत्र में श्रम कानून लागू न करने के बारे में श्रम और रोज़गार मंत्रालय के केन्द्रीय क्रियान्विति और मूल्यांकन प्रभाग में दस शिकायतें प्राप्त हुई ।

(ख) अधिकांश शिकायतें औद्योगिक विवाद अधिनियम और मजूरी अदायगी अधिनियम के उपबन्धों को अक्रियान्विति उल्लंघन के बारे में थीं ।

(ग) शिकायतों की जांच की गई और जहां कहीं वे सिद्ध हुई वहां औपचारीक कार्यवाही की गई ।

Memorial For Late Havildar Abdul Hameed

306. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a memorial is proposed to be raised at Dhamupur in Ghazipur District (U.P.), the birth-place of the late Havildar Abdul Hamed;

(b) if so, the broad outlines of the said scheme; and

(c) the time by which it will be implemented ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c). Government are not aware of any such proposal. The general policy is not to encourage setting up of isolated memorials. The construction of a National War Memorial in Delhi to commemorate all our War dead after Independence is under consideration.

विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकतायें

307. **श्री विश्वनाथ राय :** **श्री कृ० चं० शर्मा :**
श्री समनानी : **श्री रा० स० तिवारी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई अनुभव की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) पंजाब तथा राजस्थान में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई है। जम्मू तथा काश्मीर के चिकित्सा विभाग को अधिक डाक्टरों की आवश्यकता अनुभव हुई।

(ख) दस डाक्टर भेजे गये हैं। जम्मू तथा काश्मीर सरकार को जिन औषधियों तथा वैक्सीन की आवश्यकता थी, वे भी उन्हें भेजी गई हैं।

ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज

308. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैल्ल टेलीफोन कम्पनी की सहायता से बम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर में ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का काम समय-अनुसूची के अनुसार हो रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार विभाग मे उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख) : पहला ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का काम दिसम्बर, 1965 में चालू किया जाना है। उपस्कर भेजने की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जिसे अगस्त, 1965 में भेजना शुरू करके फरवरी, 1966 तक खत्म कर देना चाहिए था। शुरु में पहले सामान के भेजने में हुई देरी के कारणों के सम्बन्ध में निर्माताओं से पूछताछ की गई है।

ब्रिटिश नागरिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

309. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटिश नागरिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Cases Against Jawans

310. Shri P. L. Barupal :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to put off for the time being the various prosecution proceedings or other civil cases pending against the Jawans of the country so that they could face the enemy without being worried on that account; and

(b) if so, when it is likely to be finalised ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) and (b). So far as civil cases are concerned there is already a provision in the Indian Soldiers' (Litigation) Act, 1925, for the postponement of proceedings in a civil court or a revenue court against a soldier on the basis of a certificate issued by his Commanding Officer to the effect that he is serving under special conditions. A propsal is under consideration for legislation to amend this Act to expand the definition of 'court' so as to include all courts or judicial authorities other than criminal courts. Apart from this no other proposal is under consideration of Government.

S. C. and S. T. Candidates in Rajasthan

311. Shri P. L. Barupal :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates who got their names registered in the various Employment Exchanges of Rajasthan during the year 1965; and

(b) the number of these who have got employment so far ?

The Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya) : (a) and (b)—

Category of applicants	No. of registrations effected during January—June, 1965	No. of placements effected during January—June, 1965
1	2	3
Scheduled Caste	5,422	474
Scheduled Tribe	1,146	118

उत्पादन के अनुसार मजूरी का दिया जाना

312. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम सम्मेलन ने हाल में हुई अपनी बैठक में मजदूरों को उत्पादन के अनुसार मजूरी देने के प्रश्न पर श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये टिप्पण पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस सम्बन्ध में सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) "उत्पादन के अनुसार अदायगी" विषय सम्बन्धी नोट भारतीय श्रम सम्मेलन में विचारार्थ रखा गया, परन्तु उसपर उपलब्ध समय में विचार-विमर्श नहीं हो सका ।

(ख) संक्षेप में इस योजना का उद्देश्य श्रमिक की मज़दूरी की पूर्व-निर्धारित फार्मूले के अनुसार सीधे उसके उत्पादन से जोड़ना है ।

(ग) सम्मेलन ने इस मद्द को स्थायी श्रम समिति के आगामी अधिवेशन के सामने रखने का फैसला किया ।

जनरल निम्मो का हटाया जाना

313. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दे० द० पुरी : **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान द्वारा जनरल निम्मो को भारत-पाकिस्तान के लिए संयक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल के मुख्य सैनिक प्रेक्षक के पद से तथा संयुक्त राष्ट्र भारत-पाकिस्तान प्रेक्षक मिशन एवं भारत पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल के कार्य के सामान्य पर्यवेक्षण के काम से हटवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा अपने पश्चिमी मित्र-राष्ट्रों पर डाले जाने वाले दबाव की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं और उसके पास इसके अलावा और कोई सूचना देने को नहीं हैं ।

युद्ध सम्बन्धी समाचारों का समाचार पत्रों में प्रकाशन

314. **श्री अल्वारेस** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सुरक्षा सेनाओं की कार्यवाही सम्बन्धी प्रचार कार्य सशस्त्र सेनाओं के सूचना कार्यालय से हटा कर प्रेस सूचना विभाग को सौंप दिया गया था;

(ख) क्या सरकार को विदेशी युद्ध संवाददाताओं से कोई शिकायत मिली है कि इस व्यवस्था के द्वारा युद्ध के समाचार अच्छी तरह प्रकाशित नहीं किये जा सके; और

(ग) ऐसा परिवर्तन करने के क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं । भारत सरकार के सारे प्रचार के काम की जिम्मेदारी हमेशा ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय की रही है और इसे इसका पत्र सूचना कार्यालय करता है । इस कार्यालय का एक अधिकारी रक्षा मंत्रालय की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उस मंत्रालय से संबद्ध हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कच्छ की कार्रवाई तथा पाकिस्तान के साथ हाल ही की लड़ाई में, प्रचार के रण क्षेत्र की कार्रवाई संबंधी पहलू के अतिरिक्त कई अन्य पहलू भी थे, यह फैसला किया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव सरकार के प्रवक्ता हों और रक्षा, गृह और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ट अधिकारी इस काम में इनके सहायक हों ।

(ख) जी, नहीं। इस व्यवस्था के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है। मगर कुछ विदेशी संवाददाताओं ने यह शिकायत जरूर की कि वे कुछ क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चे तक नहीं जा सके। इस मामले को मोर्चे पर तैनात कमान्डरों के ही निर्णय पर छोड़ दिया गया था।

(ग) इस निर्णय का, कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव सरकारी प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे, कारण (क) के उत्तर में दे दिया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय उप-उच्चायुक्त

315. **श्री काजरोलकर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में भारत के उप-उच्चायुक्त को रंगून हो कर ढाका जाना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता और ढाका के बीच हवाई उड़ाने बंद हो जाने, पूर्व पाकिस्तान-भारत सीमा बंद कर देने और बाद में, पाकिस्तान सरकार द्वारा उन्हें ढाका वापस लौटने की इजाज़त न देने के कारण ढाका में हमारे उप हाई कमिशनर 5 सितंबर, 1965 से भारत में ही रूके हैं।

युद्ध-विराम हो जाने के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से फिर बातचीत की और उसे इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वह उप हाई कमिशनर को ढाका लौटने दे। उस समय कलकत्ता से रंगून होकर चटगांव जाने वाला रास्ता ही खुला था। खुश्की के रास्ते बंद थे।

प्रतिरक्षात्मक नहर

316. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 1961 में पंजाब की सीमा के साथ साथ इच्छोगिल नहर की भांति टैंक आक्रमण को विफल करने के साधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकने वाली एक नहर बनाने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो यह विचार क्यों छोड़ दिया गया; और

(ग) क्या आपातकालीन उपाय के रूप में इस पर पुनः विचार किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख): समय समय पर पश्चिमी पाकिस्तान से लगते अपनी सीमा-सीमाओं पर टैंक विरोधी साधनों के तौर पर नहरों के निर्माण के सुझावों का निरीक्षण किया गया, परन्तु उन्हें त्याग दिया गया क्योंकि संक्रियात्मक दृष्टिकोण से उन्हें आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय निरन्तर पुनरीक्षण अधीन रहते हैं। समय समय पर विभिन्न योजनाओं पर विचार किया जाता है। प्रस्तावित किस्म के टैंक विरोधी साधन का निर्माण किया जाए या न, समग्र रक्षा उपायों के भाग के तौर पर, इस पर भी विचार किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान प्रेक्षक दल की वायु सीमा उल्लंघन रोकने की योजना

317. **श्री मोहसिन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र भारत-पाकिस्तान प्रेक्षक दल के प्रधान मेजर जनरल ब्रूस मैकडोनाल्ड की वायु सीमा अतिक्रमण रोकने की योजना स्वीकार कर ली है;

(ख) इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा अतिक्रमण रोकने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जनरल मेकडानल्ड ने भारत और पाकिस्तान की वायु सेनाओं द्वारा पालन किए जाने को परस्पर मान्य कुछ नियमों का सुझाव दिया था। उसे सिफारिश की गई है कि उच्च कार्यक्षमता का कोई भी विमान 10 किलोमीटर क्षेत्र में न उड़े, और हल्के विमान वास्तविक नियन्त्रण रेखा से 2 किलोमीटर के अन्दर ।

(ख) मालूम नहीं ।

(ग) वाय सेना यूनिटों को अधिक सावधान होने को होशियार किया गया है और अतिक्रमी विमान को खदेड़ देने के लिए ।

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय

319. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के कार्य अध्ययन दल ने हाल ही में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के प्रशासनिक ढांचें में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उनकी क्रियान्विति में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5090/65 ।**]

(ग) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशक ने सिफारिशों पर विचार किया है और अब इन पर मंत्रालय में विचार हो रहा है। कुछ बातें ऐसी है जिन पर वित्त मंत्रालय के स्टाफ़ इन्सपेक्शन यूनिट से विचार-विमर्श करना आवश्यक है ।

(घ) आशा है कि अन्तिम रूप से मंजूर सिफारिशों को दो या तीन महीने के अन्दर लागू कर दिया जायगा ।

भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों के लिये जीवन बीमा निगम की पालिसियां

320. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के 1960 से कमीशन प्राप्त पाइलट अफसरों और नेविगेटरों को डाक जीवन बीमा की शर्तों के अन्तर्गत अपेक्षित दरों से अधिक दरों पर जीवन बीमा निगम की पालिसियां लेने के लिये बाध्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो यह भेदभावपूर्ण तथा अनिवार्य व्यवस्था करने के क्या कारण है, जिनके कारण युवक पाइलट अफसरों को हानि होती है; और

(ग) क्या इस अनिवार्यता को हटाया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : 1 दिसम्बर, 1959 या उसके पश्चात् कमीशन प्राप्त वायु सेना के सामान्य डयूटि ब्रांच के अफसरों को एल० आई० सी० में अपना बीमा कराना होता है कि 1-12-59 से स्थायी तौर स्वीकृत उड़ान अधिदान पाने के अपनी सेवा के पहले 10 वर्षों में अधिकारी बन सकें। यह उस बीमा के अतिरिक्त है जो वह स्वत: अपने आप डाक विभाग की बीमा योजना के अन्तर्गत अथवा अन्यथा कराए हों। यह बीमा उस योजना के अन्तर्गत पुरस्थापित किया गया है, जिस द्वारा उडान अधिदान स्थायी बनाया गया था, और दरों में वृद्धि की गई थी। उद्देश्य था बढ़ाए गए अधिदान के कुछ अंश को अफसरों और उनके आश्रितों के लिए बीमा में लगाना, और उनकी मृत्यु अथवा निर्योग्यता के अवसर पर उनके हित की रक्षा करना।

1 दिसम्बर, 1959 से पहले कमीशन प्राप्त अफसरों को इस अनिवार्य बीमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकाधिक हालतों में वह पहले ही अपने बीमा के संबंध में किसी न किसी प्रकार से बचन बद्ध हो चुके हैं।

रक्षा सेवाओं के सेविवर्ग की सभी श्रणियों को, असैनिक, सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कम से कम साधारण दरों पर अधिकाधिक 2000 रूपये तक बीमा विभाग में बीमा पालीसी लेने की अनुमति है, जबकि (युद्ध वैमानिकी जोखन सहित) सेवा से संबंध जोखन ने कारण डाक बीमा विभाग द्वारा इन पालीसियों पर अतिरिक्त लिया जाने वाला प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

कमीशन प्राप्त करते समय वायु सेना के किसी विमान चालक द्वारा ली जाने वाली पी०एल०आई० पालीसी से सम्बद्ध देय कुल प्रीमियम पी०एल०आई० की तत्तुल्य पालीसी से सम्बद्ध प्रीमियम से अधिक होता है। तदपि स्वयं अफसर को पी०एल०आई० पालीसी के लिए कम देना पड़ता है, क्योंकि सेवाओं के अफसरों और सेविवर्ग की पी०एल०आई० पालीसियों पर अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान सरकार वहन करती है।

अत: स्पष्ट है कि यद्यपि पी०एल०आई० पालीसी की हालत में प्रीमियम का कुछ अंश सरकार देती है, एल०आई०सी० की हालत में, जहां प्रीमियम भी कम है, सरकार अधिकतर उड़ान अधिदान की सूरत में प्रिमियम का कुछ अंश, अन्यथा दे देती है।

(ग) उपरोक्त व्याख्या को सामने रखते हुए, इस अनिवार्यता को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यूगोस्लाविया से ट्रांसमिटर

321. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बासप्पा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती जोत्सना चन्दा :
श्री रा० बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया से 1000 किलोवाट का ट्रांसमिटर खरीदने के सम्बन्ध में सौदा तय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भुगतान की क्या शर्तें तय हुई हैं; और

(ग) ट्रांसमिटर कब तक भारत में आ जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। यूगोस्लाविया की फर्म को, 1000 किलोवाट के एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर भेजने और उसे लगाने का अग्रिम आर्डर केबल के द्वारा दे दिया गया है। आशा है कि औपचारिक करार पर जल्दी ही हस्ताक्षर हो जायेंगे।

(ख) कोटेशन इस आधार पर तय किया गया है कि सप्लाई एक्स-यूगोस्लाव-बाह्य पोर्ट, मूल्य पहुंचौता जहाज (एफ०ओ०बी०) के हिसाब से होगी और भुगतान भारत-युगोस्लाविया व्यापार योजना के अन्तर्गत अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में किश्तों में किया जायगा। किश्त हस्ताक्षर हो जाने के बाद से शुरू हो जायेगी और वह ट्रांसमीटर लगाने, उसे हमें सौंपने और उसके 12 महीने तक ठीक प्रकार से काम करने तक की पूरी अवधि तक दी जाएंगी।

(ग) उम्मीद है कि ट्रांसमीटर 1967 के अन्त तक भारत पहुंच जायेगा।

Indian Missions Abroad

322. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on Indian Missions abroad during the last five years, year-wise ;

(b) whether it is a fact that certain Indian Missions have not been able to properly explain India's stand in the recent Indo-Pak conflict ; and

(c) if so, the causes thereof ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) A Statement is placed on the Table of the House [**Placed in the library. See No. L.T.-5091/65**]

(b) & (c). No, Sir. India's views on the recent conflict have been made abundantly clear in all the capitals where India is represented. Consequently, India's views are better understood today than before. The fact that our views have not found universal acceptance is due, in considerable measure, to conflicting power interests and global policies of various Governments. Efforts to achieve greater understanding and acceptance of our views would continue to be made.

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सड़कों का निर्माण

323. **श्री कृ० चं० पंत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण का कार्य निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन सड़कों के निर्माण के लिये वहां पर स्थानीय मजदूर नहीं मिलते; और

(घ) यदि हां, तो सीमावर्ती जिलों के स्थानीय मजदूरों को काम करने के लिये तैयार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सिवाए एक क्षेत्र के निर्माण कार्यों की प्रगति अनुसूचित कार्यक्रम से कुछ पछड़ी हुई है।

(ख) कमी का मुख्य कारण है :—

(1) असैनिक और सैनिक गाड़ियों द्वारा सड़क का निरन्तर प्रयोग;

(2) अप्रत्यासित मौसमी हालात, जैसे कि सड़क ऊंचाइयों पर कुछ भागों में बर्फबारी, अवलांश इत्यादि; और

(3) मशीनों और संसाधनों का अन्य क्षेत्रों में उच्चतर प्राथमिकता की प्रायोजनाओं के लिए अपसरण ।

(ग) फसल के मौसम को छोड कर स्थानीय श्रम प्राप्य है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चलचित्र निर्माताओं को सहायता

325. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री राजेश्वर पटेल :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सुपात्र चलचित्र निर्माताओं को अर्थ-सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) यह योजना देश के चलचित्र उद्योग के लिये कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) : चुने हुए निर्माताओं को अच्छी फ़िल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, फ़िल्म वित्त निगम के द्वारा दिए जाने वाले ऋण के अलावा, अर्थिक सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) अनाज की दुर्लभता तथा उसके मूल्यों मे वृद्धि से उत्पन्न स्थिति

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"अनाज की दुर्लभता तथा उसके मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति ।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं इस बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे पढ़ दें क्यों कि शायद माननीय सदस्य इस पर कुछ प्रश्न पूछना चाहें ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भारत कृषि उपज के लिए अब भी सामयिक और पर्याप्त वर्षा पर निर्भर करता है । फसल क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर करता है । चालू फसल वर्ष में दक्षिण-पश्चिमी मानसून अनिश्चित रहा है और विशेष रूप से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश,

राजस्थान और गुजरात में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। चावल की उपज में भी गत वर्ष की 387 लाख मीट्रिक टन की रिकार्ड उपज की अपेक्षा कमी होने की सम्भावना है। सितम्बर में वर्षा के कुछ छींटे न पड़ने के कारण खरीफ के मोटे अनाजों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तर-पूर्वी मानसून से भी अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। चालू फसलों की असन्तोषजनक स्थिति से बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धि और उनके भावों पर प्रभाव पड़ा है।

अनाज के थोक भावों का अखिल भारतीय सूचकांक जो कि मई, 1965 में गिरकर 137 पर आ गया था, तब से बढ़ना शुरू हुआ और अगस्त 1965 में 152 पर पहुंच गया। तथापि, मई और अगस्त के बीच भावों में इस वृद्धि का रुख मौसमी है। जब से भारत-पाक संघर्ष आरम्भ हुआ है तब से मण्डियों में आमद में सुधार हुआ है और खाद्यान्नों के भावों में भी गिरावट आनी शुरू हुई है। अनाज के थोक भावों का सूचकांक गिरकर अक्तूबर में 147 पर आ गया। गेहूं के सूचकांक में भी गिरावट का रुख आया जो कि अगस्त के 144 से गिर कर अक्तूबर में 138 पर आ गया। वर्ष के इस समय में गेहूं के भावों में यह मंदी एक असाधारण बात है।

घरेलू उपज में सम्भावित कमी और आयात के बारे में अनिश्चितता से सरकार के लिए अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति करने और राशन व्यवस्था तथा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध खाद्यान्नों का नियन्त्रित वितरण करने के सम्बन्ध में नीति निर्णय लेना अनिवार्य हो गया है।

यद्यपि अधिप्राप्ति के तरीके प्रत्येक राज्य में आकार और प्रकार से भिन्न, भिन्न हैं, फिर भी, मोटे तौर पर या तो उत्पादक पर अथवा व्यापारी/मिल-मालिक पर अनिवार्य लेवी लगाने का सिद्धान्त सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है। कुछ राज्यों में जैसेकि महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और असम में अधिप्राप्ति की एकाधिकार पद्धति अपनायी जा रही है। आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर और बिहार में धान उत्पादक पर लेवी लागू की जा रही है। मद्रास ने उत्पादक पर लेवी की पद्धति अपना ली है और अपना व्यापार विनियमित कर रहा है। अन्य राज्यों में जैसे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में मिल-मालिकों/व्यापारियों पर लेवी पद्धति जारी रखी जा रही है।

यह निर्णय किया गया है कि एक लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले कस्बों और शहरों की हदबन्दी की जाए और उन क्षेत्रों में सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू की जाए। इन क्षेत्रों में सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू करने का ठीक ठीक समय सरकार के पास स्टाक उपलब्धि पर निर्भर करेगा। इस बात की कोशिश की जा रही है कि राशन-व्यवस्था 10 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में और उन क्षेत्रों में जहां भारी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहते हैं, शुरू की अवस्थाओं में लागू की जाए। 1965 के आरम्भ से ही बृहत्तर कलकत्ता में पहले से सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू है। मद्रास और कोयम्बतूर में भी 1-10-65 से सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू की जा चुकी है। आशा है कि दिल्ली में 1-12-1965 से सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू हो जाएगी।

उपलब्ध साधनों का यथासम्भव उपयोग करने के लिए यह अनिवार्य है कि खाद्य की हानि कम की जाए। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे दावतों और समारोहों में किफायत बरतें और होटलों तथा रेस्टोरेंटों में भी भोज्य देने में नियन्त्रण रखें। केन्द्रीय निदेश के अनुसार अधिकांश राज्य सरकारों ने सांविधिक आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में जनता से अपील की है कि वे सप्ताह में एक बार खाना न खा कर अनाज का उपभोग कम करने और जहां तक सम्भव हो अन्य खाद्यों का उपयोग कर अनाज बचाने में सहायता करें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि राजस्थान में कुछ स्थानों पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, रायलसीमा और अन्य स्थानों पर लगभग अकाल की स्थिति है और मूल्य अधिक हैं, और यदि हां, तो वहां पर यथा सम्भव शीघ्र अनाज पहुंचाने के लिये और मूल्यों को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि स्थिति सुधारने के लिये वह सांविधिक राशन-

[श्री स० मो० बनर्जी]

व्यवस्था लागू कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधान मंत्री ने अपील की है कि मांसाहरी व्यक्तियों को सप्ताह में चार दिन अनाज नहीं खाना चाहिये। शायद प्रधान मंत्री जी यह समझते हैं कि मांस और अंडे शीघ्र मिल जाते हैं और गरीब लोग उनको खरीद सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इतने लम्बे प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि (क) क्या दुर्भिक्ष-पीडित क्षेत्रों को खाद्यान्न भेजने के लिये कदम उठाये गये हैं और (ख) क्या उन राज्यों को जहां सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू कर दी गयी है या की जा रही है, अनाज भेजने के लिये पर्याप्त कदम उठाये गये हैं?

अध्यक्ष महोदय : जब एक साथ कई प्रश्न पुछे जायें तो मंत्री महोदय केवल एक प्रश्न का, जिसका वह चाहे, उत्तर दें।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रश्न पर कल ही मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत हुई है। मैं आज फिर स्थिति सुधारने के लिये उपायों के बारे में उनके साथ परामर्श करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : अकाल की स्थिति के बारे में क्या वे सहमत है?

श्री नाथ पाई : (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम आपके निर्णय को मानते हैं। लेकिन इस तरीके से अकसर सदस्यों के अधिकार कम हो जाते हैं। पिछले सप्ताह हाउस आफ कामन्स में एक प्रश्न पूछा गया था जो पूरे एक पृष्ठ का था। मैं समझता हूं कि हम तो फिर भी बहुत छोटे प्रश्न पूछते हैं। सरकार के कृत्य इतने पेचीदा हैं कि हम साधारण प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। ये नियम 25 वर्षपूर्व बनाये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई इस बात से सहमत होंगे कि जब किसी प्रश्न पर अधिक नाम नहीं होते और जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम इस प्रथा को तोड़ देते है। लेकिन इस प्रश्न के बारे में बहुत नाम हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर आपस में बैठकर चर्चा कर सकते हैं।

श्री नाथ पाई : आप थोडा उदार रवैया अपनाएं।

श्री स० मो० बनर्जी : ध्यानाकर्षण सूचना खाद्यान्न के अभाव और मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के बारे में है। अतः जब मंत्री महोदय द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में वक्तव्य दिया गया है तो इसमें निश्चित ही अभाव और मूल्यों में वृद्धि का उल्लेख होगा। मेरा अनुपूरक प्रश्न अभाव के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : वह उसका उत्तर दे चुके है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले पर मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत की है और संभरण करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री स० मो बनर्जी : आप इस पर चर्चा की अनुमति दे।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा उठाने के लिये एक निर्धारित प्रक्रिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : चावल तीन रुपये किलो बिक रहा है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

Shri Baswant (Thana) : Is it a fact that as a result of draught conditions during September, the farmers, specially in Maharashtra, are facing much difficulty in sowing the rabi crops due to lack of moisture in the land. Are Government taking some action for meeting the situation ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सच है कि महाराष्ट्र में व्यापक रूप से अन्नका अभाव है और रबी की फसल के लिये आवश्यक पूर्वोत्तर मानसून पवन भी अभी नही आयी है। हम मुख्य मंत्रियों के साथ इसी स्थिति पर विचार-विमर्ष कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अगली बैठक में इस बारे में कुछ निश्चित कार्य-वाही करने का निर्णय कर लिया जायेगा।

Shri D. D. Mantri (Bhir) : As the Hon. Minister has said there is scarcity in 23 out of 26 districts of Maharashtra. There is not only the scarcity of foodgrains but also of fodder. I want to know what steps are being taken by Government and whether monopoly procurement will also be resorted too in respect of Bajra etc. as in the case of wheat and paddy ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मोनोपली प्रोक्योरमेंट भारत भर में नही बल्कि कुछ ही राज्यों में किया जा रहा है। जहां पर चारे का सम्बन्ध है, वह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगले) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र में, जो कि अनाज की कमी वाला क्षेत्र है, वर्षा न होने के कारण सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार किसानों को बीज और उर्वरक देने और विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को ऋणसम्बन्धी सुविधाएं देने के बारे में क्या ठोस कदम उठाये हैं और उठाने का प्रस्ताव है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम सारी स्थिति पर विचार कर रहे हैं और इसके लिये उठाये जाने वाले कदम तै कर रहे हैं।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : उड़ीसा में विशेषत: कालाहांडी में भारी अकाल की स्थिति को देखते हुए, जहां से यह समाचार मिले हैं कि लोग अपने बच्चे, जेवरात, ढोर आदि मामूली मूल्य पर बेच कर अन्यत्र जा रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा वहां के लोगों की दयनीय स्थिति को, सहायता कार्य आरम्भ करके और विभिन्न स्थानों पर सस्ते अनाज की दुकाने खोल कर, सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उडीसा से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह इतनी खराब नहीं है। इसमें कोई सन्देह नही कि वर्षा न होने के कारण स्थिति खराब हो गई है लेकिन हमें समुचे देश की स्थिति को देखते हुए विभिन्न कदम उठाने हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस महीने की 4 तारीख को खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद के दौरान पश्चिम बंगाल की विधान सभा में यह वक्तव्य दिया था। कि यदि केन्द्र से उचित समय पर और निश्चित मात्रा में खाद्यान्न पश्चिम बंगाल पहुंच जाता तो पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न के मूल्यों में आसाधारण वृद्धि और अकाल कीसी स्थिति को रोका जा सकता था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जो कुछ मेरे पास था, उसको विभिन्न राज्य सरकारों को देने के लिये मैंने भरसक कार्य किया और यदि इससे कठिनाईयां हुई हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : क्या इस बात का कोई निश्चित रुप से पता लगा लिया गया है कि देश में कितने अनाज की आवश्यकता होगी और विदेशों से कितना अनाज मंगाना पडेगा और क्या किसी राजनीतिक पहलू इसमें शामिल किये बगैर अन्य मित्र देशों से अनाज प्राप्त करने के लिये दृढ़ आश्वासन प्राप्त हुए हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि 'खरीफ़' में उत्पादन कितना रहा है और 'रबी' में कितना उत्पादन होने की संभावना है। मैंने विभिन्न राज्य सरकारों से आंकड़े मांगे हैं; कुछ राज्यों से आंकड़े प्राप्त हो गये हैं और कुछ से प्राप्त होने हैं। जैसे ही विवरण प्राप्त हो जायेंगे तो सारे देश की स्थिति का पता लग जाएगा और उसके आधार पर संकट का सामना करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

हमें बाहर से भी जितना मिल सके उतना लेना पड़ता है और मैं इस बात से सहमत हूं कि जब भी हम आयात करें उसमें राजनीतिक पहलू शामिल न हों।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : Only today the Chief Minister of U. P. has said that if the Central Government does not provide adequate foodgrains, rationing cannot be started in U. P. w.e.f. 1st January. I want to know whether the Union Food Minister is going to make arrangements for the adequate supply of foodgrains for U. P. or he has already done so ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ राज्य सरकारें ऐसा सोचती हैं कि राशन व्यवस्था लागू करके वे मेरे उपर कृपा कर रही हैं। यह तो उनके अपने हित में है कि जब वहां पर कमी है और अभाव है तो वितरण नियंत्रित किया जाय। अतः हर राज्य को मैं उतना नहीं दे सकता, जितनी उनको आवश्यकता है। मेरे पास इतना स्टाक नहीं है। यह तो जो कुछ समाहार हो सकता है उसका आन्तरिक समाहार और वितरण का प्रश्न है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Our Govt. does not want to import foodgrains from abroad and as the monsoon required for rabi season has not come in, are they taking some other concrete steps rather than to ask for eating less ? Or are they preparing some comprehensive plan in consultation with other political parties?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं अन्य दलों से भी परामर्श कर रहा हूं। एक अगले दिन ही मैंने इस सभी दलों के नेताओं और इस सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों से बातचीत की थी और कल फिर उनसे बातचीत करूंगा। उन्होंने जो सुझाव दिये, उनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है।

डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस बात को देखते हुए कि देश में सभी यह चाहते हैं कि विदेशों से आयात पर निर्भर न रहा जाय, क्या सरकार यह बता सकती है कि क्या इस वर्ष पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किया जाएगा और कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा और क्या इस आयात किये गये अनाज को अबसे 'बफर स्टाक' बनाने के लिये इस्तेमाल किया जायगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अभी तक केवल 20 लाख टन का बचन दिया गया है। इसका तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वर्ष और कितना मिल सकेगा। हमें 'बफर स्टाक' बनाने की बात भी सोच रहे हैं क्योंकि मार्च से जून तक के समय में बड़ी कठिनाई होती है और हमें इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये खाद्यान्न बचाना पड़ेगा चाहे वह देशी हो या आयात किया हुआ।

श्री लिंग रेड्डी : दक्षिण में और विशेषतः रायलासीमा के साथ कोलार जिले में और सामान्यतः मैसूर राज्य में दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मानसून न आने के कारण फसल बिल्कुल नहीं हुई है; लोगों के पास कोई काम नहीं है; लोगों के और ढोरों के लिये पीने का पानी नहीं है; सभी तालाब सूख गये हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के डिपुओं में तुरन्त अनाज भेजना बड़ा आवश्यक है। वहां पर सहायता कार्य भी किया जाए और अनाज भी भेजा जाए।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये जिम्मेवारियां राज्य सरकार की हैं। निस्सन्देह केन्द्रीय सरकार आवश्यक सहायता देती है और देश की सारी स्थिति को देखते हुए योजना बनाती है। मुझे मुझे विश्वास है कि इन क्षेत्रों के बारे में मैसूर सरकार अपने कर्त्तव्यों के प्रति सूर्णत: सजग है, जहां निस्सन्देह कमी की स्थिति पैदा हो गई है।

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : चित्तूर और कडप्पा जिलों से मुझे कई पत्र मिले हैं कि हाल में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एक विवाह समारोह में तिरुपति गये थे और उसके बाद वे चित्तूर और कडप्पा जिलों का, जहां कुछ स्थानों पर तो घास तक भी नहीं उग रही है; दौरा किये बिना तुरन्त हैदराबाद चले गये। क्या मंत्री महोदय आप मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को सलाह देंगे कि वे फौरन इन क्षेत्रों का निरिक्षण करें और (1) यथा संभव अधिकाधिक संख्या में उचित मूल्य वाली दूकाने खोलने, (2) छोटी सिचाई परियोजनाओं, विशेषत: बहुउद्देशीय परियोजना को आरम्भ करने, (3) निर्धारित करों को फौरन माफ करने की घोषणा करने और (4) किसानों द्वारा सरकार के इस वर्ष के ऋण की किस्त माफ करने के लिये कदम उठायें। प्रधान मंत्री जी ने लोगों को एक बार भोजन न करने की सलाह दी है। इसी प्रकार क्या सरकार सभी मंत्रियों को सलाह देगी कि वे विवाह आदि समारोहों में भाग न लें.....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। प्रश्न का कहीं तो अन्त होना ही चाहिये। मंत्री महोदय इस प्रश्न के एक ही भाग का, जिसका वह चाहें उत्तर दें।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा उत्तर 'नहीं' है। मैं आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के लिये सलाहकार का काम नहीं कर सकता। वह स्वयं सक्षम और जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उन्हें अपने कर्त्तव्यों और जिम्मेवारियों का पूरा ध्यान है। यदि माननीय सदस्य की उनसे कोई राजनीतिक लड़ाई है तो वह उनसे पृथक रुप से निपटें, इस सभा में नहीं।

Shri T. A. Patil (Osmanabad) : Due to failure of monsoon in the whole country, specially in Maharashtra, there has been created famine conditions. To meet this are Government contemplating to supply oil engine, fertilisers and seed at cheap rates to ryots ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने एक यह भी योजना बनायी है कि हमें आइल इंजिन और पानी रियायती भाव पर देना चाहिये ताकि उपलब्ध पानी का लाभप्रद ढंग से इस्तेमाल किया जा सके।

(2) पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों का रोका जाना और पटसन, चाय आदि का जब्त किया जाना—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों को रोके जाने और पटसन, चाय आदि के जप्त किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण सूचना को लेते हैं जिस पर शुक्रवार को चर्चा स्थगित कर दी गयी थी। अब माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I want to know the value of defence material among goods seized by Pakistan ? Can we appeal in the International Court against the decision of the Suez Canal Court ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : It is very difficult to say. So far as second part of the question is concerned, the evidence which the court wanted was not before the Court. The main evidence in this case was manifest which was not produced before the court by the captain of *Bage-Karachi* and as such the court could not give any decision.

Shri Yogendra Jha (Madhubani) : By appointing a War Prize Court, Pakistan has proved that they have unilaterally declared war against India. I want to know whether in view of this the Government have thought that all previous agreements with Pakistan especially canal water agreement and Kutch agreement should be scrapped.

Shri Raj Bahadur : Scrapping of agreements is a different thing. According so Pakistani Constitution also, unless war is declared by issuing an ordinance, was is not treated as declared and no prize court can be established till then.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों के पश्चात् मित्र देशों ने जर्मनी से प्राइज कोर्टों द्वारा की गई अवैध जप्ती और उससे हुई क्षति के लिए मुआवजा मांगा था। क्या भारत सरकार ने भी मुआवजा मांगा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस प्रश्न पर निश्चय ही विचार किया जायेगा।

Shri Yogendra Jha : My question has not been fully replied.

Mr. Speaker : That has been replied.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I want to quote the hon. Minister himself "In accordance with our policy in other sectors we made no war preparations in the field of shipping," while charging the Government for indolence and indifference. I want to know the total amount of goods seized by Pakistan.

Shri Raj Bahadur : What I meant to say was that India was not preparing beforehand to attack Pakistan. We had only to retaliate. As regards the value of the cargo seized by Pakistan, it is estimated at 10 crores of rupees. Out of this Cargo worth Rs. 7·5 crores is insured and out of this two Rs. 6·25 crores of the insured money has got to be paid by foreign insurance Companies. Rest of the goods valued at about Rs. 3·75 crores is not covered by insurance.

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh) : Do the Government propose to take this matter to the International Court at Hague if they are not satisfied with the reply of Pakistan ?

Shri Raj Bahadur : Pakistan has violated the International Law. Whether this is within the jurisdiction of International Law or not is a different question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : What are the details of the goods seized by both the countries as also their value and what are those delicate matters which he has referred to in the statement ?

Shri Raj Bahadur : First of all the question of International Law is involved in it. Secondly the Prize Courts were constituted without the declaration of war and the goods were confiscated. We will not recognise the sale and purchase of these goods and it will be treated as stolen property.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He has not given the details of the goods seized.

Mr. Speaker : If you like I will ask him to lay a statement.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : क्या यह सच है कि इटली के एक जहाज ने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया कि तटस्थ देशों के जहाज़ पहले भारत में सामान उतारें और फिर पाकिस्तान जायें जिसके परिणामस्वरुप हमें काफी सामान का नुकसान हुआ? क्या सरकार ने इस भारत विरोधी कार्यवाही के लिये शिकायत की है?

श्री राज बहादुर : अधिकांश जहाजों ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। ब्रिटेन की एक कम्पनी के स्टीलवेन्डर जहाज़ ने हमारी प्रार्थना को नहीं माना और वह सीधा कराची चला गया। इस नुकसान के लिये हम उस कम्पनी को जिम्मेवार ठहराते है और हम उससे मुआवज़ा मांग रहें हैं। एक या दो और जहाजों ने जानबुझकर हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। उसी कम्पनी का दूसरा जहाज़ 'ऐडिगे' बम्बई आया और पत्तन और गोदी के मज़दूरों ने उसका बहिष्कार कर दिया।

श्री नाथ पाई (राजापूर) : यह उन्होंने बहुत अच्छा किया। सरकार को ऐसा ही कुछ करना चाहिये।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपूर) : पाकिस्तान के बागे कराची ने अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन किया है। सरकार ने इसके विरूद्ध क्या निवारक उपाय अथवा जवाबी कार्यवाही की है?

श्री राज बहादुर : उस जहाज के ब्रिटिश कप्तानने अदालत का कहना नहीं माना और उस जहाज को सईद पत्तन पर हमारा माल उतारने के लिये आमल नहीं किया जा सका। हमने इस संबंध में निवारक उपाय किये हैं। यदि ये उपाय न किये जाते तो 38 के 38 तटस्थ जहाज़ जिनमें पाकिस्तान का सामान भी था सीधे पाकिस्तान चले जाते। वहां पर जो 19 जहाज गये हैं उनमें से 8 तो पहले ही वहां पहूंच गये थे पहले और 11 ने हमारी बात नहीं मानी।

श्री नाथ पाई : उन्होंने जवाबी कार्यवाही के लिये पूछा है।

श्री राज बहादुर : वह विवरण में दी गई है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, Sir, kindly get my question answered.

Mr. Speaker : I have said that I will ask him to give it in the statement.

श्री राज बहादुर : ऐसा करना संभव नहीं है, और ऐसा करना लोकहित में भी नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, Sir. the Prime Minister has not dealt with my adjourment motions and the Calling Attention notices and therefore they have revised.

Mr. Speaker : I have asked the Prime Minister whether these things would be covered in any ensuing discussions. Let the reply come and if your points are not covered I shall consider the matter.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमन् मैं ने निवेदन किया था कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा के लिये दिन नियत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने प्रधान मंत्री से पूछा है कि क्या सरकार कोई प्रस्ताव ला रही है। प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा किसी और रुप में होगी। मैंने इसके लिये पूछताछ की है और मेरे पास जानकारी आ लेने दीजिये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल दुकान तथा वाणिज्य संस्थापना नियम, व्यक्तिगत चोट (आपात) संशोधन विनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम की प्रथम अनुसूची में जोड़ तथा खान मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : श्री संजीवय्या की ओर से मैं :

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल दुकान तथा वाणिज्य संस्थापना अधिनियम, 1960 की धारा 34 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 181/64 की एक प्रति, जो दिनांक 16 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल दुकान तथा वाणिज्य संस्थापना नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये थे, सभा पटल पर पुनः रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4919/65।]**

(2) इन पत्रों की एक एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) व्यक्तिगत चोट (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत व्यक्तिगत चोट (आपात) संशोधन विनियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3085 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5082/65।]**

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 37563/एच/2/65/एच एल डी की एक प्रति जो दिनांक 6 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उर्वरक उद्योग जोड़ गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5083/65।]**

(3) एना कोयला खान, धनबाद में 24 जुलाई, 1965 को हुई घातक दुर्घटना के बारे में खान मुख्य निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5084/65।]**

केरल के संबंध में उद्घोषणा को लागू रखे जाने के बारे में संकल्प—जारी
RESOLUTION RE : CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF KERALA

अध्यक्ष महोदय : अब हम केरल के बारे में उदघोषणा को लागू रखने के बारे में संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था एवं स्पष्टीकरण का प्रश्न है। माननीय मंत्री उस दिन अपने भाषण में केरल के राज्यपाल की एक बड़ी भारी भूलको छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना भाषण अभी समाप्त नहीं किया है इसलिये माननीय सदस्य यह कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उक्त बात का जिक्र नहीं किया।

श्री दी० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : श्री जैन ने भारत सरकार को जो दस्तावेज़ भेजा है उसका उस दिन हवाला दिया गया था और हमारा तर्क यह था कि उस दस्तावेजों में बहुत ही गलत बातें दी हुई थी। यदि आज इसका स्पष्टीकरण होना है तो ठीक है, पर उन्होंने वह बात खत्म कर दी थी।

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह समाप्त नहीं कर लेते हमें कुछ नहीं कहना चाहिये। श्री हाथी।

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री हाथी) : इन सब बातों का मैं उत्तर दूंगा। गृह-कार्य मंत्री ने राज्यपाल को प्रतिवदन के लिये लिखा था ताकि यह निर्णय किया जा सके कि क्या उद्घोषणा को आगे लागू रखा जाना चाहिये अथवा नहीं। अन्य बातों के साथ साथ प्रतिवेदन पर भी विचार किया गया और सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसा करना जरुरी है और इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है।

डा० मा० श्री० आणे (नागपुर) : गृह-कार्य मंत्री ने केरल के राज्यपाल को प्रतिवेदन भेजने के लिये जो पत्र लिखा था क्या उसको सभा पटल पर रखा जायेगा?

श्री हाथी : उस पत्र में और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसलिये मेरे लिये इस समय बताना कठिन है कि इस सभापटल पर रखा जायेगा अथवा नहीं।

श्री वासुदेवन नायर और श्री वारियर ने कहा कि योजना विकास परियोजनाओं का कार्य धन की कमी के कारण तेज़ी से नहीं चल रहा है। वास्तव में तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिये उपलब्ध केन्द्रीय सहायता की बकाया राशि 23.9 करोड़ रू० थी। राज्य का भाग 13 करोड़ रू० का था। इस प्रकार 1965-66 के लिये राज्य को केवल 36.90 करोड़ रु० योजना के लिये मिल सकता था परन्तु राज्य की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 41.65 करोड़ रु० का योजना व्यय अनुमोदन किया। हमने स्थिति का फिर पुनर्विलोकन किया और 5.63 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि मंजूर की।

दूसरी शिकायत यह की गई है कि फाइटो रसायन परियोजना को छोड़ दिया गया है। इस परियोजना को तकनीकी और आर्थिक पहलू से चलाना संभव नहीं था इसलिये छोड़ा गया था। इसका कच्चा माल बहुत महंगा पड़ता था और इस प्रकार उत्पादित वस्तु के एक टन का मूल्य एक लाख पड़ता था जबकि आयात की गई वस्तु हमें केवल 18,000 रु० में पड़ती है और बंगाल कैमिकल्स उसे 50,000 रु० में बनाता है। यदि कोई छोटी परियोजना आर्थिक दृष्टि से ठीक रही तो हम उसे चलायेंगे।

जल परिवहन निगम के बारे में सदस्यों को पता है कि इस निगम को परिसमाप्त कर दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की जा चुकी है। इसलिये कर्ज़ के भुगतान में किसी विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को, जिनकी छंटनी की गई है, प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। इसमें कानूनी अड़चनें हैं। हमने कहा है कि राज्य सरकार निगम की नौकाओं को 3 लाख रु० में खरीद ले और उस रकम द्वारा भुगतान किया जा सकता है। यह रूपया हम उन्हें ऋण के रूप में नहीं देना चाहते अपितु हम चाहते हैं कि हम उन नावों को तीन लाख रूपये में खरीद लें। ऋण देने से तो व हमारे कजदार हो जायेंगे। यदि यह सम्भव नहीं तो कोई अन्य तरीका भी अपनाया जा सकता है।

[श्री हाथी]

इसके बाद प्रश्न आता है राशन का। इस प्रश्न पर परामर्श समिति में विचार किया गया था। राशन की वृद्धि बात स्वयं खाद्य मंत्री तक ने स्वीकार की थी। गृह कार्य मंत्री ने यह विश्वास दिलाया था कि आन्ध्र की समस्या हल करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। शिकायतें की गयी है कि केरल में लोकतंत्री शासन नहीं है अत: उसका मामला उपेक्षित हो रहा है।

मेरा निवेदन यह है कि केरल की उपेक्षा नहीं की गयी। गृह कार्य मंत्री ने स्वयं इस मामले को अपने हाथ में लिया था। उन्होंने ही खाद्य मंत्री को वहां जाकर लोगों की शिकायतें सुनने का आग्रह किया। परन्तु यह था कि कुल जरूरत और उपलब्धी की दृष्टि से सारे मामले पर विचार किया जाय। गृह कार्य मंत्रालय ने एक मंत्रालय के रूप में केरल की कभी भी उपेक्षा नहीं की है। भूमि पर अतिक्रमण के मामलें पर भी सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार किया गया है। लोगों को बेदखल करने को रोक दिया गया है। कोई नई बेदखलियां नहीं हुई। आदेश बड़े स्पष्ट हैं। एक बात समझ लेनी चाहिए कि केरल की समस्याओं को हल करना हमारा उत्तरदायित्व है।

कहा गया है कि जब भी योजना पर चर्चा होती है तो वहां लोकप्रिय व्यवस्था का अभाव होता है। परन्तु इस मामलें पर पूरा ध्यान रखा जाता है। केरल के माननीय सदस्यों से परामर्श किया जाता है। वहां के स्थायी अधिकारियों की राय जानी है। राज्य की योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में लिया जाता है। विभिन्न प्राथमिकताओं तथा दृष्टिकोनों से इस पर विचार किया जाता है। केवल लोकप्रिय व्यवस्था न होने के कारण केरल को हानि नहीं होने दी जाती। केन्द्रीय सरकार योजना की प्रगति पर सदा ध्यान रखती है। हमने हमेशा यह देखने का प्रयत्न किया है कि संसाधनों की कमी के सभी मामलों में परियोजनाओं पर कुप्रभाव न पड़े। श्री लोहिया का कहना ठीक ही था कि किसी की विचारधारा को कोई मानने वाला हो, हमारे व्यवहार में मानवीयता होनी चाहिये। यह बात भी गलत है कि हम आपात का लाभ उठाते हुए केरल में चुनाव नहीं करा रहे हैं। आपात काल में जो कुछ किया गया है उसका श्रेय केवल कांग्रेस को ही नहीं सारे राष्ट्र को ही है। सारा राष्ट्र ही एक व्यक्ति की तरह खड़े होकर संकट का मुकाबला करने को तैयार हो गया था। इस एकता की भावना के लिए हमारे प्रधान मंत्री ने सारे राष्ट्र को श्रद्धांजली प्रस्तुत की है। अत: इस सारी स्थिति को देखते हुए मेरा निवेदन यह है कि इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक बात स्पष्टीकरण के रूप में कहना चाहता हूँ। मुझे यह बात कहने में भी कोई संकोच नहीं कि इस दिशा में मेरी भविष्यवाणी प्राय: ठीक ही सिद्ध हुई हैं। मुझे यह महसूस हो रहा है कि मंत्री महोदय अपनी ही कही हुई बातें से मुकर गये हैं। उसमें प्रजासमाजवादी दल की अपेक्षा की गयी है। मंत्री महोदय राज्यपाल को आश्रय देते हुए महसूस होते हैं। मेरा आग्रह है कि राज्यपाल का प्रतिवेदन मूल रूप से सभा पटल पर रखा जाय जिसमें से कि मंत्री महोदय उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस मामलें को हलके ढंग से नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मैं इस मामले के औचित्य कि दृष्टि से औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे तर्कों की तो हमेशा उपेक्षा ही कर दी जाती है। हम सरकार की बातों का उत्तर देने में सक्षम है, परन्तु उसमें न जाता हुआ केवल इतना ही कहता हूँ कि हमें राज्यपाल के प्रतिवेदन की पूरी प्रतिनिधि नहीं दी गयी है। इसी आधार पर ही वहां राष्ट्रपति का शासन कायम रखा जा रहा है। इस दस्तावेज में कई एक बातें गलत रही है। वैसे राज्यपाल जो चाहे कहे अथवा करे, परन्तु मेरा ध्यान तो उस ओर तब जाता है जब कि वहां कोई तथ्य पूर्ण गलती हो। इससे काफी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। यदि हमारे राज्यपाल इस प्रकार की गवाही देते तो उनको उनके पद से च्युत कर दिया जाता। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि केरल में राज्यपाल के शासन को चालू रखने का कोई औचित्य है। इस मामलें को राजनीतिक रूप देकर हल किया जा रहा है और विरोधी पक्ष का

दृष्टिकोण नितान्त उपेक्षा से अस्वीकृत कर दिया गया है। मेरे विचार में तो जिस प्रकार का प्रतिवेदन आया है, वह इस संसद का अपमान है। और इस दिशा में कोई ऐसा निर्णय नहीं किया जा रहा जो कि सरकार को सहायक सिद्ध हो सके।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to draw the attention of the Minister to one point why the Vidhan Sabha was discussed without calling its meeting ? The other question is what arrangement the Government is doing to stop that Gwalior Rayon Mills. And the one is the charge levelled against the P. S. P. when the party is not at all in existance in the State of Kerala. Even the names have been wrongly entered.

Shri Bade (Khargone) : In the summary of Governor's report a charge has been levelled against P. S. P. I may state that the Communists and P. S. P. can never become friends.

Shri Madhu Limaye says there is no existance of that party in Kerala. Honourable Minister has no right to mislead the Parliament. This is not correct.

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यपाल के प्रतिवेदन की व्यवस्था है। इसके बिना राष्ट्रपति उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। हमें बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने यह प्रतिवेदन विरोधी दलों के परामर्श के बाद किया गया है। संसद के सदस्यों को राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलना चाहिए। 356 अनुच्छेद का आधार यह है कि संवैधानिक संकट के पैदा हो जाने पर कार्यवाही की जाती है। राष्ट्रपति भी संवैधानिक ढंग से उसकी जानकारी प्राप्त करते है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं श्री नि० च० चटर्जी के तर्क का समर्थन करता हूं। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि संसद के सदस्यों को राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलना चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : As the Government intend to extend the President's rule for an other six months, there fore it is very essential that the relavant report should be presented. It would have been proper if he had not discussed the report under clause 2.

श्री हाथी : मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि श्री चटर्जी जैसे विधि विद्वान इस तरह का तर्क प्रस्तुत कर रहे है। अनुच्छेद 356 बड़ा स्पष्ट है, हम केवल राज्यपाल के प्रतिवेदन पर ही कार्यवाही नहीं कर रहे, प्रत्युत और भी कई बातों पर विचार किया गया है। राष्ट्रपति तो मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही कार्यवाही करते हैं। राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल को बढा सकते है। दूसरी बात विधान सभा की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। केवल राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति कार्य कर सकते है।

अध्यक्ष महोदय : यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन में बहुत ही भुलें हो तो, सरकार की क्या स्थिति है। मेरे विचार में तो प्रतिवेदन की अपेक्षा नहीं होती। परन्तु यदि सरकार ने एक बार प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया तो वह ठीक होना चाहिए और उसमें भुलें नहीं होनी चाहिये।

श्री हाथी : मैंने पहले दिन भूल सुधार कर दी थी। मैंने कह दिया था कि पी० एस० पी० के स्थान पर एस० एम० पी० कर लिया जाय। मैंने पूछ लिया था, अत: मैंने इसका प्रतिवाद नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने इस रिपोर्ट में तीन सुधार किये हैं। प्रथम यह कि नाम गलत था दूसरा यह कि, 'के नेताओ के' शब्द लगे थ, और तीसरा पी० एस० पी० के स्थान पर एस० एम० पी० था।

श्री हाथी : यह तो सार है और इसमें केवल परिणाम बताये गये है जिस पर वे लोग पहुँचे है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वह इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेंगे अथवा नहीं। इसका उत्तर मंत्री महोदय को देना है।

Shri Madhu Limaye : You should give your ruling sir.

Mr. Speaker : If you want my ruling then the position is a document has been presented and it has been corrected afterwards. He says it is a summary. Why Summary has been brought before the House? Second point is that the report should come before the declaration of the President. Previously this has come like that and that procedure should have been repeated this time also.

Thirdly this has been stated that it is an honest Summary. Now it is a mistake, I, as a speaker cannot make any corrections, it is for the opposition to bring this into the notice of the House. Ultimately it is for this House to decide.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपनी विनिर्णय का आदर करता हूँ परन्तु नियम 368 स्पष्ट है कि सम्बल सभी कागज़ पटल पर रखे जाने चाहिए। यदि सार ही रखा जाये तो वह गलत तो नहीं होना चाहिए। आप मंत्री महोदय को निर्देश दे कि यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जैसा कि 1959–60 में किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता उस समय क्या परिस्थितियां थीं।

श्री नाथ पाई : मैंने उन के बारे में ठीक ठीक बता दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका यह अर्थ है कि कोई भी सदस्य या मंत्री सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन कर सकता है और आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ऐसी बात नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : जब हम नियमों का उल्लंघन करें तो आप हमें बुरा भला कहते है परन्तु क्या सरकार के लिये ये नियम नही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री नाथ पाई : हम आपके विनिर्णय को स्वीकार करते है चाहे हम उससे सहमत न भी हों, परन्तु यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। पहले से यह प्रथा चली आ रही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय प्रतिपक्ष दलों के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते है। श्री कामत ने कहा है कि चर्चा के दौरान माननीय मंत्री ने एक दस्तावेज़ का उल्लेख किया है तो उनको वह दस्तावेज़ सभा पटल पर रखना चाहिये। यह व्यवस्था का प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप समझते हैं कि सरकार के लिये ऐसा करना आवश्यक नहीं तो हम आपका विनिर्णय मानने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। सरकार यह दस्तावेज़ सभा पटल पर रखने को तैयार नहीं है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : श्री कामत ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। श्री नाथ पाई ने कहा है कि हमने नियमों के अनुसार व्यवस्था का यह प्रश्न उठाया है। इस मामले में माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि इस दस्तावेज़ के सभा पटल पर रखने से जनहित को हानि होगी। दूसरे उन्होंने

रिपोर्ट का जो संक्षिप्त रूप यहां रखा है वह ठीक नहीं। अतः माननीय मंत्री को इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखना चाहिये। आप को इस बात के लिये आदेश देना चाहिये।

Shri S. M. Banerjee : Sir, this summary is defective. Some corrections have been made in it. I remember that when Shri Kamath had read some extracts from C. B. I. report on Orissa affairs, he was asked to place the same on the table of the House. You should protect the rights of opposition. If it is permitted, Government would always place summaries of important documents. I request you to direct the hon. Minister to place Governer's report on the table of the House.

Shri Bade : Sir, you said that the speaker sometimes goes beyond his powers to help the minority in the House. This ruling of yours is quoted in State Legislatures. Sir, it is a practice in courts that if some document is quoted, court can ask for its production. Similar is the case here. It would be proper here for the hon. Minister to place the full report on the table of the House.

Mr. Speaker : I have heard all this. We had a discussion here and I have given my ruling. I want to ask the hon. Minister on which proviso does he rely ? Is he not placing it on the table in public interest because a summary has been placed ?

श्री हाथी : जनहित के कारण।

Mr. Speaker : On insistance of hon. Members I have asked the Minister the grounds on which he is not prepared to place it on the table of the House.

श्री हरि विष्णु कामत : नियमों के अनुसार चर्चा स्थगित की जा सकती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं समझता हूं कि सभा इस समय यह चाहती है कि यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि मुझे इस संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित करने के लिये एक प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा दें।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस संकल्प पर आगे चर्चा स्थगित रखी जाये।"

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि इस संकल्प पर आगे चर्चा स्थगित रखी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 31, विपक्ष में 76 ;/Ayes : 31, Noes : 76.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :-

"कि यह सभा राष्टपति के कृतियों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छद 356 के अन्तर्गत दिनांक 24, मार्च, 1965, को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1965 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिये लागू रखे जाने का अनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 89, विपक्ष में 30; /Ayes : 89, Noes : 30.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) विधेयक
RAILWAYS (EMPLOYMENT OF MEMBERS OF ARMED FORCES) BILL

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि रेलवे के कार्यसंचालन तथा प्रबन्ध में संघ की सशस्त्र सेना के व्यक्तियों के नियोजन सम्बन्धी उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक पिछले सत्र में पुर:स्थापित किया गया था परन्तु समय के अभाव के कारण इसे लिया न जा सका । इस विधेयक के केवल 5 खण्ड हैं । जब सशस्त्र सेना के व्यक्तियों को रेल्वे प्रशासन की सहायता करनी होती है तो उन्हें कुछ कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पडता है । सेना वालों को रेलवे अधिनियम 1890 के अन्तर्गत संरक्षण नहीं मिलता, अत: वे आवश्यक हिदायतें जारी नहीं कर सकते । इन कठिनाइयों को इस विधेयक द्वारा दूर किया जा रहा है । सेना पर रेलवे के सभी प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे । सेना को आवश्यकता के समय रेलवे के अनुभागों को अपने नियन्त्रण में लेने का अधिकार होगा । इस विधेयक के द्वारा आपातकालीन स्थिति में जारी किये गये अध्यादेश को भी समाप्त किया जा रहा है । यह एक साधारण सा विधेयक है । इस में कोई बात विवादस्पद नहीं है । आपातकालीन स्थिति में रेलवे का सैनिक दृष्टि से महत्व बहुत बढ़ जाता है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है । मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक स्वीकृत होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि रेलवे के कार्य-संचालन तथा प्रबन्ध में संघ की सशस्त्र सेना के व्यक्तियों के नियोजन सम्बन्धी कतिपय उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Buta Singh (Moga) : This Bill **is** intended to make arrangements for administrative convenience. We are passing through a state of emergency. Our armed forces have shown unprecedented valour and bravery in this hour of trial. This Bill lays down that our Defence forces can take action in connection with safeguarding the railway property. According to Railways Act no other person than railwaymen can take up this work. Under the present Bill this restriction is being waived in the case of defence personnel. I support this Bill, because it is in the interest of safeguarding the national property.

The people of Punjab have shown a remarkable sense of patriotism during recent conflict with Pakistan. The villagers have done patrolling alcngside the railway line. These people should be provided arms. The Railway employees also

have done marvellous work. They have been performing duty without caring for their personal safety. They should be congratulated. They should be given special war-time allowance. They should also be provided with arms. Arrangements should be made to provide them protection.

It is gratifying to know that adequate protective steps are being taken for important Railway stations in Punjab. The railway employees who were killed during this conflict should be given awards as are given to persons belonging to services.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I want to thank and congratulate the railway employees for magnificent work they have done during this war. I welcome this Bill not only because it is in the interest of nation but because it will be applicable to the whole of India *i.e.* including Jammu and Kashmir. These three main points in this Bill. First is that railway employees who work for defence will have same status as that Armed Forces personnel. The second is that Railways Act 1890 will not be applicable in this respect and thirdly it will be according to ordinance 53 of 1942.

I want that a similar Bill in respect of shipping should also be brought. The merchant navy should also be provided facilities if they under take duty in our Navy. The private transport operators have proved of great help in our war effort. I feel that these people should be given some facilities. We have three types, transport in our country—water transport, rail transport and road transport. All of them should be provided facilities and benefits.

इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पश्चिम): मुझे प्रसन्नता होती यदि माननीय प्रतिरक्षा उपमंत्री ऐसा आभास न कराते कि हमारे रेलवे कर्मचारियों ने लड़ाई के दिनों अच्छी तरह काम नहीं किया। हमें रेलवे कर्मचारियों की सराहना करनी चाहिये क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद देशभक्ति का परिचय दिया है।

हमें पता चला है कि राजस्थान के एक स्टेशन पर शत्रु की बमबारी के फलस्वरूप रेलवे के 11 कर्मचारी मारे गये थे। पंजाब, गुजराथ तथा राजस्थान में उनकी की वीरता के बारे में हम पहले ही सुन चुके है। इस विधेयक का सम्बन्ध उस समय से है कि जब सेना के अधिकारियों को रेलवे के कार्य पर लगाया जायेगा। मुझे रेलवे मंत्रालय से पता चला है कि इस समय 16,700 रेलवे कर्मचारी प्रादेशिक सेना के सदस्य हैं और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय युद्ध के समय प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को सैनिक प्रशिक्षण मिलता था।

अब भी 16,700 रेलवे कर्मचारी ऐसे हैं जो प्रादेशिक सेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अत: इस कार्य के लिये इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उनको रेलगाड़ियों को चलाने के कार्य का अनुभव है और इस के साथ साथ वह सैनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। इन से दोहरा लाभ उठाया जा सकता है और यदि इस सुझाव को मान लिया जाय तो इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

मंत्री महोदय ने बताया कि जब नियमित सैनिकों को रेलगाड़ियों को चलाने का कार्य सौंपा जाता है तो 1890 का भारतीय रेलवे अधिनियम उनपर लागू नहीं होता है क्योंकि वे रेलवे कर्मचारी नहीं हैं। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि उनको वह सभी सुविधायें दी जाय जो रेलवे कर्मचारियों को 1890 के अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारीयों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कौनसी सुविधाय दे रखी हैं जो अब सनिक कर्मचारियों को इस विधेयक द्वारा दी जा रही हैं। मैंने समूचे अधिनियम को पढ़ा

[इंद्रजीत गुप्त]

है। मुझे उसमें केवल एक अध्याय 6-क मिला है जिसके अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के कार्य के घंटों के बारे में उनको कुछ संरक्षण प्राप्त है। आपात काल में इस उपबन्ध को भी दृढ़ता से लागू नहीं किया जाता है। न ही ऐसा किया जा सकता है तथा न ही कोई ऐसा कहेगा कि संकट काल में इसे दृढ़ता से लागू किया जाय। मैं तो केवल एक सिद्धान्त के नाते यह बता रहा हूं कि उक्त अधिनियम में इस अध्याय के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों को कोई संरक्षण प्राप्त हो अथवा कोई सुविधा दी गई हो। इससे भी एक विचित्र बात यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत अधिनियम के अध्याय 6-क में जो उपबन्ध है वह उन सैनिकों पर लागू नहीं होगा जिनको रेलवे कार्य में लगाया जायेगा तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि मंत्री महोदय यह कैसे कहते हैं कि जब तक 1890 का अधिनियम उन पर लागू नहीं किया जायेगा तो उनको वह संरक्षण नहीं प्राप्त होगा जोकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों को प्राप्त है। इस के अतिरिक्त उक्त अध्याय में किया गया उपबन्ध आरक्षी दल के लोगों पर पहले ही लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 71 (4) में यह भी उपबन्ध किया गया है कि अध्याय 6 क इन लोगों पर लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इस विधेयक की क्या आवश्यकता है, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही है। रेलवे के पास तो पहले ही, जैसे मैंने पहले बताया, 16,000 से 17,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो प्रादेशिक सेना के सदस्य भी हैं तो आपातकाल में इस कार्य में उनसे सहायता ली जा सकती है।

विधेयक में यह भी उपबन्ध किया जा रहा है कि यदि सशस्त्र सेना किसी रेलवे लाइन अथवा किसी अनुभाग को पूर्णतया अपने नियंत्रण में ले लेगी तो इस अवस्था में यह विधेयक उन पर लागू नहीं होगा और उन्हें सैनिक कर्मचारी ही समझा जायेगा। मेरे विचार में तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकेगा। अतः यह विधेयक बहुत भ्रमपूर्ण है और इसका मसौदा उचित रूप से तैयार नहीं किया गया है।

Shri Ram Sahai Pandey (Guna) : Sir, I give full support to the Bill which has been brought before the House.

Whenever there is a war between two countries, each country continuously tries to destroy the means of communications of the other one and in order to counteract such activities of the enemy, each country has to take all measures to protect them. One has to be very serious and vigilant to see that Railway tracks, bridges and stations are protected from the enemy because of their vital importance more particularly from strategic point of view. There can, therefore, be no controversy about this position that whenever members of Armed Forces are inducted to assist the Railway Administration, they should be given all those facilities which are enjoyed by the railwaymen during normal times under the Indian Railways Act, 1890 so that our jawans could protect our means of transport at the time of any emergency due to war or otherwise. We should give full support to this Bill which has been brought forward by the hon. Minister at the right time and for which I am thankful to him. I would like that the Bill is passed immediately.

पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION REGARDING REPORT OF THE BACKWARD CLASSES COMMISSION—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री वशपाल सिंह द्वारा पिछडे वर्ग आयोग के बारे में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी।

Shri Maurya (Aligarh) : In view of the importance of the matter, the time allotted for this discussion may kindly be extended.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कितना समय निश्चित करना चाहती है? इसके लिये दो घंटे रखे गये थे जिसमें से एक घंटा तथा 15 मिनट शेष रहते हैं क्या 2 घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये।

Shri Maurya : It should be extended at least by another eight hours. The Minister concerned is also here.

उपाध्यक्ष महोदय : दो दिन तो नहीं परन्तु हम 2 घंटे का समय और बढ़ा देंगे।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Twenty-eight crore people are concerned with this matter but the time allotted is very less. It should therefore be extended.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : In view of the fact that many people are concerned with it and the importance of the Report, which is being discussed after a long time very less time has been allotted and as such it should be extended.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री की क्या राय है? कुछ माननीय सदस्य 8 घंटे का और कुछ 2 घंटे का और समय बढ़ाना चाहते हैं।

श्री अ० सि० सहगल (जंजगीर) : दो घंटे।

विधि मंत्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : दो घंटे काफी रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तीन घंटे का समय और बढ़ा देता हूं।

श्री म० प० स्वामी (रंकाली) : यह प्रसन्नता की बात है कि पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने का अवसर इस सभा को प्राप्त हुआ है। पिछड़े वर्गों के लोगों कि तुलना मध्यम वर्ग के लोगों से की जा सकती है। यह लोग न केवल आर्थिक रुप से पिछड़े हुये हैं परन्तु सामाजिक रुप से पद दलित हैं। सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों से उनकी दशा में थोड़ा सा सुधार अवश्य हुआ है परन्तु जो रियायतें और सुविधायें उन्हें दी जानी थी, उनसे सम्बन्धित अधिकारियों ने बहुत कम महत्व दिया है।

पिछड़े वर्गों के लोग अधिक संख्या में कुछ विशेष क्षेत्रों में सकेन्द्रित हैं। उनकी विशेष स्थिति का ध्यान रखते हुए राष्ट्रपति ने एक आयोग नियुक्त किया था जो उनकी दशा के सम्बन्ध में जांच करे और उसमें सुधार के उपायों का सुझाव दें।

[**डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई**
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

कुछ क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के लोगों का सामाजिक बहिस्कार किया जाता है। इसलिये, उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं। सरकार को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये।

पिछड़े वर्गों के लोगों में कुछ विशेष जातिया ऐसी हैं जिन्हें "सूची से निराली हुई आदिम जातियां" ("Denotified Tribes") कहते है। पहले उन्हें आपराधिक जातियां कहते थे। इन जातियों को दो वर्गों में बांटा गया है—एक अस्थिरवासी और दुसरे व्यवस्थापित

[श्री म० प० स्वामी]

सरकार को इन जातियों को और रियायतें देनी चाहियें जिससे वे अपनी परिस्थितियों में सुधार कर सकें और अपराधिक काम करना छोड दें।

इस संबंध में मैं पुनर्वासित जाति संघ के कुछ सुझावों का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि उसने शिक्षा, आर्थिक सुविधाओं, सामाजिक समस्याओं के बारे में दिये हैं। सरकार को यह सुझाव मान लेने चाहिये।

मद्रास राज्य में यह जातियां कुछ जिलों के कुछ क्षेत्रों में बसी हुई हैं। वहां शंकर नारायण कोइल क्षेत्र में, तिन्नेवेली ज़िले और पूर्व रामनद क्षेत्र में बहुत ही पिछड़े हुये लोग हैं। वहां पर सदा सूखे की स्थिति बनी रहती है। उन स्थानों पर कुएं खोदे जा सकते हैं। केरल से समुद्र में जाने वाले पानी को, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है। शंकर नारायण कोइल के आस पास के क्षेत्र में भेज दिया जाना चाहिये, जिससे उन स्थानों में खेती की जा सके। इससे उनके पशुओं को भी सुखे से बचाया जा सकेगा। जिन पर वे अधिकांशतः निर्भर करते हैं। वहां रोगों के कारण पशु अधिक संख्या में मरतें हैं। यही कारण है कि आयोग ने एक योजना का सुझाव दिया है जिससे पशुओं का बीमा किया जा सके। मैं इस सुझाव को दोहराता हूं। कृषि में सहायता के लिए पशु-धन को सुरक्षित रखा जाना चाहिये।

इन सूची से निकाली गई आदिम जातियों के पुनर्वास के लिए काफी राशि पृथक रखी जानी चाहिये। जैसा कि आयोग ने पहले ही सुझाव दिया है, उन लोगों के लिये एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिये। कुछ सुझाव देना और योजनायें बनानां आसान है परन्तु उन्हें क्रियान्वित करना कठीण है, प्रत्येक जिलें में जिला कल्याण अधिकारी होता है। उसे पूर्णरूपेण अधिकारी बनाया जाना चाहिये।

सामुदायिक विकास खण्ड समूचे समुदाय का विकास करते है। उनके अन्तर्गत पिछड़े वर्गों को अधिक रियायतें और सुविधायें दी जानी चाहिये ताकि उनकी दशा में सुधार हो सके।

इन मामलों में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय इस बात पर गम्भीरता से विचार करे कि पिछड़े वर्गों को जनता द्वारा कल्याण योजनाओं के लिये दी जाने वाली राशि की अदायगी से छूट दी जाय। जैसा कि आयोग के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पिछड़े वर्गों के लिये मकान आदि का कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया गया है, अतः इन लोगों के लिये भवन-निर्माण सम्बन्धी और योजनायें बनाई जायें। जहां उन्हें भूमि दी जाये वहां उन्हें मकान बनाने के लिये सहायता भी दी जानी चाहिये।

पिछड़े हुये लोगों में कुछ ऐसी जातियां है जो अपने युद्ध कौशल के लिये विख्यात हैं, सरकार को इस संकट की घडी में उनका लाभ उठाना चाहिये और जवानों की भर्ती करते समय इन जातियों में से काफी लोगों को सेना में लिया जाना चाहिये।

यह तो हम मानते है कि धन की कमी के कारण पिछड़े वर्गों के लिये और अधिक कल्याण योजनायें नहीं बनाई जा सकती हैं। परन्तु जिन योजनाओं की पहले मंजूरी दी जा चुकी है और राशि का आवंटन किया जा चुका है, कम से कम इसमें तो कमी नहीं की जानी चाहिये।

Shri H. C. Soy (Singhbhum) : Mr. Chairman, it is surprising to learn from the Report under discussion that the Government of the Uttar Pradesh do not want to recognise the *adivasis* residing in Mirzapur as such and give them such facilities as are available to *adivasis* residing elsewhere. The commission

has termed this policy as unsound. These *adivasis* are as backward as are residing elsewhere and as such these people should also be treated as *adivasis* and all those facilities should be provided to them which are enjoyed by *adivasis* residing at other places or in other States.

Similarly those people working in tea plantations in Assam should be treated as Scheduled Tribes as demanded by them. But it is suprising that the Government of Assam has stated before the Committee appointed by the Government to amend and to bring up-to-date the list of Scheduled Castes and Tribes that their recognition would create political disturbances.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The argument given by the State Government is very queer and this should not be allowed to prevail at the cost of these poor *adivasis*.

As the Chairman of the Commission, Kaka Kalelkar has pointed out that 80% of the grant given for the welfare of *adivasis* is being spent on the welfare of the Christian *adivasis* and the rest 20% is being spent on the welfare of the non-Christian *adivasis* though most of the population comprises of the non-Christian *adivasis*. Even during British days, the Christian *adivasis* had benefited the most and it was hoped that after attaining independence more attention would be paid towards the welfare of the non-Christian *adivasis*, but even to-day, we find that the Christian *adivasis* are getting the same facilities which they had been enjoying before independence. Immediate steps should, therefore, be taken to ensure that most of the grant is spent on the welfare of the non-Christian *adivasis*.

It has been pointed out by the Dhebar Commission that agricultural land belonging to *adivasis* in big industrial areas like Damodar valley, Rourkela and Ranchi, has been taken over from them for industrialisation. As these people have no other means to earn their livelihood, they should be properly rehabilitated as recommended by the Commission. Similarly a tract of land of 2 to 3 acres where the *adivasis* used to burn their dead bodies has been taken over by the Tatas without any justification. They should be asked to release that land.

As regards reservation in Government services, the instructions issued by the Ministry of Home Affairs are not being followed by the Government Departments properly. For instance, *adivasis* and members of the Scheduled Castes working in the Railway Designs and Standards organisation at Lucknow had demanded that some percentage of posts to be filled by promotion should be reserved for them, but in spite of their request, no reservation was made for them. When the Association of Harijan *Adivasis* took up the matter with the Railway Board, the Director of the Organisation took the plea that he was not aware of the instructions issued by the Home Ministry and stated that since promotions had already been made, nothing could then be done. This is how the instructions of the Ministry are being flouted. The same thing can be said in respect of public undertakings in view of what has happened at Ranchi and Rourkela. I would like to impress upon the Ministry that these instructions should also be issued to all the public undertakings.

We find that in South Bihar a good deal of fallow and surplus land is available, but it is the hight of negligence on the part of the Government not to make this

[Shri H. C. Soy]

land available to the people belonging to the backward classes. If the Government is really anxious to ameliorate the conditions of backward classes, such land should, immediately be distributed among them.

As pointed out by the Dhebar Commission, land belonging to *adivasis* in the Districts of Santhal Pargana and Chhota Nagpur is being taken over on one pretext or the other. I would, therefore, request that the relevant Acts should suitably be amended so that the land taken over during the last 15 to 20 years by unjustified means is released and proper protection is given to those who are being displaced in the wake of industrialisation.

It is regretted that thousands acres of land belonging to *adivasis* acquired in the name of Heavy Engineering Corporation, Ranchi is being misused for making profits through bargaining, while *adivasis* has no land where they could construct their huts. The government should look into this matter without any further delay.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, while drafting over Constitution, we borrowed many good things from the constitutions of various foreign countries, but while doing so we did not keep the special position of our society in our mind in respect of certain Articles like Article Nos. 15 and 16 wherein provisions relating to prohibition of discrimination against any citizen and equality of opportunity for all have been made. These principles can be adopted and adhered to in such countries where there is social equality. But in a country like India where social and other disabilities and inequalities already exist in the society, the principle of giving equal opportunity to all will not hold good as it would not lead us to achieve our aim of bringing about social equality in our society. We should have, therefore, made such a provision whereby special opportunities could be given to the backward classes till such time by which the social inequality is not removed.

It has been stated in the article 46 that it will be the duty of the State to make provisions for the development of backward classes. We ought to have accepted the principle which might have ultimately helped us to march towards our objective of Social equality. We ought to have made the provision that so long as there is no social equality in our Society, the special opportunities and facilities for the development should have been created for all those who were backward. They should be literally given social, economic and educational opportunities the number of such people in this country who need such like opportunities is in no way less.

I am of the opinion that unless some special facilities and reservations are provided for them in the matter of employment, there is no possibilities for these people to make any progress what so ever the question of reservation seats in the Government Services is there. In this question, I may inform the House that though the certain percentage have been laid down but practically very little number have actually been fulfilled only in the lower categories the percentage has been fulfilled. I am of the opinion that so long as we do not achieve social equality, the weightage will have to be given to the backward sections of the society. You can fill up any duration for this arrangement. I am also to state that the conception of person's ability for employment is not based on the realistic grounds. This is quite clear that backwardness and the other types of conditions in which

a particular community finds itself, will be decided from a social angle. All persons, who have been dubbed as shudras in the Hindu Society, should be taken as backward. At the same time I may refer to the conditions of women. In our country, they have been undergoing a lot of sufferings. Women have been the target of man's tyranny for centuries. And I am of the opinion that they should also be regarded as backward class.

I may also State that those sections of Muslims, Christians and Sikhs who have remained economically poor and backward from every point of view should be included in the backward classes. This is very unfortunate that people in our country have not given up their old way of thinking. The caste and creed considerations still exist here very prominently. In this direction we are living hundred of years back. If this thing continues we can not foresee the bright future of our Society. We have to assure the people belonging to the backward classes that they are also the equal part and parcel of the Society. If they are assured equal share in the Society, our country can really become strong. This is a historical fact that whenever there was inequality in society, the country could not preserve her independence. We must create conditions to create equality in our social order.

Shri Baswant (Thana) : Last time some useful suggestions were given by Shri Punjab Rao Deshmukh regarding the development of the people belonging to the backward classes. Yet we state that the Government's indifference towards the backward classes is highly deplorable. We will have to take some constructive steps in this direction if we do not act likewise the existing gulf between the advanced communities and the backward classes will go on increasing.

In this connection, this is to be stated that the recommendations of the Kalelkar Committee should be immediately implemented. The Committee's recommendations contain practical proposals to improve the conditions of these people. The pepole belonging this class is educationally very backward. And if they somehow or the other receive education, they are not capable of getting any employment. Something practical should be done in this direction. You should understand that about twentyfive crores of people who have been considered as belonging to the advanced communities should also be enlisted as backward communities. This is the recommendation of the Commission. Let there be two classes backward and the Most Backward.

Shri Balmiki (Khurja) : It is very unfortunate that this report of the commission is being considered after ten years. This backwardness remains after so many years of Independence. Really it is a matter of great regret that in spite of our three five year plans, the conditions of backward people continues to be highly deplorable. This is a problem which should be considered by the Government by giving it a top priority. In these days of national unity we should try to do away with discrimatory status of our people.

We know it very well, that our constitution have made a provision for social and economic justice and of social security. But it is a very sad affair that people of backward communities are still in the same state of affairs. There is no justice and no security as far as their case is concerned. Handful of upper class people are keeping them under their domination. In the name of caste and creed people are terribly repressed and tortured. Many times murders are committed by the upper class people, but no action is taken by the authorities.

[Shri Balmiki]

This is a sad reality that the Psychology of the people have unfortunately not changed. The sweeper class is very badly treated. The economic conditions of these people in the rural areas is very sad. These people do not find any work to earn their livelihood. Sometimes it becomes impossible for them to keep body and soul together. They are the target humiliation. I want to urge upon the Government to take constructive steps to improve the conditions of these people.

As we are now going towards the decentralisation of Power in administration in Districts and Villages. But practically we find that all the powers are in the hands of the powerful Communities. They do not give any opportunity to the other people. They have to put in a hard toil in order to exist. The reservation quota should be very strictly adhere to. In this connection Government should see that the reservation quota should adequately fulfilled.

I whole-heartedly support the report and hope that the Government will give serious and dispassionate consideration to it. It will be tried that the backwardness, poverty and illteracy that exist today in this country will totally vanish during the duration of this scheme.

Shri Mate (Tikamgarh) : I support the report and like to draw the attention of the Minister towards the deplorable conditions of Scheduled Castes and the Scheduled tribes living in the State of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is a backward State, only that section is prosperous who have some land or the property. The backward people are living in miserable conditions. This is really surprising that the money which the Government granted for these people is spent, but the condition of these people does not improve.

Harijans and Scheduled Tribes are very poor people, they have neither land nor other means of cultivation. If at all any land is given to them, it is given in hilly tracts.

I want to urge upon the Government that these people should be given land out of the large areas of land owned by the big land owners. Such a step alone will provide some means of livelihood to these people. Their present State is very deplorable, they are living in a state of starvation. Something should be done to provide employment to at least educated children of the adivasis and the Harijans. This will be a great help for them to keep up their existance.

डा० सरोजिनी महिषी : (धारवाड़-उत्तर) : दस वर्षों के बाद यह प्रतिवेदन चर्चा के लिये संसद के समक्ष आया है। सदन हमेशा इस प्रतिवेदन के लिये आग्रह करता रहा है, अतः इस प्रतिवेदन को बासी नहीं कहा जा सकता। मुझे आशा है कि गत दस वर्षों में हालात लगभग वैसे ही रहे होंगे। परन्तु इसे अच्छा कृत्य नहीं कहा जा सकता। यह प्रतिवेदन सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत आती है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि सामाजिक दृष्टिकोण में मूलभूत रुप से परिवर्तन किया जाय। मेरा अनुरोध यह है कि मंत्रालय को इस दिशा में कुछ करना होगा, कुछ ठोस पग उठाने होंगे।

इस दिशा में हमें एक बात याद रखनी चाहिये कि जब तक हमारे दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन न होगा उस समय तक उन समस्त छोटी छोटी बातों पर ख्याल नहीं किया जा सकता जिस पर कि आयोग ने बल दिया है। इस दिशा में कोई सफलता प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा

नहीं होता। विभिन्न विभागों द्वारा आरम्भ किया गया कार्य भी लगभग ऐसा ही रहेगा। अतः मेरा आग्रह यह है कि विभिन्न मंत्रालयों में परस्पर समुचित समन्वय होना चाहिए। हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि समाज से पिछड़े दल को तो समाप्त करना ही है। और उसके लिए प्रयास करने ही होंगे। हो सकता है कि हमें उसे बहुत शीघ्र ही समाप्त न कर पाये परन्तु उस दिशा में निराकार प्रयत्न तो होते रहने चाहिये। इसके लिए आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ापन तो हटानाही चाहिये। हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस तरह का पिछड़े वर्ग और उच्च जाति के वर्ग नहीं रहने चाहिये। और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे करना ही चाहिये।

सामाजिक तथा शिक्षा के पिछड़ेपन तथा अन्य सम्बन्ध बातों को देखते हुए औरतों को भी पिछड़े वर्ग में रखा गया है। आयोग ने सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में डाल दिया गया है। हमारे देश में 8 प्रतिशत से अधिक औरत शिक्षित नहीं है। ग्रामीण स्त्रियां तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है और उन्हें कई बार 8 से 10 मील तक पानी भर के लाना पडता है। धार्मिक और आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वास्तव लक्ष्य प्राप्त करने ने में वर्षों लगेंगे। स्वयं सेवक और सामाजिक संस्थाओं को इस दिशा में काफी काम करना होगा। हमें यह देखना है कि इस कार्यों को किस प्रकार बढ़ाया जाय। अखिर महिलाओं, पिछड़े वर्गों को समाज और विधि की दृष्टि में उपर तो उठाना ही है। हमें प्रभावशाली पग तो उठानाही चाहिये और सरकार को भी अपना प्रभावका प्रयोग करना ही होगा। औरतों को उपर तो उठाना ही होगा।

मैं इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये। हम बहुत शोर करते है कि अवसर की समानता, राजनीतिक समानता और समानता का युग है। परन्तु वास्तविक रुप में इस दिशा में बहुत कम देखने को मिलता है। हमें इस दिशा में कुछ सफलता प्राप्त करने का अवसर तो मिलना ही चाहिये। मेरा यह निश्चित मत है कि जब तक महिलाओं को उचित अवसर नहीं दिये जाते उनकी प्रगति सम्भव नहीं हो सकेगी।

आज अल्पविकसित देशों में बाल अपराध की समस्या अधिक से अधिक जटिल होती जा रही है। बाल अपराधी उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। आर्थिक कठिनाइयों और गंधी बस्तियों के फैलाव के कारण यह रोग बढ़ता ही जा रहा है। 'रिमाण्ड होम' तथा अन्ध स्कूल जो इन लोगों के सुधार के लिए चालू किये गये हैं वे ठीक प्रकार से नहीं चल रहे। ये केन्द्र सुधार के स्थान पर दण्ड स्थान बन गये हैं। ऐसे केन्द्रों से जब युवक व्यक्ति बाहर आते है तो समाज उनसे घृणा करता है और उन लोगों के रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती।

मेरा निवेदन यह है कि एसे सभी मामलो में हमें नया सामाजिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस प्रकार के लोंगो को हमें अधिक अवसर प्रदान करने होंगे। ऐसा किया जाये तो मुझे आशा है कि विभाग इस ध्येय कि कोई सेवा कर सकेगा। इसके साथ सरकारी सेवाओं के संरक्षण का जहां तक प्रश्न है उससे योग्यता और ईमानदारी का ध्यान रखते हुए पिछड़ें वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। पिछड़े वर्गों के लोगों को इस तरह की सुविधा देनी चाहिए कि वे शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर सके। ऐसे पग उठाये जाने चाहिये कि समाज में कोई क्रांति आये और शताब्दियों से संतप्त वर्गों को कुछ राहत मिल सके।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The Commission was appointed on 19-1-1953 and report came for consideration in 1956. Why this delay was caused, nobody knows. That is also regretable that only a few recommendations of the commission have been implemented. I also want to point out that in Madhya Pradesh the Christian Missionaries are actively engaged in converting people belonging to the backwards classes.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi)) : There is no quorum.

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम नहीं है, अत: सभा स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 10 नवम्बर, 1965/19 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, November 10, 1965/Kartika 19, 1887 (Saka)

GIPN—S5—46 Lok Sabha/65—20-8-66—600.